

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2014/चैत्र 13, 1936
No. 195]	NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2014/CHAITRA 13, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 265(अ). केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और

उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 43 के खंड (क)(ii), धारा 54 की उप-धारा (1)के खंड (घ), धारा 55 की उप-धारा (2), धारा 56 की उप-धारा (1), धारा 56 की उप-धारा (3), धारा 62 की उप-धारा (1), धारा 42 की उप-धारा (2), धारा 63 की उप-धारा (2) का खंड (च), धारा 64 की उप-धारा (1), धारा 67 की उप-धारा (3) का खंड (ख), धारा 68 की उप-धारा (2), उप-धारा (6), उप-धारा (9) और उप-धारा (10), धारा 71 की उप-धारा (3), धारा 71 की उप-धारा (6), धारा 71 की उप-धारा (13) और धारा 72 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा समादत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (केंद्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्ररूप, 1956 अथवा इन नियमों में समाविष्ट विषयों पर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन विहित किसी अन्य सुसंगत नियम का उन बातों के सिवाय, अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 है।
- (2) ये नियम 01 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

1533GI/2014

- (ख) "उपाबंध" से इन नियमों के उपाबंध अभिप्रेत है;
- (ग) "फीस" से कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविनिर्दिष्ट फीस अभिप्रेत है;
- (घ) "प्ररुप" अथवा "ई-प्ररुप" से इन नियमों के उपाबंध में दिया प्ररुप अभिप्रेत है जिसका प्रयोग उससे संबंधित मामले के लिए किया जाएगा;
- (ङ) "प्रादेशिक निदेशक" से केंद्र सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्रादेशिक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं है और जो अधिनियम या कंपनी (परिभाषाओं के विनिर्देशन के ब्यौरे) नियम, 2014 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो इन अधिनियमों या उक्त नियम में उनके हैं।

 लागू होना – इन नियमों के उपबंध (क) सभी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां; (ख) सभी निजी कंपनियां; और (ग) सूचीबद्ध कंपनियां, जहां तक वे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी अन्य उपबंधों के विरूद्ध अथवा विरोधी न हो, निम्नलिखित को लागू होंगे -

4. विशिष्ट अधिकारों सहित इक्विटी शेयर -

- (1) शेयरों द्वारा सीमित कोई भी कंपनी लाभांश, मत देने या अन्यथा रूप में इक्विटी शेयर तब तक जारी नहीं करेगी जब तक कि यह निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन नहीं करती है, अर्थात्-
 - (क) कंपनी का संगम अनुच्छेद विशिष्ट अधिकारों सहित शेयरों को जारी करना प्राधिकृत करता हो;
 - (ख) शेयरधारकों की साधारण बैठक में पारित किए गए एक साधारण संकल्प द्वारा शेयर जारी करने को प्राधिकृत किया गया होः परंतु कि जहां पर एक कंपनी के इक्विटी शेयर एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है वहां पर ऐसे शेयर जारी करने के लिए शेयरधारकों द्वारा डाक मत के जरिए अनुमोदन प्रदान किया जाएगा;
 - (ग) विशिष्ट अधिकारों सहित शेयर, किसी भी समय पर जारी किए गए विशिष्ट अधिकारों सहित इक्विटी शेयरों सहित
 पश्च जारी कुल समादत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे;
 - (घ) कंपनी का विगत तीन वर्ष का वितरणीय लाभ का सतत ट्रेक रिकॉर्ड रहा हो;
 - (ङ) कंपनी ने उस वित्त वर्ष से ठीक पूर्व जिसमें इसने ऐसे शेयर जारी करने का विनिश्चय किया है, विगत तीन वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों और वार्षिक विवरणी फाइल करने में कोई चूक नहीं की हो;
 - (च) कंपनी अपने शेयरधारकों को घोषित लाभांश के भुगतान करने और अपनी ऐसी जमाओं के प्रति संदाय अथवा हानि अपने अधिमानी शेयर अथवा डिबेंचरों, जो ऐसी जमाओं अथवा डिबेंचरों पर ब्याज के मोचन अथवा भुगतान अथवा लाभांश के भुगतान के लिए देय हो गए हो, के संदाय में लगातार चूककर्ता न रहा हो;
 - (छ) कंपनी ने अधिमानी शेयरों पर लाभांश के संदाय में चूक न की हो या सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था अथवा अधिसूचित बैंक से किसी अवधि ऋण जो प्रतिसंदाय के लिए देय हो गया हो, को प्रतिसंदत्त करने अथवा अपने कर्मचारियों से संबंधित कानूनी भुगतानों के संबंध में किसी प्राधिकरण को देय ब्याज का संदाय करने अथवा केंद्रीय सरकार के विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में राशि जमा कराने में चूक न की हो;
 - (ज) विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 अथवा

अन्य किसी विशिष्ट अधिनियम जिनके अधीन ऐसी कंपनियों को क्षेत्रीय विनियामकों द्वारा विनियमित किया गया है, के अधीन किसी न्यायालय अथवा न्यायधिकरण द्वारा दंडित नहीं किया गया है।

- (2) धारा 102 के अनुसरण में साधारण बैठक के नोटिस अथवा धारा 110 के अनुसरण में डाक मत के साथ उपाबद्ध किए जाने वाले स्पष्टीकारक विवरण में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थातु:-
 - (क) विशिष्ट अधिकारों सहित जारी किए जाने वाले कुल शेयरों की संख्या;
 - (ख) विशिष्ट अधिकारों के ब्यौरे;
 - (ग) किसी भी समय पर जारी विशिष्ट अधिकारों सहित इक्विटी शेयरों सहित जारी करने के पश्चात् कुल समादत्त इक्विटी शेयर पूंजी में विशिष्ट अधिकार सहित शेयरों का प्रतिशत;
 - (घ) जारी करने के कारण अथवा न्यायोचित्य;
 - (ङ) वह कीमत, जिस पर ऐसे शेयरों को जारी किए गए जाने का प्रस्थापना है, या तो समूल्य पर अथवा प्रीमियम पर;
 - (च) वह आधार जिस पर कीमत का निर्धारण किया गया है;
 - (छ) (i) निजी नियोजन अथवा अधिमान जारी के मामले में-
 - (**क**) प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को आबंटित किए जाने हेतु प्रस्तावित शेयरों की कुल संख्या के ब्यौरे;
 - (ख) प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से भिन्न व्यक्तियों को आबंटित किए जाने वाले कुल शेयरों की संख्या के ब्यौरे और किसी प्रवर्तक, निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ नकी नातेदारी, यदि कोई हो;

(ii) सार्वजनिक निर्गम के मामले में– प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों सहित आवेदकों के विभिन्न वर्गों हेतु आरक्षण, यदि कोई हो;

- (ज) मताधिकार का प्रतिशत, जो विशिष्ट मताधिकार सहित इक्विटी शेयर पूंजी को, इक्विटी शेयर पूंजी के कुल मताधिकार में से प्राप्त हैं;
- (झ) वह मान अथवा अनुपात जिसमें ऐसे शेयरों के वर्ग अथवा प्रकारों में अंतर होगा;
- (ञ) कंपनी में नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो, जो विशिष्ट मताधिकार सहित इक्विटी शेयरों को जारी करने के परिणामस्वरूप हुआ हो;
- (ट) ऐसे शेयरों के निर्गम के अनुसरण में लागू लेखा मानकों के अनुसार संगणित तनुकृत प्रति शेयर उपार्जन;
- (ठ) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी सूचीबद्ध करार के खंड 35 के अनुसार, मताधिकार सहित निर्गम पूर्व और तत्पश्चात् का शेयरधारिता पैटर्न।
- (3) कंपनी मताधिकार सहित अपनी वर्तमान इक्विटी शेयर पूंजी को विशिष्ट मताधिकार वाली इक्विटी शेयर पूंजी में और विपर्ययेन संपरिवर्तित नहीं करेगी।
- (4) निदेशक मंडल, अन्य बातों के साथ-साथ, उस वित्त वर्ष के लिए, जिसमें विशिष्ट अधिकारों सहित इक्विटी शेयर का निर्गम पूर्ण किया गया था, बोर्ड की रिपोर्ट में निम्नलिखित ब्यौरे प्रकट करेगा, अर्थातः-

- (क) विशिष्ट अधिकारों सहित आबंटित शेयरों की कुल संख्या;
- (ख) मताधिकारों और लाभांशों से संबंधित विशिष्ट अधिकारों के ब्यौरे;
- (ग) किसी समय विशिष्ट पर जारी किए गए विशिष्ट अधिकारों सहित इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम के पश्चात् कुल विशिष्ट अधिकारों सहित शेयरों का प्रतिशत और मताधिकार का वह प्रतिशत जो विशिष्ट मताधिकार सहित इक्विटी शेयर पूंजी का कुल इक्विटी शेयर पूंजी में कुल मताधिकार का होगा;
- (घ) वह कीमत, जिस पर ऐसे शेयर जारी किए गए हैं;
- (ङ) उन प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के ब्यौरे, जिन्हें ऐसे शेयर जारी किए गए हैं;
- (च) कंपनी में नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो, जो विशिष्ट मताधिकार सहित इक्विटी शेयरों को जारी करने के परिणामस्वरूप हुआ हो;
- (छ) ऐसे शेयरों के निर्गम के अनुसरण में लागू लेखा मानकों के अनुसार संगणित तनुकृत प्रति शेयर उपार्जन;
- (ज) नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट रूपविधान में निर्गम पूर्व और पश्चात् मताधिकार सहित शेयरधारिता पैटर्न।
- (5) विशिष्ट अधिकारों सहित इक्विटी शेयर धारकों को वे सभी अन्य अधिकार जैसे कि बोनस शेयर, अधिकार शेयर इत्यादि प्राप्त होंगे, जिसके इक्विटी शेयर के धारक हकदार हैं, जो उन विशिष्ट अधिकारों के अध्यधीन होंगे, जिसके साथ ऐसे शेयर जारी किए गए हैं।
- (6) जब कोई कंपनी विशिष्ट अधिकार सहित इक्विटी शेयर जारी करती है तो धारा 88 के अधीन रखे गए सदस्यों के रजिस्टर में शेयरधारकों के ब्यौरों सहित इस प्रकार जारी शेयरों के सुसंगत विशिष्टियां होंगी।
- स्पष्टीकरण इस नियम के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन किसी कंपनी द्वारा जारी ऐसे शेयरों से जुड़े हुए विशिष्ट अधिकार तब तक जारी रहेंगे जब तक कि कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार ऐसे अधिकारों को विशिष्ट अधिकारों में संपरिवर्तित नहीं कर दिया जाता है।
- 5. शेयर प्रमाण-पत्र (जहां पर शेयर डीमेट फॉर्म में नहीं है) -

(1) जब कोई कंपनी किसी शेयर पूंजी को जारी करती है, तो कंपनी में धारित किसी शेयर और शेयरों का कोई प्रमाण-पत्र निम्नलिखित के सिवाय जारी नहीं किया जाएगा-

- (क) बोर्ड द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में; और
- (ख) स्वीकृति पत्रों के लिए निर्गमों अथवा पारिश्रमिक अथवा बोनस शेयर के निर्गम के मामलों के सिवाय कंपनी को आबंटन पत्र अथवा अपेक्षित मूल्य के आंशिक कूपनों का अभ्यर्पणः

परंतु यदि आबंटन पत्र खो गया हो या नष्ट हो गया हो, तो बोर्ड, समर्थित साक्ष्य और क्षतिपूर्ति को और साक्ष्य के अन्वेषण में कंपनी द्वारा उपगत स्वयं के खर्चों को प्राप्त करने के लिए युक्तियुक्त निबंधन, यदि कोई हो, अधिरोपित कर सकेगा, जो वह उपर्युक्त समझे।

- (2) प्रत्येक शेयर या शेयरों का प्रमाण-पत्र प्ररूप संख्या एसएच.1 में या यथासंभव उसके समान प्ररूप में होगा और उसमें उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम, जिनके पक्ष में प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, वे शेयर जिनसे वे संबंधित है और उन पर समादत्त राशि विनिर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) प्रत्येक शेयर प्रमाण-पत्र कंपनी की मुहर से जारी किया जाएगा, जो निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई जाएगी और निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित होगी-

- (क) इस प्रयोजनार्थ कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत दो निदेशक अथवा बोर्ड की समिति, जो यदि
 इसे बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो; और
- (ख) सचिव अथवा इस प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई व्यक्ति;

परंतु उन कंपनियों में, जिनमें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई कंपनी सचिव नियुक्त किया गया है तो उसे इस नियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत समझा जाएगाः

परन्तु यह और कि यदि बोर्ड की संरचना ऐसी अनुज्ञा दे तो पूर्वोक्त दो निदेशकों में कम से कम एक व्यक्ति प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न व्यक्ति होगाः

परंतु यह भी कि, एक व्यक्ति कंपनी के मामले में प्रत्येक शेयर प्रमाण-पत्र कंपनी की मुहर से जारी किया जाएगा जो एक निदेशक अथवा इस प्रयोजनार्थ, कंपनी निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत एक व्यक्ति और कंपनी सचिव या इस प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए गए अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में लगायी जाएगी और उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, किसी निदेशक का शेयर प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित कर दिया गया माना जाएगा यदि किसी मशीन, उपकरण या अन्य यांत्रिक साधनों जैसे कि धातु या शिलामुद्रण या डिजीटल हस्ताक्षरित के माध्यमों से एक अनुलिपि (प्रतिकृति) के रूप में उसके हस्ताक्षर उस प्रमाण-पत्र पर मुद्रित है, किंतु रबर स्टैंप द्वारा नहीं हैं, परंतु निदेशक इस प्रकार अपने हस्ताक्षरों को किए जाने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए और इस प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किसी मशीन, उपकरण या अन्य सामग्री की अभिरक्षा हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(4) उप-नियम (1) के अनुसार जारी किए गए प्रत्येक शेयर प्रमाण-पत्र की विशिष्टियों को धारा 88 के उपबंधों के अनुसार रखे जा रहे सदस्य रजिस्टर में उस व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम (नामों) के साथ प्रविष्ट किया जाएगा, जिसे यह जारी किया गया है और इसमें जारी किए जाने की तारीख उपदर्शित होगी।

6. नवीकृत अथवा डुप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्र जारी करना -

(1)(क) किसी भी शेयर या शेयरों के प्रमाण-पत्र को उप-विभाजित अथवा समेकित या उन प्रमाण-पत्रों जो गंदे, कटे-फटे, फटे पुराने, जर्जर, पुराने फटे या जहां पर दूसरी तरफ अतंरण रिकॉर्ड करने के लिए पृष्ठों को विधिवत रूप से उपयोग कर लिया गया है, के स्थान पर जारी तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह प्रमाण-पत्र, जिसके बदले में इसे जारी किया गया है, कंपनी को अभ्यर्पण नहीं कर दिया जाता हैः

परंतु कंपनी, शेयर प्रमाण-पत्र (पत्रों) के विखंडन या समेकन या उन शेयर प्रमाण-पत्र (पत्रों) के स्थान पर जारी किए गए प्रत्येक प्रमाण-पत्र, जो गंदे, कटे-फटे, फटे या पुराने, जर्जर या जीर्ण हो गए हो, के लिए प्रति शेयर पचास रुपए से अनधिक ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा, जो बोर्ड उपर्युक्त समझे।

- (ख) जहां एक प्रमाण-पत्र को इस उप-नियम के अधीन किन्ही परिस्थितियों में जारी किया गया है, तो इसके ऊपर यह लिखा होगा और इस प्रयोजनार्थ रखे जा रहे रजिस्टर में इसे अभिलिखित किया जाएगा कि इसे "शेयर प्रमाण-पत्र संख्या......उप-विभाजित/प्रतिस्थापित/समेकन के संबंध में इनके स्थान पर जारी किया गया है" और यह भी कि उच्च न्यायालय या केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ठहराव की स्कीम के अनुसरण में कोई भी फीस देय नहीं होगीः
- (ग) कोई कंपनी नियम (5) के उप-नियम (1) के खंड (क), नियम 5 के उप-नियम (2) और नियम 5 के उप-नियम (3) के अनुपालन के अध्यधीन पुराने प्रमाण-पत्रों को अभ्यपर्ण किए जाने की आवश्यकता के बिना शेयरों के उप विभाजन अथवा समेकन या विलय या अविलय होने अथवा किसी पुनर्गठन होने पर सभी मौजूदा प्रमाण-पत्रों को नए प्रमाण-पत्रों के स्थान पर रखा जा सकेगा।
- (2)(क) बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना और प्रति प्रमाण-पत्र पचास रुपए से अनधिक ऐसी फीस के भुगतान के बिना, जो कि बोर्ड उपयुक्त समझे और ऐसी युक्तियुक्त निबंधन जैसा कि सहायक साक्ष्य और क्षतिपूर्ति और कंपनी द्वारा तैयार किए गए साक्ष्य

की छानबीन करने में स्वयं के किए व्ययों का भुगतान प्रस्तुत बिना उन प्रमाण-पत्रों के स्थान पर, जो खो गए या नष्ट हो गए है, डुप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

- (ख) जहां इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट किन्हीं परिस्थितियों में प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। इसके ऊपर यह मुख्य रूप से लिया जाना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ रखे जा रहे रजिस्टर में इसे रिकॉर्ड करना चाहिए कि यह "शेयर प्रमाण-पत्र संख्या.....के स्थान पर जारी किया गया डुप्लीकेट" है और "डुप्लीकेट" को शेयर प्रमाण-पत्र पर मुहर द्वारा या प्रमुख रूप से मुद्रित किया जाएगाः
- (ग) गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, तीन महीने की अवधि के भीतर डुप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे और सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में ऐसे प्रमाण-पत्र संबंधित कंपनी के पास पूर्ण कागजात प्रस्तुत कराने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर जारी किए जाएंगे।
- (3)(क)उप-नियम (1) और (2) के अनुसार जारी किए गए प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र की विशिष्टियों को **प्ररूप संख्या एसएच.2** में रखे जा रहे नवीकृत और डुप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्र रजिस्टर में तत्क्षण दर्ज किया जाएगा। इसमें उन व्यक्तियों के नाम के सामने शेयर प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख सूचित होगी, जिनके स्थान पर नए प्रमाण-पत्र जारी किए गए है और "टिप्पणियां" स्तंभ में समुचित प्रतिनिर्देश के जरिए सदस्यों के रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन उपदर्शित किए जाएंगे।
- (ख) रजिस्टर को कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या ऐसे अन्य स्थान पर रखा जाएगा जहां पर सदस्यों के रजिस्टर को रखा जाता है और इसे स्थायी रूप से संरक्षित रखा जाएगा और इसे कंपनी के कंपनी सचिव या इस प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में रखा जाएगा।
- (ग) नवीकृत और डुप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्रों के रजिस्टर में की गई सभी प्रविष्टियों को कंपनी सचिव अथवा नियम 5 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन शेयर प्रमाण-पत्र को मुहर लगाने और हस्ताक्षर करने के प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा यथा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

7. शेयर प्रमाण-पत्र प्ररूपों और संबंधित पुस्तकों और दस्तावेजों का रखरखावः

- (1) शेयर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी खाली प्ररूपों को मुद्रित किया जाएगा और केवल बोर्ड के संकल्प से प्राधिकार के आधार पर ही मुद्रित किया जाएगा और खाली प्ररूपों को क्रमवर्ती मशीन द्वारा संख्यांकित किया जाएगा और ऐसे मुद्रण से संबंधित ब्लॉक, उत्कीर्णित, अनुलिपि और रंग को सचिव अथवा अन्य व्यक्ति जिसे बोर्ड इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करें, के संरक्षण में रखा जाएगा और कंपनी सचिव अथवा अन्य पूर्वोक्त व्यक्ति इन प्ररूपों का लेखा बोर्ड को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट में शेयर प्रमाण-पत्रों के खाली प्ररूपों सहित शेयर प्रमाण-पत्रों के जारी किए जाने से सबंधित सभी पुस्तकों और दस्तावेजों के रखरखाव, संरक्षण और सुरक्षित अभिरक्षा हेतु निम्नलिखित व्यक्ति उत्तरदायी होंगे, अर्थात्:-
 - (क) बोर्ड की समिति, यदि बोर्ड द्वारा यथा प्राधिकृत की गई हो अथवा जहां पर कंपनी का कंपनी सचिव है, वहां कंपनी सचिव; या
 - (ख) जहां पर कंपनी का कोई कंपनी सचिव नहीं है, इस प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत कोई निदेशक।
- (3) उप-नियम (2) में उल्लिखित सभी पुस्तकों को तीस वर्ष से अन्यून तक व्यवस्थित रूप से संरक्षित किया जाएगा और विवादस्पद मामलों में इन्हें स्थायी रूप से परिरक्षित किया जाएगा और कंपनी को अभ्यर्पित किए गए सभी प्रमाण-पत्रों को तत्काल ही बड़े अक्षरों में शब्द "रद्द" के मुद्रण या मुहर लगाकर विरूपित किया जाएगा और उस तारीख से लेकर जब इन्हें अभ्यर्पित किया गया था, तीन वर्ष समाप्त होने के पश्चात् बोर्ड के संकल्प के प्राधिकार के अधीन और इस निमित्त में बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में इन्हें नष्ट किया जाएगाः

परंतु कि इस उपनियम की कोई बात निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा (6) की उपधारा (2) के अधीन प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र के रद्दकरण के लिए तब तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसे प्रमाण पत्र भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के साथ पठित अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 1996 के विनियम 54 के उपविनियम (5) के अनुसार रद्द किए गए हों।

8. श्रमसाध्य साधारण शेयरों को जारी करना —

(1) सूचीबद्ध कंपनी से भिन्न कोई कंपनी, जिसके द्वारा श्रमसाध्य साधारण के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का अनुपालन करना अपेक्षित नहीं है, वह अपना ज्ञान उपलब्ध कराने अथवा बौद्धिक संपत्ति अधिकार या मूल्य परिवर्धनों की प्रकृति में, जिस भी नाम से पुकारा जाए, के लिए अपने निदेशकों या कर्मचारियों को बट्टे पर या नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल हेतु श्रमसाध्य साधारण शेयर जारी नहीं करेगी जब तक कि कंपनी द्वारा साधारण बैठक में कोई विशिष्ट संकल्प पारित नहीं कर लिया जाता है।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ

- (i) "कर्मचारी" अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है-
 - (क) कंपनी का एक स्थायी कर्मचारी भारत या इसके बाहर कम से कम विगत एक वर्ष से कार्य कर रहा है; अथवा
 - (ख) कंपनी का निदेशक चाहे वह पूर्णकालिक निदेशक हो या नहीं; अथवा
 - (ग) उपर्युक्त उप-खंड (क) या (ख) में यथा परिभाषित कर्मचारी या निदेशक भारत में अथवा इसके बाहर एक सहायक अथवा कंपनी की नियंत्री कंपनी हो।
 - (ii) "मूल्य परिवर्धन" अभिव्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके लिए कोई प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया है या रोजगार की संविदा के अधीन सामान्य पारिश्रमिक के अधीन श्रमसाध्य साधारण शेयर जारी किए गए है, उससे ज्ञान उपलब्ध कराने या बौद्धिक संपत्ति अधिकार के स्वरूप में उपलब्ध अधिकारों के लिए शेयर जारी करने के लिए प्राप्त किए विशेषज्ञ अथवा व्यवसायी से कंपनी द्वारा व्युत्पन्न या व्युत्पन्न किए जाने वाले वास्तविक अथवा प्रत्याशित आर्थिक लाभ अभिप्रेत है।
 - (2) धारा 102 के अनुसरण में साधारण बैठक के नोटिस से उपाबद्ध विवरण में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होगी:-
 - (क) बोर्ड की बैठक की वह तारीख जिसमें श्रम साध्य साधारण शेयरों के जारी होने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया;
 - (ख) निर्गम के कारण/न्यायोचित्य;
 - (ग) शेयरों की श्रेणी जिसके अधीन श्रमसाध्य साधारण शेयरों को जारी किए जाने के लिए आशयित है;
 - (घ) श्रमसाध्य साधारण के रूप में जारी किए जाने के लिए शेयरों की कुल संख्या;
 - (ङ) उस निदेशकों या कर्मचारियों का वर्ग जिन्हें ऐसे इक्विटी शेयर जारी किए जाने है;
 - (च) मूल निबंधन और शर्तें जिन पर श्रम साध्य शेयर जारी किए जाने हैं जिनमें मूल्याकंन का आधार भी सम्मिलित हैः
 - (छ) कंपनी के साथ ऐसे व्यक्ति की सहबद्ध समय अवधि;
 - (ज) निदेशकों या कर्मचारियों के नाम, जिन्हें श्रमसाध्य साधारण शेयर जारी किया जाएगा और उनकी प्रवर्तक/और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ नातेदारी;
 - (झ) वह कीमत जिस पर श्रमसाध्य साधारण शेयर जारी होने के लिए प्रस्तावित है;
 - (ञ) नकदी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल सहित प्रतिफल, यदि कोई हो, जिन्हें श्रमसाध्य साधारण हेतु प्राप्त किया जाना है;

- (ट) ऐसे श्रमसाध्य साधारण के निर्गम के जरिए प्रबंधकीय पारिश्रमिक की सीमा का, यदि कोई हो, भंग होता है और इसको कैसे निपटाने का प्रस्ताव है;
- (ठ) इस संबंध में एक विवरण कि कंपनी लागू लेखा मानकों के अनुरूप कार्य करेगी; और
- (ड) लागू लेखा मानकों के अनुसार संगणित श्रमसाध्य साधारण शेयर के निर्गम के अनुपालन में तनुकृत प्रति शेयर उपार्जन।
- (3) श्रमसाध्य साधारण शेयर जारी करने को प्राधिकृत करने वाला विशिष्ट संकल्प, विशिष्ट संकल्प पारित करने की तारीख से बारह मास से अन्यून अवधि के भीतर आबंटन करने के लिए विधिमान्य होगा।
- (4) कंपनी एक वर्ष में वर्तमान समादत्त इक्विटी शेयर पूंजी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक श्रमसाध्य साधारण शेयर अथवा पांच करोड़ रुपए के निर्गम मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो जारी नहीं करेगीः परंतु कि कंपनी में श्रमसाध्य साधारण शेयर जारी किया जाना किसी भी समय पर कंपनी की समादत्त इक्विटी पूंजी के
- पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। (5) निदेशकों या कर्मचारियों को जारी किए गए श्रमसाध्य साधारण शेयरों को आबंटन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अभिबंधित (लॉक-इन) अहस्तांतरणीय होंगे और यह तथ्य कि शेयर प्रमाण-पत्र लॉक-इन के अधीन है और अभिबंधन की समाप्ति की अवधि का सुस्पष्ट अथवा अन्य किसी प्रमुख रीति से शेयर प्रमाण-पत्र पर उल्लिखित रूप से स्टांपित होगी।
- (6) जारी किए जाने वाले श्रमसाध्य शेयरों को ऐसा मूल्यांकन करने हेतु एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा अवधारित कीमत पर उचित कीमत का औचित्य देते हुए मूल्यांकन किया जाएगा।
- (7) बौद्धिक संपत्ति अधिकार या ज्ञान उपलब्ध कराने या मूल्य परिवर्धन का मूल्यांकन, जिनके लिए श्रमसाध्य साधारण शेयर जारी किए जाने होते हैं, एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किया जाएगा, जो ऐसे मूल्यांकन के न्यायोचित सहित निदेशक मंडल को संबोधित एक समुचित रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।
- (8) खंड (6) और खंड (7) के अधीन प्राप्त की गई मूल्यांकन रिपोर्ट के महत्वपूर्ण कारकों सहित सार की एक प्रति शेयरधारकों को साधारण अधिवेशन की सूचना के साथ भेजी जाएगी।
- (9) जहां पर रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा प्राप्त की गई मूल्यांकन रिपोर्ट में उनके बारे में मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर गैर-नकदी प्रतिफल के लिए साधारण पूंजी शेयर जारी किए जाते हैं; ऐसे गैर-नकदी प्रतिफल का कंपनी की लेखाबहियों में निम्नलिखित रीति से उपचार किया जाएगा, अर्थातु:-
 - (क) जहां पर गैर-नकदी प्रतिफल एक अवक्षयण योग्य अथवा शोधनीय परिसंपत्ति का रूप प्राप्त कर लेता है, इसे लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी के तुलन-पत्र में अग्रणीत किया जाएगा; अथवा
 - (ख) जहां खंड (क) लागू नहीं है, इसका लेखांकन मानकों में यथा उपलब्ध कीमत पर उपचार किया जाएगा।
- (10) जारी किए गए श्रमसाध्य साधारण शेयर की राशि को, अधिनियम की धारा 197 और 198 के प्रयोजनों के लिए प्रबंधकीय पारिश्रमिक के एक भाग के रूप में माना जाएगा, यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थातु:-
 - (क) किसी निदेशक अथवा प्रबंधक को श्रमसाध्य साधारण शेयर जारी किए जाते हैं; और
 - (ख) उन्हें गैर-नकदी प्रतिफल हेतु जारी किया जाता है, जो एक परिसंपत्ति का रूप ग्रहण नहीं करता है, जिसे लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी के तुलन-पत्र में अग्रणीत किया जा सकता है।
- (11) लेखांकन अवधि के दौरान जारी किए गए श्रमसाध्य साधारण शेयरों के संबंध में, कंपनी के वित्तीय विवरणों में श्रमसाध्य साधारण शेयरों के लेखांकन मूल्य को कर्मचारी या निदेशक को प्रतिफल के एक रूप में माना जाएगा, यदि श्रमसाध्य साधारण शेयरों को एक परिसंपत्ति के अधिग्रहण के अनुसार जारी नहीं किया जाता है।
- (12) यदि किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण के अनुपालन में शेयर जारी किए जाते है, तो मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा यथा निर्धारित परिसंपत्ति के मूल्य को लेखांकन मानकों के अनुसार तुलन-पत्र में अग्रणीत किया जाएगा और श्रमसाध्य साधारण शेयर के

लेखांकन मूल्य की ऐसी रकम, जो मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अधिग्रहित परिसंपत्ति के मूल्य से अधिक होती है उसे कंपनी के वित्तीय विवरण में कर्मचारी अथवा निदेशक को प्रतिफल के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि लेखांकन मूल्य नियम (6) के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन द्वारा यथा निर्धारित श्रमसाध्य साधारण शेयर का उचित मूल्य होगा।

- (13) निदेशक मंडल, अन्य बातों के साथ-साथ इसमें यह भी शामिल करते हुए उस वर्ष की निदेशक रिपोर्ट में वर्ष में ऐसे शेयरों को जारी किया जाता है, श्रमसाध्य साधारण शेयरों को जारी करने के निम्नलिखित ब्यौरे, को प्रकट करेगा, अर्थात:-
 - (क) निदेशक या कर्मचारी का वर्ग, जिसे श्रमसाध्य साधारण शेयर जारी किए गए थे;
 - (ख) श्रमसाध्य साधारण शेयरों के रूप में जारी किए गए शेयरों का वर्ग;
 - (ग) निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या अन्य कर्मचारियों को जारी किए गए श्रमसाध्य साधारण शेयरों की संख्या, जिसमें उन्हें ऐसे जारी किए गए रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए शेयर की संख्या और निर्गमित शेयर पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक नियंत्रण वाले आबंटियों के नाम;
 - (घ) जारी किए जाने के कारण अथवा न्यौयोचित्य;
 - (ङ) श्रमसाध्य साधारण शेयर को जारी करने के लिए मुख्य निबंधन और शर्तें जिसमें कीमत निर्धारण सूत्र भी है;
 - (च) श्रमसाध्य साधारण शेयर जारी करने के परिणामस्वरूप उद्भूत शेयरों की कुल संख्या;
 - (छ) जारी करने के पश्चात् और कुल समादत्त शेयर पूंजी के श्रमसाध्य साधारण शेयरों की प्रतिशतता;
 - (ज) श्रमसाध्य साधारण शेयरों के जारी होने के अनुसरण में तनुकृत प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस)। श्रमसाध्य साधारण शेयर के जारी होने से कंपनी के लिए प्राप्त प्रतिफल (नकदी से भिन्न अन्य प्रतिफल सम्मिलित हैं) या उद्भूत फायदे।
- (14)(क) कंपनी **प्ररूप संख्या एसएच.3** में श्रमसाध्य साधारण शेयरों के रजिस्टर का रररखाव करेगी और तत्पश्चात् धारा 54 के अधीन जारी किए गए स्वीट इक्विटी शेयर के विवरणों को इसमें तुरंत प्रविष्ट करेगी।
- (ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अथवा ऐसे स्थानों पर जो, बोर्ड विनिश्चित करे, श्रमसाध्य साधारण शेयर के रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा।
- (ग) रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को कंपनी का कंपनी सचिव अथवा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

9. अधिमानी शेयर का निर्गम और मोचन

- (1) शेयर पूंजी वाली कोई एक कंपनी, यदि अपने अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत की गई है, तो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अधिमान अंशों का निर्गम कर सकेगी, अर्थात्:-
 - (क) ऐसे शेयरों के निर्गम के लिए कंपनी के साधारण अधिवेशन में एक विशिष्ट संकल्प पारित करके प्राधिकृत किया गया है,
 - (ख) कंपनी, ऐसे अधिमानी शेयरों के निर्गम के समय पर इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् निर्गमित किसी अधिमानी शेयरों के मोचन में या किसी अधिमानी शेयर पर देय लाभांश के संदाय में सतत रूप से कोई त्रुटि नहीं हो।
- (2) अधिमान शेयरों का निर्गम करने वाली कोई कंपनी संकल्प में ऐसे शेयरों से संबंधित निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशिष्टियां उपवर्णित करेगी, अर्थात्:-
 - (क) लाभांश के संदाय अथवा साधारण शेयरों अर्थात् पूंजी के प्रतिसंदाय से संबंधित पूर्विकता;
 - (ख) अधिशेष निधि में भागीदारी;

- (ग) ऐसे परिसमापन पर ऐसी अधिशेष आस्तियों और लाभों के भागीदारी, जो संपूर्ण पूंजी का प्रतिसंदाय किए जाने के पश्चात् अधिशेष है;
- (घ) संचयी या असंचयी आधार पर लाभांश का संदाय;
- (ङ) अधिमानी शेयरों का साधारण शेयरों में संपरिवर्तन करना;
- (च) मत देने का अधिकार;
- (छ) अधिमान शेयरों का मोचन।
- (3) धारा 102 के अनुसरण में साधारण अधिवेशन की सूचना नोटिस के साथ संलग्न किए जाने वाले स्पष्टीकारक विवरण में अन्य बातों के साथ साथ, ऐसे शेयरों के निर्गम से संबंधित और सुसंगत संपूर्ण सारवान तथ्य उपबंधित किए जाएंगे जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
 - (क) निर्गम का आकार और निर्गमित किए जाने वाले अधिमानी शेयरों की संख्या और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य;
 - (ख) ऐसी शेयरों की प्रकृति, अर्थात् संचयी अथवा असंचयी, प्रतिभागी अथवा गैर-प्रतिभागी, संपरिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय
 - (ग) निर्गम के उद्देश्य;
 - (घ) शेयरों के निर्गम की रीति;
 - (ङ) वह कीमत जिस पर शेयरों का निर्गम प्रस्तावित है;
 - (च) वह आधार जिस पर कीमत का परिनिर्धारण किया गया है;
 - (छ) निर्गम की शर्ते, जिनमें प्रत्येक शेयर पर लाभांश की शर्तें और दर सम्मिलित हैं;
 - (ज) मोचन के निबंधन, जिसके अंतर्गत मोचन की अवधि, अधिमूल्य पर मोचन का और यदि अधिमानी शेयर संपरिवर्तनीय है तो परिवर्तन के निबंधन;
 - (झ) मोचन की रीति और ढंग;
 - (ञ) कंपनी के चालू शेयरधारक भागीदार;
 - (ट) अधिमानी शेयरों के संपरिवर्तन पर साधारण शेयर पूंजी में प्रत्याशित आंशिक कमी;
- (4) जहां कोई कंपनी अधिमानी शेयरों का निर्गम करती है, वहां धारा 88 के अधीन अनुरक्षित सदस्यों के रजिस्टर में ऐसे अधिमानी शेयरधारक (कों) के संबंध में विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी।
- (5) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक में अपने अधिमानी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए आशयित कोई कंपनी, वह इस निमित्त में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसे शेयरों का निर्गम करेगी।
- (6) कोई कंपनी अपने अधिमानी शेयरों का मोचन केवल ऐसे निबंधनों पर कर सकेगी जो उन्होंने किए हैं अथवा अधिनियम की धारा 48 के अधीन अधिमान शेयरधारकों के समुचित अनुमोदन के पश्चात् परिवर्तित किए गए थे और अधिमानी शेयरों का मोचन किया गया था-
 - (क) एक निर्धारित समय पर अथवा कोई विशिष्ट घटना के होने पर किया जा सकेगा;
 - (ख) कंपनी के विकल्प पर किसी भी समय किया जा सकेगा;
 - (ग) शेयरधारकों के विकल्प पर किसी भी समय किया जा सकेगा।
- 10. अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में अधिमानी शेयरों का निर्गम और मोचन -

ऐसी कोई कंपनी जो अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को स्थापित करने और उनसे संबंधित काम में लगी हुई हैं, अधिमानी शेयरधारकों के विकल्प पर इक्कीस वर्ष के पश्चात् या उससे पहले, प्रतिवर्ष ऐसे अधिमानी शेयरों के न्यूनतम दस प्रतिशत के मोचन के अध्यधीन समानुपात के आधार पर बीस वर्ष से अधिक किंतु तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए अधिमानी शेयर जारी कर सकेगी।

11. अंतरण की लिखत -

- (1) भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के अंतरण की लिखत **प्ररूप संख्या एसएच.4** में होगी औऱ उस पर पर विनिर्दिष्ट उसके निष्पादन की तारीख सहित अंतरण की लिखत ऐसे निष्पादन के साठ दिन के भीतर कंपनी को भेजी जाएगी।
- (2) ऐसी कंपनी की दशा में जिसके पास शेयर पूंजी नहीं हैं, उप नियम (1) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों उसमें प्रतिभूतियों के प्रतिनिर्देश, कंपनी में सदस्य के हित के प्रतिनिर्देश हो।
- (3) कंपनी आंशिक रूप से संदत्त शेयरों के अंतरण को रजिस्टर नहीं करेगी जब तक कि कंपनी द्वारा प्ररूप संख्या एसएच.5 में अंतरिती को सूचना नहीं दे दी जाती और अंतरिती सूचना प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर इस अंतरण के संबंध में अनापत्ति नहीं दे देता।

12. कर्मचारी स्टॉक विकल्प का निर्गम –

सूचीबद्ध कंपनी से भिन्न अन्य कंपनी जिसके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड कर्मचारी स्टॉक विकल्प के मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करना अपेक्षित नहीं है, अपने कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक विकल्प (जिसे इसके पश्चात् "ईएसओएस" कहा गया है) के अधीन तब तक शेयरों की प्रस्थापना नहीं करेगी, जब तक वह निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर लेती है, अर्थात्:-

(1) कंपनी के शेयरधारकों द्वारा विशिष्ट संकल्प पारित करके कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम जारी करेगा।

स्पष्टीकरण-धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और इस नियम के प्रयोजनार्थ "कर्मचारी" से -

- (क) कंपनी का ऐसा स्थायी कर्मचारी अभिप्रेत है जो भारत में अथवा उसके बाहर कार्य कर रहा है; अथवा
- (ख) कंपनी का निदेशक अभिप्रेत है, चाहे वह पूर्णकालिक निदेशक हो या नहीं किंतु इसमें कंपनी के स्वतंत्र
 निदेशक को अपवर्जित नही किया है; अथवा
- भारत में या भारत से बाहर या कंपनी की नियंत्री कंपनी अथवा सहबद्ध कंपनी में खंड (क) या खंड (ख)
 में यथा परिभाषित एक कर्मचारी अभिप्रेत है, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है-
- (i) कोई ऐसा कर्मचारी जो एक संप्रवर्तक है या संप्रवर्तक समूह से संबंधित व्यक्ति हैं; अथवा
- (ii) कोई ऐसा निदेशक जो स्वयं या अपने संबंधियों के माध्यम से या किसी निगमित निकाय के माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साधारण शेयरों का दस प्रतिशत से अधिक धारण करता है।
- (2) कंपनी संकल्प को पारित करने संबंधी सूचना के साथ संलग्न स्पष्टीकारक विवरण में निम्नलिखित प्रकटीकरण करेगी-
 - (क) प्रदान किए जाने वाले स्टॉक विकल्पों में कर्मचारियों की कोई संख्या;
 - (ख) कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम में भागीदार होने के पात्र कर्मचारियों के वर्गों के वर्गों की पहचान;
 - (ग) कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम में कर्मचारियों की पात्रता अवधारित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया;
 - (घ) निहित करने की अपेक्षाएं और निहित करने की अवधि;
 - (ङ) ऐसी अधिकतम अवधि जिसमें विकल्प निहित रहेंगे;
 - (च) उस पर पहुंचने के लिए प्रयोग कीमत अथवा उसका फार्मूला;
 - (छ) प्रयोग अवधि और प्रयोग की प्रक्रिया;

- (ज) रोध अवधि, यदि कोई हो;
- (झ) प्रति कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले विकल्पों की अधिकतम संख्या और कुल योग;
- (ञ) पद्धति जिसका उपयोग कंपनी अपने विकल्पों का मूल्य उपयोग में लाएगी;
- (ट) शर्ते, जिसके अधीन कर्मचारियों में निहित विकल्प व्यपगत हो सकेंगे, जैसे अवचार के लिए नियोजन की समाप्ति की दशा में;
- (ठ) विनिर्दिष्ट समय-अवधि जिसके भीतर कर्मचारी रोजगार की प्रस्तावित नियोजन की समाप्ति अथवा कर्मचारी के त्याग-पत्र की घटना में निहित विकल्पों का प्रयोग करेगा; और
- (ड) इस प्रभाव का एक वक्तव्य कि कंपनी लागू लेखा मानकों का अनुपालन करेगी।
- (3) कंपनी, कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अनुसरण में, अपने कर्मचारियों को विकल्प प्रदान कर रही कंपनियों को लागू लेखा नीतियों, यदि कोई हो, के अनुरूप प्रयोग कीमत के अवधारण करने की स्वतंत्रता दे सकेगी।
- (4) कंपनी द्वारा पृथक संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का अनुमोदन निम्नलिखित के मामले में प्राप्त किया जाएगा-
 - (क) सहायक अथवा नियंत्रक कंपनी के कर्मचारियों को विकल्प प्रदान करने; अथवा
 - (ख) किसी भी एक वर्ष के दौरान विकल्प प्रदान करने के समय पर कंपनी की निर्गमित पूंजी के एक प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक (इसमें बकाया वारंट और रूपांतर छोड़कर) विकल्प प्रदान करने की दशा में।
- (5) (क) कंपनी, विशेष संकल्प द्वारा, कर्मचारियों द्वारा अभी तक प्रयोग नहीं किए गए कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के निबंधनों में, ऐसे परिवर्तन विकल्पधारकों के हितों के प्रतिकूल नहीं हो।
 - (ख) कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के निबंधनों में शर्तों में परिवर्तन के लिए विशिष्ट संकल्प पारित करने के लिए सूचना
 में, पूर्ण परिवर्तन, इसकी संगतता, और उन कर्मचारियों के ब्यौरों को जो ऐसे परिवर्तन के फायदाग्राही होंगे, प्रकट किया जाएगा।
- (6) (क) विकल्प प्रदान करने और विकल्प निहित करने के मध्य एक वर्ष की न्यूनतम अवधि होगीः

परंतु ऐसे मामले में, जहां एक अन्य कंपनी जो प्रथम उल्लिखित कंपनी में विलय या सम्मिलित हो गई हैं में एक कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अधीन उसी व्यक्ति द्वारा धारित विकल्पों के स्थान पर कंपनी द्वारा इसके कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अधीन विकल्प प्रदान किए गए हो, अवधि जिसके दौरान विलयित या समामेलित कंपनी द्वारा प्रदान किए गए विकल्पों को उसके द्वारा धारित किया गया था, उन्हें इस खंड के अधीन अपेक्षित न्यूनतम निहित अवधि के लिए समायोजित किया जाएगा।

- (ख) कंपनी को, विकल्प का प्रयोग के अनुसरण में निर्गमित शेयरों की रोध अवधि को विनिर्दिष्ट करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
- (ग) कर्मचारियों को उन्हें प्रदान किए विकल्पों के संबंध में किसी लाभांश को प्राप्त करने अथवा मत देने या किसी भी रीति से एक शेयरधारक के लाभों को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि विकल्प का प्रयोग करने के बाद शेयर जारी नहीं कर दिए जाते हैं।
- (7) विकल्प को प्रदान करने के समय, कर्मचारियों द्वारा संदाय की जाने वाली रकम, यदि कोई हो-
 - (क) कंपनी द्वारा जब्त की जा सकेगी यदि कर्मचारियों द्वारा प्रयोग अवधि के दौरान विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता
 है; अथवा
 - (ख) कर्मचारियों को राशि प्रतिदाय की जा सकेगी यदि, कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम में निहित विकल्पों से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं किए जाने के कारण विकल्प निहित नहीं होते हैं।
- (8) (क) कर्मचारियों को प्रदान किया गया विकल्प किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं होगा।

- (ख) कर्मचारियों को प्रदान किए गए विकल्प को गिरवी, आडमान, बंधक अथवा अन्यथा किसी भी रीति विल्लंगमों से अन्य संक्रामित नहीं किया जाएगा।
- (ग) खंड (घ) के अधीन रहते हुए, कर्मचारियों से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति जिसे विकल्प प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा
- (घ) नियोजन के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की घटना में ऐसी तारीख तक उसे प्रदान किए गए सभी विकल्प, मृत कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारियों अथवा नामनिर्देशियों में निहित होंगे।
- (ङ) यदि कर्मचारी नियोजन के दौरान स्थायी अक्षमता से ग्रस्त हो जाने की दशा में, तो स्थायी अक्षमता की तारीख को उसे प्रदान किए गए सभी विकल्प उस तारीख को उसमें निहित होंगे।
- (छ) नियोजन से त्याग-पत्र अथवा पर्यवसान के मामले में, उक्त दिन को कर्मचारी में निहित नहीं किए गए सभी विकल्प समाप्त हो जाएंगे। तथापि, जिसे इस निमित्त बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित यह ऐसे विकल्प प्रदान करने वाली स्कीम के अधीन शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए कर्माचारी उन विकल्पों का प्रयोग कर सकता है जो उन्हें इस संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निहित किए गए हैं।
- (9) निदेशक बोर्ड, वर्ष के लिए निदेशक रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के निम्नलिखित ब्यौरें प्रकट करेगा—
- (क) प्रदान किए गए विकल्प;
- (ख) निहित विकल्प;
- (ग) प्रयोग किए गए विकल्प;
- (घ) विकल्प के प्रयोग करने के कारण उद्भूत होने वाले शेयरों की कुल संख्या;
- (ङ) व्यपगत विकल्प;
- (च) प्रयोग कीमत;
- (छ) विकल्प के निबंधनों में परिवर्तन;
- (ज) विकल्पों के प्रयोग द्वारा वसूल किया गया धन;
- (झ) प्रवृत्त विकल्पों की कुल संख्या;
- (ञ) निम्नलिखित को प्रदान किए गए विकल्पों के कर्मचारी-वार ब्यौरेः—
 - (i) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक;
 - (ii) कोई अन्य कर्मचारी जो उस वर्ष के दौरान प्रदान किए गए विकल्पों के पांच प्रतिशत अथवा अधिक राशि के किसी एक वर्ष में विकल्पों को प्रदान करने के लिए विकल्प प्राप्त करता है;
 - (iii) अभिज्ञात कर्मचारी, जिन्हें केवल एक वर्ष के दौरान विकल्प प्रदान किए गए थे जो प्रदान करने के समय पर कंपनी की निर्गमित पूंजी (इसमें बकाया वारंट और रूपांतर शामिल नहीं है) के एक प्रतिशत बराबर या अधिक थे;
- (10) (क) कंपनी **प्ररूप संख्या एस.एच.6** में कर्मचारी स्टॉक विकल्प रजिस्टर का रखरखाव करेगी और इसके पश्चात् इसमें धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रदान किए गए विकल्पों के ब्यौरों को प्रविष्ट किया जाता है।
 - (ख) कर्मचारी स्टॉक विकल्पों के रजिस्टर का रखरखाव कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अथवा ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जैसा बोर्ड विनिश्चय किया जाए।

- (ग) कंपनी के कंपनी सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रजिस्टर की प्रविष्टियों को अधिप्रमाणित किया जाएगा।
- (11) जहां कपनी के इक्विटी शेयर एक मान्यताप्राप्त स्टॉक केंद्र पर सूचीबद्ध किए गए हैं, वहां इस निमित्त भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार कर्मचारी स्टॉक विकल्प जारी किए जाएंगे।

अधिमान आधार पर शेयरों का निर्गम –

13.(1) धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, यदि साधारण अधिवेशन में एक संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, किसी भी कंपनी द्वारा किसी भी रीति में शेयर जारी किए जा सकते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को, चाहे वे व्यक्ति धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं हो, शामिल हैं, और अधिमान आधार पर ऐसी निर्गम को अधिनियम की धारा 42 में निर्धारित शर्तों का भी अनुपालन करना चाहिएः

परंतु एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत को एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए, (i) "अधिमान प्रस्थापना " पद से कंपनी द्वारा अधिमान आधार पर किसी चयनित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को शेयर या अल्प प्रतिभूतियां जारी करना अभिप्रेत है इसमें सार्वजनिक निर्गम, राईट्स (अधिकार) निर्गम, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना अथवा श्रमसाध्य साधारण शेयर या बोनस शेयर का निर्गम अथवा भारत के बाहर के देश में जारी निक्षेपागार प्राप्तियां अथवा विदेशी प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं;

(ii) "शेयर या अन्य प्रतिभूतियां" पद से इक्विटी शेयर, पूर्ण रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, आंशिक रूप से संपरिवर्तनीय डिबेंचर अथवा कोई अथवा प्रतिभूतियां, जिसका एक आगे की तारीख में इक्विटी शेयर में परिवर्तित अथवा इसके साथ विनिमय योग्य होगी, अभिप्रेत है।

- (2)(i) जहां शेयरों की अधिमान अथवा अन्य प्रतिभूतियों की पेशकश एक कंपनी द्वारा की जाती है जिसके शेयर या अन्य प्रतिभूतियां एक मान्यताप्राप्त स्टॉक केंद्र पर सूचीबद्ध है, ऐसी अधिमान प्रस्थापना, अधिनियम के उपबंधों और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार की जाएगी, और यदि वे सूचीबद्ध नहीं है, तो अधिनियम के उपबंधों और इसमें अधीन बनाए गए नियमों और निम्नलिखित अपेक्षाओं के अधीन अधिमान शेयर की पेशकश की जाएगी, अर्थातु:—
 - (क) इसके संगम अनुच्छेदों द्वारा निर्गम को प्राधिकृत किया गया है;
 - (ख) निर्गम को सदस्यों के विशिष्ट संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया है;
 - (ग) अधिमान पेशकश के जरिए आबंटित प्रतिभूतियों को उनके आबंटन के समय पर पूर्ण रूप से समादत्त बनाया जाएगा;
 - (घ) कंपनी, अधिनियम की धारा 102 के अनुसरण में साधारण अधिवेशन के नोटिस से संलग्न स्पष्टीकारक विवरण में निम्नलिखित प्रकटन करेगीः
 - (i) निर्गम के उद्देश्य;
 - (ii) निर्गमित किए जाने वाले शेयर या अन्य प्रतिभूतियों की कुल संख्या;
 - (iii) कीमत या कीमत बैंड (सीमा) जिस पर/जिसके भीतर आबंटन का प्रस्थापना है;
 - (iv) जिस आधार पर रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की रिपोर्ट के साथ कीमत निर्धारित की गई है;
 - (v) सुसंगत तारीख, जिसके संदर्भ में कीमत निर्धारित की गई है;
 - (vi) व्यक्तियों का वर्ग, जिन्हें आबंटन किए जाने का प्रस्थापना हैं;

- (vii) इस प्रस्थापना में अंशदान/(क्रय) करने हेतु प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का आशय;
- (viii) प्रस्तावित समय जिसके भीतर आबंटन को पूर्ण किया जाएगा;
- (ix) प्रस्तावित आबंटियों के नाम और अधिमान शेयर पूंजी पश्चात् की प्रतिशत, जिसे उनके द्वारा धारित किया जाएगा;
- (x) कंपनी के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो जो अधिमान प्रस्थापना के परिणामस्वरूप घटित हो सकता है;
- (xi) व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अधिमान आधार वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों की संख्या के साथ-साथ कीमत के संदर्भ में पहले ही आबंटन किया जा चुका है;
- (xii) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए किए जाने वाले आबंटन के लिए औचित्य;

क्र.सं.	प्रवर्ग				न पूर्व					पश्चात	
		धारित	शेयरों	की		का	धारित	शेयरों	की	शेयरधारिता	का
		संख्या			प्रतिशत		संख्या			प्रतिशत	
क	प्रवर्तकों का धारण (धारिता):										
1	भारतीयः										
	व्यष्टिक										
	संस्थाएं										
	कारपोरेट निकाय										
	कुल										
2	विदेशी प्रवर्तक										
	उप-योग (क)										
ख	गैर-प्रवर्तकों का धारण										
1.	संस्थागत निवेशक										
2.	गैर-संस्थाएं										
	प्राईवेट निगमित निकाय										
	निदेशक और नातेदार										
	भारतीय जनता										
	अन्य (एनआरआई सहित)										
	उप-योग (ख)										
	कुल योग										

(xiii) कंपनी का निर्गम-पूर्व और निर्गम पश्चात् शेयरधारिता पैटर्न निम्नलिखित फार्मेट में—

- (ङ) उप-नियम (2)(ख) के अनुसरण में पारित किए गए विशिष्ट संकल्प के अनुपालन में अधिमान आधार पर प्रतिभूतियों के किए गए आबंटन को, विशिष्ट संकल्प पारित करने की तारीख से बारह महीने की, अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा;
- (च) यदि विशिष्ट संकल्प को पारित किए जाने की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर प्रतिभूतियों के आबंटन को पूर्ण नहीं किया जाता है, तो इसके पश्चात् ऐसा आबंटन करने के लिए कंपनी हेतु एक अन्य विशिष्ट संकल्प पारित किया जाएगा;
- (छ) अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले शेयर अथवा प्रतिभूतियों की कीमत का अवधारण रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा, चाहे यह रोकड़ अथवा रोकड़ के अतिरिक्त आय किसी प्रतिफल के लिए हो;
- (ज) जहां आवेदन करने के और इक्विटी शेयर आबंटन प्राप्त करने के विकल्प सहित अधिमान आधार पर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की प्रस्थापना की जाती है, वह परिणामी शेयरों की कीमत एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पहले ही निर्धारित की जाएगी और अधिनियम की धारा 62 के उपबंध का भी अनुपालन किया जाएगा;
- (झ) जहां शेयर या अन्य प्रतिभूतियां रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए आबंटित की जाती है वहां ऐसे प्रतिफल का मूल्यांकन एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किया जाएगा जो मूल्यांकन के औचित्य सिद्ध करते हुए कंपनी को मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
- (ञ) जहां शेयरों की अधिमान पेशकश गैर-रोकड़ प्रतिफल के लिए की जाती है वहां ऐसी गैर-रोकड़ प्रतिफल को कंपनी की लेखा-बहियों में निम्नलिखित प्रकार से माना जाएगा-
 - (i) जहां गैर-रोकड़ प्रतिफल एक ह्रास योग्य अथवा अपाकरण योग्य आस्ति का रूप ग्रहण कर लेता है वहां इस लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी के तुलन-पत्र में ले जाया जएगा; अथवा
 - (ii) जहां खंड (i) लागू नहीं होता है, वहां इसे लेखांकन मानकों में यथा उपबंधित माना जाएगा।

बोनस शेयर का निर्गम -

14. वह कंपनी जिसने एक बार बोनस शेयर जारी करने की अपने बोर्ड सिफारिश के विनिश्चय को घोषित कर दिया है, तत्पश्चात् इसे वापस नहीं करेगी।

शेयर पूंजी में परिवर्तन करने के लिए रजिस्ट्रार को नोटिस –

15. जहां कोई कंपनी, धारा 61 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी रीति में अपनी शेयर पूंजी में परिवर्तन करती है अथवा सरकार द्वारा धारा 62 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (4) के अनुसरण में कंपनी की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करने के लिए एक आदेश पारित किया जाता है अथवा एक कंपनी मोचन योग्य किन्हीं अधिमान शेयरों का मोचन करती है, कंपनी द्वारा ऐसे परिवर्तन वृद्धि अथवा मोचन का नोटिस फीस सहित प्ररूप संख्या एस.एच. 7 में रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा।

कर्मचारियों के फायदे के लिए कर्मचारियों अथवा न्यासियों द्वारा कंपनी के अपने शेयरों की खरीद के लिए कंपनी द्वारा धन का उपबंध –

16. (1) कंपनी, शेयरों के क्रय, अंशदान करने, कंपनी अथवा इसकी नियंत्रक कंपनी में शेयर के लिए मुद्रा का कोई उपबंध नहीं करेगी, न्यासियों द्वारा शेयरों का क्रय अथवा अंशदान करना उनके द्वारा, धारित किए जाने वाले अथवा कंपनी के कर्मचारियों के फायदे के लिए होता है, और जब तक यह निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन नहीं करती है, अर्थात्:-

- (क) क्रय अथवा शेयरों के अंशदान हेतु, यथा पूर्वोक्त अनुसार धन के उपबंध की स्कीम को सदस्यों द्वारा एक साधारण अधिवेशन में विशिष्ट संकल्प पारित करते हुए अनुमोदित किया जाता है;
- (ख) यदि कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है तो शेयरों के ऐसे क्रय को केवल एक मान्यता प्राप्त स्टॉक केंद्र के माध्यम से किया जाएगा और प्राईवेट प्रस्थापनाओं अथवा ठहरावों के जरिए क्रय नहीं किया जाएगा;
- (ग) जब कंपनी के शेयर एक मान्यता प्राप्त स्टॉक केंद्र पर सूचीबद्ध नहीं होते है, क्रय किए जाने वाले ऐसे शेयरों का मूल्यांकन एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन द्वारा किया जाता है;
- (घ) क्रय किए जाने या अंशदान किए जाने वाले शेयरों का मूल्य कंपनी द्वारा प्रदान कराए गए धन का कुल योग सहित
 कंपनी की कुल समादत्त पूंजी और स्वतंत्र आरक्षित के कुल योग के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;
- (2) धारा 102 के अनुसरण में आहूत किए जाने वाले साधारण अधिवेशन के नोटिस की साथ उपाबद्ध किए जाने वाले स्पष्टीकारक विवरण में नियम 18 के उप-नियम (1) में उल्लिखित विशिष्टियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-
 - (क) कर्मचारियों का वर्ग जिनके फायदे के लिए स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है और शेयरों के क्रय या अंशदान हेतु
 धन उपलब्ध कराया जा रहा है;
 - (ख) न्यासी या कर्मचारियों की विशिष्टियां जिनके पक्ष में ऐसे शेयरों को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है;
 - (ग) न्यास की विशिष्टियां और न्यासियों के नाम, पते, व्यवसाय और राष्ट्रीयता और प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ उनकी नातेदारी, यदि कोई हो;
 - (घ) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, निदेशकों या प्रवर्तकों की ऐसी स्कीम या न्यास में कोई रूचि और इसका प्रभाव;
 - (ङ) फायदों की विस्तृत विशिष्टियां, जो स्कीम के कार्यान्वयन से कर्मचारियों को प्राप्त होंगे;
 - (च) कौन प्रयोग करेगा और स्कीम के अधीन क्रय किए जाने वाले अथवा अंशदान किए जाने वाले शेयरों के मताधिकार का प्रयोग कैसे किया जाएगा, इनके ब्यौरे;
- (3) एक व्यक्ति को ऐसे शेयर धारित रखने के लिए एक न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह-
 - (क) कंपनी अथवा इसकी नियंत्री, सहायक या संबद्ध कंपनी में निदेशक, प्रबंधकीय कार्मिक है अथवा ऐसे निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या प्रवर्तक के कोई संबंधी हैं; अथवा
 - (ख) फायदाप्रद रूप से कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक पूंजी धारण करता है।
- (4) जब कर्मचारियों द्वारा उन शेयरों के संबंध में सीधे तौर पर मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है जिनसे यह स्कीम संबंधित है, तब निदेशक मंडल सुसंगत वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित ब्यौरे, प्रकट करेंगे अर्थात:-
 - (क) उन कर्मचारियों के नाम जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है;
 - (ख) प्रत्यक्ष रूप से मताधिकार नहीं करने के कारण;
 - (ग) उस व्यक्ति का नाम जो ऐसे मताधिकार का प्रयोग कर रहा है;
 - (घ) ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में धारित शेयरों की संख्या और कंपनी की कुल समादत्त पूंजी में ऐसे शेयरों का प्रतिशत;
 - (ङ) साधारण अधिवेशन की तारीख जिसमें ऐसे मताधिकार का प्रयोग किया गया था;
 - (च) संकल्प जिनमें ऐसे मताधिकार शक्ति धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा मत डाले गए हैं;

- (छ) प्रत्येक संकल्प के संबंध में कुल मताधिकार शक्ति में ऐसे मताधिकार शक्ति की प्रतिशतता;
- (ज) क्या संकल्प के पक्ष अथवा इसके विरोध में मत डाले गए थे।

17. शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों का पुनर्क्रय -

जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया है, प्राईवेट कंपनियों और गैर सूचीबद्ध प्राईवेट कंपनियों द्वारा अपनी प्रतिभूतियों के पुनः क्रय करने हेतु निम्नलिखित सन्नियमों का अनुपालन किया जाएगा-

- (1) धारा 102 के अनुसरण में साधारण अधिवेशन की नोटिस के साथ संलग्न स्पष्टीकारक विवरण में निम्नलिखित, प्रकटीकरण अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात्:-
 - (क) बोर्ड की बैठक की तारीख जब कंपनी के निदेशकों द्वारा पुनः क्रय करने के प्रस्थापना को अनुमोदित किया गया था;
 - (ख) पुनः क्रय के उद्देश्य;
 - (ग) पुनः क्रय के अधीन क्रय किए जाने के आशय सहित शेयर या अन्य प्रतिभूतियों का वर्ग;
 - (घ) प्रतिभूतियों की संख्या जिन्हें कंपनी द्वारा पुनः क्रय करने का प्रस्थापना है;
 - (ङ) पुनः क्रय हेतु अपनाई गई पद्धति;
 - (च) वह कीमत जिस पर शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों का पुनः क्रय किया जाएगा;
 - (छ) पुनः क्रय कीमत निर्धारित करने का आधार;
 - (ज) पुनः क्रय के लिए भुगतान किए जाने वाली अधिकतम राशि और निधियों के स्रोत जिनसे पुनः क्रय का वित्तपोषण किया जाएगा;
 - (झ) पुनः क्रय को पूरा करने हेतु समय-सीमा;
 - (ञ) (i) जहां प्रवर्तक एक कंपनी है और बैठक आहूत करने की तारीख के नोटिस की तारीख को निदेशक और
 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का प्रवर्तकों की कुल शेयरधारिता और प्रवर्तक के निदेशकों में कुल शेयरधारिता;
 - (ii) बोर्ड बैठक जिसमें पुनः क्रय को अनुमोदित किया गया था, की तारीख से पूर्ववर्ती बारह महीने की अवधि के दौरान और साधारण अधिवेशन आहूत करने की सूचना की तारीख तक उस तारीख से उप-खंड (i) में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा क्रय किए गए अथवा बेचे गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या;
 - (iii) अधिकतम तथा न्यूनतम कीमत, जिस पर उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट क्रय और विक्रय की जिस पर क्रय और विक्रय सुसंगत तारीख के साथ किए गएः
- (ट) यदि खंड (ञ) का उप-खंड (i) में उल्लिखित व्यक्तियों का आशय पुनः क्रय हेतु उनकी निविदा देना है—
 - (i) निविदा दिए जाने वाले प्रस्तावित शेयरों की प्रमात्रा;
 - (iii) बोर्ड बैठक की तारीख जिसमें पुनः क्रय का अनुमोदन प्रदान किया गया था, से पूर्व की तारीख के विगत बारह माह के उनके संव्यवहारों और उनकी धारिता के ब्यौरे जिनमें अर्जित शेयरों की संख्या के संबंध में सूचना, कीमत और अर्जन की तारीख शामिल है:-
- (ठ) यह पुष्टि कि जमाओं के पुनःसंदाय उन पर ब्याज भुगतान, डिबेंचरों का मोचन अथवा उस पर ब्याज का भुगतान अथवा अधिमान शेयरों का मोचन या किसी शेयरधारक को देय लाभांश का भुगतान या किसी अवधि ऋण

का मोचन अथवा इस पर देय ब्याज के मोचन में किसी बैंककारी संस्था अथवा बैंककारी कंपनी प्रतिसंदाय करने में कोई निरंतर चूकें नहीं हुई है;

- (ड) यह पुष्टि कि निदेशक मंडल ने कंपनी के कार्य और विवरणिका की पूर्ण जांच कर ली है और यह भी कि यह राय स्थापित की है-
 - (i) यह पुष्टि कि उस तारीख के पश्चात् जिस पर साधारण अधिवेशन आहूत किया जाता है, ऐसा कोई आधार नहीं होगा जिस पर कंपनी को इसके उधारों के संदाय करने के लिए असमर्थ पाया जा सकेगा;
 - (ii) विगत वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय के प्रबंध के संबंध में उनके आशयों और वित्तीय संसाधनों की राशि और स्वरूप पर ध्यान देते हुए उस तारीख के विल्कुल बाद आने वाले वर्ष की विवरणिका के संबंध में यह विचार करते हुए कि जो उनकी राय में उस वर्ष कंपनी में उपलब्ध होंगे, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जब भी इसे देयताएं होती है तब यह कंपनी अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम होगी और यह दिवालिया घोषित नहीं होगी; और
 - (iii)निदेशकों ने दायित्वों (प्रत्याशित और आकस्मिक दायित्वों सहित) पर विचार किया है मानों कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन कंपनी का समापन किया गया होता।
- (ढ) कंपनी लेखापरीक्षकों द्वारा निदेशक मंडल को संप्रेषित रिपोर्ट जिसमे यह कहा गया है कि-
 - (i) उन्होंने कंपनी के कार्य की स्थिति की जांच कर ली है;
 - (ii) प्रतिभूतियों के लिए अनुमत पूंजी भुगतान की राशि उनकी राय में समुचित रूप से अवधारित की गई है;
 - (iii)यह कि लेखापरीक्षित लेखाओं जिनके आधार पर पुनः क्रय के संदर्भ में प्रस्थापना दस्तावेज की तारीख से छः महीने की अवधि में परिकलन किया जाता है; और
 - (iv)निदेशक मंडल खंड (ड) में यथा विनिर्दिष्ट यह राय बना चुका है कि अपने कार्य की स्थिति के संबंध में कंपनी को उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के दिवालिया नहीं किया जाएगा।
- (2) कंपनी, जिसे एक विशेष संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया है, शेयरों के पुनः क्रय से पूर्व फीस के साथ प्ररूप संख्या एस.एच.8 में कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्थापना-पत्र जमा करेगीः परंतु ऐसे प्रस्थापना पत्र पूर्व दिनांकित और कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से कम से कम दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे, जहां पर एक निदेशक है वहां उनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा।
- (3) कंपनी प्रस्थापना पत्र के साथ रजिस्ट्रार और सूचीबद्ध कंपनी के मामले में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास फीस के साथ प्ररूप संख्या एस.एच.9 में दिवालियापन की एक घोषणा फाइल करेगी, यह प्ररूप कम से कम कंपनी के दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित होगा, उनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा, यदि कोई हो, और उक्त प्ररूप में यथाविनिर्दिष्ट शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित होगा।
- (4) कंपनी रजिस्ट्रार के पास इसे फाइल कराने के बिल्कुल पश्चात् किंतु कंपनी रजिस्ट्रार के साथ इसको फाइल कराने के बीस दिन के अधिक नहीं, शेयरधारकों या प्रतिभूतिधारकों को प्रस्थापना-पत्र प्रेषित किए जाएंगे।
- (5) पुनः क्रय का प्रस्थापना पंद्रह दिन की अवधि से अन्यून खुला रहेगा और यह अवधि प्रस्थापना पत्र प्रेषित करने की तारीख से तीस दिनों से अधिक नहीं होगी।
- (6) यदि शेयरधारकों अथवा प्रतिभूति धारकों द्वारा प्रस्थापित किए जा रहे शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की संख्या, कंपनी द्वारा पुनः क्रय किए शेयरों या प्रतिभूतियों की कुल संख्या से अधिक है तो प्रति शेयरधारक की स्वीकृति पुनः, क्रय करने हेतु प्रस्थापित किए जा रहे कुल शेयरों में से समानुपात आधार पर होगी।

- (7) कंपनी, प्रस्थापना बंद होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर प्राप्त की गई प्रस्थापनाओं के सत्यापन को पूरा करेगी और प्रस्तुत (रखे) किए गए शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों को स्वीकृत मान लिया जाएगा, जब तक कि प्रस्थापना बंद होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अस्वीकार की सूचना नहीं दे दी जाती है।
- (8) कंपनी प्रस्थापना के बंद होने की तारीख के बिल्कुल पश्चात् एक पृथक बैंक खाता खोलेगी और उसमें ऐसी राशियां जमा करेगी जो इन नियमों के निबंधनों में पुनःक्रय के लिए निविदा किए गए शेयरों के लिए प्रतिफल के रूप में संपूर्ण देय और शोधित राशि की प्रतिपूर्ति करेंगे।
- (9) कंपनी उप-नियम (7) में विनिर्दिष्ट समय के सात दिवसों के भीतर
 - (क) उन शेयरधारकों या प्रतिभूति धारकों के रोकड़ में प्रतिफल का संदाय करेंगी, जिनकी प्रतिभूतियों को स्वीकार कर लिया गया है; अथवा
 - (ख) उन शेयरधारकों या प्रतिभूतिधारकों को शेयर प्रमाण-पत्र वापस कर देगी, जिनकी प्रतिभूतियों को विल्कुल ही
 स्वीकार्य नहीं किया गया है अथवा आंशिक रूप से स्वीकृति के मामले में शेष प्रतिभूतियों को वापस करेगी।
- (10) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि
 - (क) प्रस्थापना पत्र में सत्य, पूर्ण, तात्विक और वास्तविक सूचना शामिल हो और इसमें कोई भ्रामक सूचना अंतर्विष्ट न हो और यह अवश्य कहा गया हो कि कंपनी के निदेशक ऐसे दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना के उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं।
 - (ख) कंपनी इन नियमों के अधीन पुनः क्रय करने को प्राधिकृत करने हेतु विशिष्ट संकल्प पारित करने की तारीख से प्रस्थापना बंद होने की तारीख तक कोई नए शेयर जिनमें बोनस शेयर के जरिए भी शामिल, जारी नहीं करेगी, सिवाय उन परिस्थितियों के जो किसी बकाया संपरिवर्तनीय लिखत के कारण उत्पन्न होती है;
 - (ग) कंपनी इसकी प्रस्थापना में एक पृथक बैंक खाता खोलने के प्रस्थापना की पुष्टि करेगी जो इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त रूप से वित्त-पोषित हो और केवल रोकड़ के जरिए प्रतिफल का भुगतान करेगी;
 - (घ) कंपनी जब एक बार शेयरधारकों की प्रस्थापना घोषित कर देती है तो वह इस प्रस्थापना को वापस नहीं लेगी;
 - *(ङ)* कंपनी अपने शेयरों के पुनः क्रय के प्रयोजन के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से उधार लिए गए धन का उपयोग नहीं करेगी; और
 - (च) कंपनी, पुनःक्रय हेतु इसी प्रकार के शेयरों या इसी प्रकार की अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के पूर्व निर्गम आगमों का उपयोग नहीं करेगी।
- 12(क)कंपनी **प्ररूप संख्या एस.एच.10** में उन शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों, जिनका पुनः क्रय किया गया है, के रजिस्टर का रखरखाव करेगी
- (ख) शेयरों अथवा प्रतिभूति पुनःक्रय रजिस्टर, कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और इसे कंपनी सचिव या इस निमित्त बोर्ड द्वारा किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के संरक्षण में रखा जाएगा।
- (ग) रजिस्टर में प्रविष्टियों को कंपनी सचिव या इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।
- (13) कंपनी इन नियमों के अधीन पुनः क्रय पूर्व होने के पश्चात् रजिस्ट्रार, और एक सूचीबद्ध कंपनी के मामले में रजिस्ट्रार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के मामले में फीस सहित **प्ररूप संख्या एस.एसच.11** में विवरणी फाइल करेगी।
- (14) रजिस्ट्रार को **प्ररूप संख्या एस.एच.11** में फाइल की गई विवरणी से उपाबद्ध **प्ररूप संख्या एस.एसच.15** में एक प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा जो प्रबंध निदेशक सहित, कंपनी के दो निदेशक यदि कोई हो, द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसमें यह

प्रमाणित किया जाएगा कि प्रतिभूतियों का पुनः क्रय अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है।

डिबेंचर –

18.(1) कंपनी तब तक सुरक्षित डिबेंचर जारी नहीं करेगी जब तक यह निम्नलिखित शर्तों पूरी नहीं कर लेती है, अर्थात्:-

(क) सुरक्षित डिबेंचरों का एक निर्गम किया जा सकेगा, बशर्ते इसके मोचन की तारीख निर्गम की तारीख से दस वर्ष से अधिक न हो। प्रांत अवसंरचना परियोजनाओं को स्थापित करने में लगी एक कंपनी तस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सरक्षित

परंतु अवसंरचना परियोजनाओं को स्थापित करने में लगी एक कंपनी दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सुरक्षित डिबेंचर जारी कर सकती है किंतु यह तीस वर्ष से अधिक नहीं होगी;

- (ख) ऐसे डिबेंचर के निर्गम को कंपनी की संपत्ति या आस्तियों पर एक प्रभार सृजित करके सुरक्षित किया जाएगा, इसका मूल्य वह होगा जो डिबेंचरों और उन पर लगे हुए ब्याज की राशि के बकाया मोचन हेतु पर्याप्त होगा;
- (ग) कंपनी अपने डिबेंचरों के अंशदान हेतु विवरणिका पुस्तक या प्रस्थापना पत्र जारी करने से पूर्व एक डिबेंचर न्यासी नियुक्त करेगा जो डिबेंचरों के आबंटन के साठ दिनों के भीतर ही होगी और कंपनी डिबेंचर धारकों के हित को सुरक्षित रखने के लिए एक डिबेंचर न्यास विलेख का कार्यान्वयन करेगा; और
- (घ) डिबेंचर न्यासी के पक्ष में प्रभार या बंधक के जरिए निम्नलिखित पर प्रतिभूति होगी-
 - (i) कंपनी की कोई विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति जो गिरवी के स्वरूप में न हो; और
 - (ii) कोई विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति जो चाहे कहीं भी स्थित हो अथवा उनमें कोई हित।

(2) कंपनी निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात् धारा 71 की उप-धारा (5) के अधीन डिबेंचर न्यासियों को नियुक्त करेगी, अर्थातः

(क) डिबेंचर न्यासियों के नामों का उल्लेख डिबेंचर हेतु अंशदान आमंत्रित करते हुए प्रस्थापना-पत्र और डिबेंचर धारकों को भेजे जाने वाले तत्पश्चात् के नोटिसों या अन्य सूचनाओं में किया जाएगा;

(ख) डिबेंचर न्यासी अथवा न्यासियों की नियुक्ति से पूर्व नियुक्त करने हेतु ऐसे प्रस्तावित ऐसे डिबेंचर न्यासी अथवा न्यासियों से एक लिखित सम्मति प्राप्त की जाएगी और डिबेंचरों के अंशदान को आमंत्रित करने के लिए प्रस्थापना पत्र में उसके लिए एक विवरण दर्शाया गया है;

- (ग) एक व्यक्ति को डिबेंचर न्यासी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, यदि वह-
- (i) वह कंपनी में फायदाप्रद शेयर धारक है;
- (ii) यदि वह कंपनी या इसकी नियंत्रक, सहायक या संबद्ध कंपनी में एक प्रवर्तक, निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या कोई अन्य अधिकारी या कोई कर्मचारी है;
- (iii) फायदाग्राही है जो उन धन का हकदार है जिसे कंपनी द्वारा उसे भुगतान किया जाना है अन्यथा डिबेंचर न्यासी को संदेय पारिश्रमिक के रूप में;
- (iv) कंपनी अथवा इसी सहायक या इसकी नियंत्रण या संबद्ध कंपनी या ऐसी नियंत्रक कंपनी की एक सहायक या, उसकी ऋणी हो;
- (v) डिबेंचरों अथवा उन पर ब्याज द्वारा सुरक्षित मूल ऋण के संबंध में कोई गारंटी प्रस्तुत की है।

(vi) दो नजदीकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के साथ कोई आर्थिक रूप से संबद्ध है जिसकी राशि इसके समग्र कारोबार की दो प्रतिशत या अधिक अथवा पचास लाख रुपए की कुल आय अथवा ऐसा अधिक ऊंची राशि जो निर्धारित की गई हो, इनमें जो भी कम हो;

(vii) किसी प्रवर्तक या किसी व्यक्ति का संबंधी है जो एक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में कंपनी के नियोजन में है;

(घ) बोर्ड न्यासी कार्यालय में किसी आकस्मिक रिक्ति को भर सकेगा किंतु जब कोई ऐसी रिक्ति जारी रहती है तो शेष एक न्यासी या न्यासियों, यदि कोई हो, कार्य कर सकता हैः

परंतु जहां ऐसी रिक्ति डिबेंचर न्यासी के त्याग-पत्र के कारण हुई है, वहां रिक्ति को केवल डिबेंचरधारकों के बहुमत से उनकी लिखित सम्मति के साथ भरा जा सकता है।

(ङ) कोई भी डिबेंचर न्यासी उसके कार्यालय से उसकी कार्यावधि समाप्त होने से पूर्व केवल तभी हटाया जा सकता है यदि उनकी बैठक में बकाया डिबेंचरों के मूल्य में तीन चौथाई धारकों द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया जाता है।

(3) प्रत्येक डिबेंचर न्यासी का यह कर्तव्य होगा कि-

(क) स्वयं का समाधान करें कि प्रस्थापना पत्र में ऐसा कोई मामला अंतर्विष्ट नहीं है जो डिबेंचर निर्गम की शर्तों अथवा न्यास प्रलेख के अनुरूप नहीं है;

(ख) स्वयं का समाधान करें कि न्यास प्रलेख में कन्वेनेंट्स डिबेंचर धारकों के हित के प्रतिकूल नहीं है;

(ग) कंपनी से आवधिक प्रास्थिति या निष्पादन रिपोर्टों की मांग करना;

(घ) डिबेंचरों के मोचन पर ब्याज के भुगतान के संबंध में डिबेंचर धारकों की चूक को शीघ्रता से सूचित करे, यदि कोई हो, और न्यासी द्वारा इसके लिए की गई कार्रवाई;

(ङ) निम्नलिखित घटना में कंपनी के बोर्ड में एक नामनिर्देशित निदेशक को नियुक्त करना-

- (i) डिबेंचरधारकों को ब्याज के संदाय में दो लगातार चूकें; अथवा
- (ii) डिबेंचरों की सुरक्षा के सृजन में चूक; और
- (iii) डिबेंचरों के मोचन में चूका

(च) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी डिबेंचरों के निर्गम के निबंधनों अथवा न्यास प्रलेख के कॉविनेंटस्ट का कोई भंग नहीं किया है और ऐसे उपयुक्त कदम उठाए है जो ऐसे भंग के उपचार के लिए आवश्यक हो।

(छ) डिबेंचर धारकों को तत्काल ही डिबेंचरों अथवा न्यास प्रलेख के कॉविनेंटस्ट के निर्गम की शर्तों के किसी भंग को सूचित करना;

(ज) डिबेंचरों की सुरक्षा सृजित करने और डिबेंचर मोचन आरक्षण के संबंध में, यदि कोई हो, शर्तों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

(झ) यह सुनिश्चित करना कि डिबेंचर जारी कर रही कंपनी और प्रत्याभूतिदाता, की आस्तियां, यदि कोई हो, हमेशा ब्याज और मूल राशि चुकाने के लिए पर्याप्त है और यह कि ऐसी आस्तियां किसी अन्य विल्लंगमों से मुक्त है सिवाय उनके जिन पर डिबेंचर धारक विनिर्दिष्ट रूप से सहमत है;

(ञ) ऐसे कार्य करना जो प्रतिभूति के प्रवर्तनीय होने की घटना में आवश्यक होते हैं;

- (ट) डिबेंचरों के निर्गम से जुटाई गई निधियों के उपयोग के संबंध में रिपोर्टों की मांग करना;
- (ठ) जब भी कभी ऐसी बैठक को कराना अपेक्षित होता है, डिबेंचरधारकों की बैठक आयोजित करने के लिए उपाय करना;
- (ड) यह सुनिश्चित करना कि डिबेंचरों के निर्गम की शर्तों के अनुसार डिबेंचरों को परिवर्तित या मोचित किया गया है;

(ढ) ऐसे कार्य करना जो डिबेंचरधारकों के हित के संरक्षण के लिए आवश्यक है और सभी अन्य कार्य करना जो डिबेंचरधारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए आवश्यक है।

- (4) डिबेंचर न्यासी द्वारा सभी डिबेंचरधारकों की बैठक निम्नलिखित पर आयोजित की जाएगी-
- (क) अस्थायी रूप से बकाया हेतु डिबेंचरों के कम से कम मूल्य के एक-दसवें पर नियंत्रण रखने वाले डिबेंचरधारकों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में मांगपर्ची;

- (ख) किसी घटना का होना, जो भंग, चूक का एक घटक बना जाता है अथवा जो डिबेंचरधारक न्यासियों की राय में डिबेंचरधारकों के हित प्रभावित करता है।
- (5) धारा 71 की उप-धारा (31) और उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए प्ररूप संख्या एस.एच.12 में न्यास प्रलेख अथवा जहां तक संभव हो इसके उसके जैसे, का निष्पादन कंपनी द्वारा डिबेंचरों के आबंटन के साठ दिनों के भीतर डिबेंचर न्यासियों के पक्ष में डिबेंचर जारी करने वाली कंपनी द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा।
- (6) नियम 18 उप-नियम (2) से उपनियम (5) के उपबंध डिबेंचरों की लोक प्रस्थापना पर लागू नहीं होंगे।
- (7) कंपनी नीचे दी गई शर्तों के अनुसार डिबेंचरों के मोचन के लिए एक डिबेंचर मोचन आरक्षण का सृजन करेगीः
 (क)लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध कंपनी के लाभों में से डिबेंचर मोचन आरक्षण सृजित किया जाएगा;
 - (ख) कंपनी नीचे दी गई शर्तों के अनुसार डिबेंचरों के मोचन के लिए एक डिबेंचर मोचन आरक्षण का सृजन करेगीः
 - (i) भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकिंग कंपनियों द्वारा विनियमित किए जा रहे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) द्वारा पब्लिक और प्राईवेट, दोनों, आधार पर जारी डिबेंचरों के लिए कोई डीआरआर अपेक्षित नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (72) के आशय में शामिल अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए डीआरआर वही होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी के लिए लागू है।
 - (ii) भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 45-झक के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी के लिए डीआरआर की 'अपेक्षा' वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना तथा सूचीकरण) नियमन, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से जारी डिबेंचरों के मूल्य का 25% होगा और प्राईवेट प्रस्थापित डिबेंचरों के मामले में कोई डीआरआर अपेक्षित नहीं है।
 - (iii) निर्माण और अवसंरचना कंपनियों सहित अन्य कंपनियों के लिए डीआरआर की अपेक्षा वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना तथा सूचीकरण) नियमन, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से जारी डिबेंचरों के मूल्य का 25% होगा और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्राईवेट प्रस्थापित डिबेंचरों के मामले में भी 25% डीआरआर अपेक्षित है। प्राईवेट स्थापन आधार पर डिबेंचर जारी करने वाली असूचीबद्ध कंपनियों के लिए डीआरआर डिबेंचरों के मूल्य का 25% होगा।
 - (ग)प्रत्येक कंपनी जिसे डिबेंचर मोचन आरक्षण का निर्माण करना अपेक्षित है वह प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या इससे पहले एक या एक से अधिक निम्नलिखित ढंगों से एक राशि अर्थात्, यथास्थिति, निवेश या जमा, कर सकता है जो अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान अपने देय डिबेंचरों की पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं होगीः
 - (i) किसी अनुसूचित बैंक में जमा किसी भी प्रभार या धारणाधिकार से मुक्त होंगे;
 - (ii) केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की अविल्लंगमित प्रतिभूतियां;

(iii) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के खंड (क) से खंड (घ) और (ड.ड.) में उल्लिखित अविल्लंगमित प्रतिभूतियां;

(iv) किसी अन्य कंपनी द्वारा जारी अविल्लंगमित बंधपत्र, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के खंड (च) के अधीन अधिसूचित किए गए हैं;

 (v) यथा उपर्युक्त निवेश की गई या जमा की गई राशि का उपयोग उपर्युक्त निर्दिष्ट वर्ष के दौरान देय डिबेंचरों के मोचन के अतिरिक्त किसी और प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगाः

परंतु, यथास्थिति, शेष निवेश की गई या जमा की गई राशि, उस वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान परिपक्व डिबेंचरों की राशि के पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी।

 (घ) आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में, इस उप-नियम के अनुसार डिबेंचरों के निर्गमों के गैर-परिवर्तनीय भाग के संबंध में डिबेंचर मोचन आरक्षण का सृजन किया जाएगा। (ङ) डिबेंचर मोचन आरक्षण में जमा की गई राशि का उपयोग कंपनी द्वारा नहीं किया जाएगा सिवाय डिबेंचर मोचन के प्रयोजन हेतु।

(8)

(क) डिबेंचरों के किसी निर्गम को आरक्षित करने के लिए एक न्यास-विलेख उसी प्रकार से, उसी सीमा तक उसी फीस के भुगतान पर, कंपनी के किसी भी सदस्य या डिबेंचर धारक को निरीक्षण करने के लिए खुला होगा, जैसा कि मानों कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर होता; और

(ख) उसके अनुरोध पर फीस के भुगतान पर न्यास विलेख की एक प्रति कंपनी के किसी सदस्य या डिबेंचर धारक को उसका अनुरोध करने के सात दिन के भीतर भेज दी जाएगी।

प्रतिभूतिधारकों द्वारा नामनिर्देशन -

19.(1) एक कंपनी, किसी भी समय किसी भी प्ररूप संख्या एस.एच.13 में अपने नामनिर्देशिती के रूप में नामनिर्देशन कर सकती है, जिसमें उसकी मृत्यु होने की दशा में प्रतिभूतियां प्रदान की जाएगी।

(2) नामनिर्देशन प्ररूप प्राप्त होने पर, धारा 88 के अधीन अनुरक्षित प्रतिभूतिधारकों के सुसंगत रजिस्टर में उसी समय पर तत्स्थानी प्रविष्टि की जाएगी।

(3) जहां नामनिर्देशन एक से अधिक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिभूतियां धारित हैं, वहां सभी संयुक्तधारक एक साथ प्ररूप संख्या एस एच 13 में किसी व्यक्ति को नामनिर्देशिती के रूप में नामनिर्देशन करेंगे।

(4) सम्यक रूप से भरे गए और हस्ताक्षरित नामनिर्देशन प्ररूप प्राप्त होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर नामनिर्देशन के लिए अनुरोध को कंपनी द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिए।

(5) किसी प्रतिभूतिधारक की मृत्यु होने की दशा में अथवा जहां पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित है, वहां सभी संयुक्तधारकों की मृत्यु की दशा में, नामनिर्देशन किया गया नामनिर्देशिती, बोर्ड द्वारा यथा अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर इनमें कोई भी चयन कर सकता है।

- (क) स्वयं को प्रतिभूतियों के धारक के रूप में रजिस्टर्ड कराना; अथवा
- (ख) प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करना, जैसा कि मृतक धारक करता।

(6) यदि नामनिर्देशिती होने के नाते एक व्यक्ति इस प्रकार पात्र होने पर स्वयं प्रतिभूतियों के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का चयन करता है, उसके द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित नोटिस कंपनी को सुपुर्द अथवा भेजा जाएगा जिसमें यह कहा गया हो कि वह ऐसा चयन करता है और ऐसे नोटिस के साथ मृत शेयर या डिबेंचर धारक (धारकौँ) की मृत्यु का प्रमाण-पत्र लगा होना चाहिए।

(7) हस्तांतरण अधिकार और प्रतिभूति हस्तांतरण को रजिस्ट्रीकरण से संबंधित सभी सीमाएं, निर्बंधन और अधिनियम के उपबंध यथा पूर्वोक्त ऐसे नोटिस या हस्तांतरण पर लागू होंगे मानो कि शेयर या डिबेंचर धारक की मृत्यु घटित नहीं हुई हो और, यथास्थिति, नोटिस या हस्तांतरण उस शेयरधारक या डिबेंचरधारक द्वारा हस्ताक्षरित हस्तांतरण हो।

(8) नामनिर्देशिती होने के नाते धारक की मृत्यु होने के कारण एक व्यक्ति के किसी प्रतिभूतियों के लिए पात्र होने पर वह उन सभी लाभांशों या लाभांशों या ब्याजों और अन्य लाभों के लिए पात्र होगा जिनका वह पात्र होता मानो वह प्रतिभूतियों के लिए रजिस्ट्रीकृत हो तो, सिवाय इसके कि वह ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में रजिस्ट्रीकृत होने से पूर्व कंपनी के बैठकों के संबंध में सदस्यता द्वारा प्रदान किसी अधिकार का उपयोग करने का पात्र नहीं होगाः

परंतु कि बोर्ड किसी भी समय पर किसी ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए नोटिस देता है कि वह या तो स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराने का चयन करे, या प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करे और यदि नब्बे दिन के भीतर नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है, बोर्ड इसके पश्चात् सभी, यथास्थिति, लाभांशों या ब्याजों, बोनसों अथवा प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान किए जाने वाले धन को रोक सकता है, जब तक कि नोटिस की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर लिया जाता है।

(9) प्रतिभूतियों के धारक, जिनका नामनिर्देशन किया है, द्वारा प्ररूप संख्या एस.एच.14 कंपनी को ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन का एक नोटिस देते हुए वर्तमान नामनिर्देशिती के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित करते हुए नामनिर्देशन को निरस्त या परिवर्तित किया जा सकता है।

(10) ऐसा निरस्तीकरण या परिवर्तन उस तारीख से प्रभावी होगा जब कंपनी द्वारा ऐसे परिवर्तन या निरस्तीकरण के नोटिस को प्राप्त किया गया है।

(11) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां शेयर या प्रतिभूतियों का धारक नामनिर्देशन करते समय उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप संख्या एच.एच.14 के अधीन एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है (1), जो उसके वयस्क होने की अवधि के दौरान नामनिर्देशिती मृत्यु की दशा में कंपनी की प्रतिभूतियों का पात्र होगा।

उपा**बंध**

प्ररूप संख्या एसएच-1
शेयर प्रमाण-पत्र
[कंपनी अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (3) और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 5(2) के
अनुसरण में]
लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड
(कारपोरेट पहचान संख्या)
(कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 केके अधीन निगमित)
रजिस्ट्रीकृत कार्यालयः
यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाण-पत्र में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के अध्यधीन यहां उपर्युक्त नामित कंपनी में विनिर्दिष्ट के भीतर सुभिन्न संख्या (संख्याऔँ) उल्लिखित शेयर (शेयरों) के रजिस्ट्रीकृत धारक है और उसमें पृष्ठांकित राशि ऐसे प्रत्येक शेयर के लिए समादत्त है।
प्रति साधारण शेयर रुपए
प्रति शेयर समादत्त राशि
रजिस्टर फोलियो संख्याः प्रमाण-पत्र संख्याः
धारक (धारकों) का नामः
धारित शेयरो की संख्या
(शब्दों में) (अंकों में)
सुभिन्न संख्यांक (संख्याएँ): से से तक (दोनों समाविष्ट)
को कंपनी की मुद्रा के अधीन तारीखमासमास2013 को हस्ताक्षरित
(1) निदेशकः

(2) निदेशकः

(3) सचिव या अन्य कोई प्राधिकृत व्यक्तिः

टिप्पणः प्रमाण-पत्र में समर्विष्ट किसी शेयर (शेयरों) का हस्तांतरण तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक की उसे प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाता है।

प्ररूप संख्या एसएच-2

नवीकृत और डुप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्रों का रजिस्टर

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 46 की उप-धारा (3) और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर नियम, 2014 के नियम (3)(क) के अनुसरण में)]

क्र.सं	फोलियो संख्या	व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम जिन्हें	नवीकृत या डुप्लीकेट शेयर	शेयरों का वर्ग
		नवीकृत या डुप्लीकेट शेयर प्रमाण	प्रमाण-पत्र जारी करने के	
		जारी किए गए हैं	अनुमोदन की तारीख	
1	2	3	4	5

मूल शेयर प्रमाण-पत्र	मूल शेयर	मूल शेयर प्रमाण-	शेयरों की सुभिन्न संख्या	नवीकृत या
जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र	पत्र में शेयरों की		डुप्लीकेट शेयर
	संख्या	कुल संख्या		प्रमाण-पत्र जारी
			संख्या से संख्या तक	करने की तारीख
6	7	8	9	10

		नवीकृत या डुप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्र की कुल संख्या		टिप्पणी
11	12	13	14	15

प्ररूप संख्या एसएच-3

श्रमसाध्य साधारण शेयर का रजिस्टर

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 54 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर नियम, 2014 के नियम 8(14) के अनुसरण में)]

क्र.सं.	सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्टि का संदर्भ	आबंटी का नाम	आबंटी की स्थिति चाहे निदेशक या कर्मचारी हो	बोर्ड के संकल्प पारित करने की तारीख
1	2	3	4	5

श्रमसाध्य साधारण शेयरों के निर्गम	श्रमसाध्य साधारण शेयर को	जारी किए गए श्रमसाध्य	प्रमाण-पत्र संख्या या
को प्राधिकृत करने के लिए विशेष	जारी करने की तारीख	साधारण शेयरों की संख्या	फोलियो संख्या
संकल्प की तारीख			
6	7	8	9

27

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

शेयर का सुभिन्न	मूल्य	कीमत जि	ास पर शेयर	स	मादत्त पूंज	ी के रूप	न	कर्मचारी या	निदेश	क द्वारा संद	त्त कुल प्रतिफ	ल,
- · ·		केए गए है	में माने जाने वाली				यदि कोई हो					
					राशि	T						
								· ·			<u> </u>	
								रोकड़ में प्राप्त	किया	राकड़ व	⁵ अतिरिक्त अ	ान्य
						गया प्रतिफल		किसी प्रतिफल के विव		र ण		
10	10 1'		11	12				13		14		
	परिब	ाद <u>्ध</u> रहने	टिप्पणी, य	दि	कार्यभार	ग्रहण	मू	ल्यांकक द्वारा	मूल्यां	कन का	मूल्याकंक	का
परिबद्ध रहने	की	अवधि की	कोई हो		करने	की	प्र	ाप्त उचित	आधा	र	नाम	
की अवधि	समा	प्ति की	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		तारीख		मू	ल्य				
	तारी	ख						X .				
15		16	17		5			12		13	14	

प्ररूप संख्या एचएच-4

प्रतिभूति हस्तांतरण प्ररूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 56 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर] नियम, 2014 के अनुसरण में]

कार्य-निष्पादन की तारीख.....

हस्तांतरणकर्ता उन शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जिनके आधार पर उक्त प्रतिभूतियां अब हस्तांतरणकर्ता द्वारा धारित प्रतिभूतियों के अंतरिती को नीचे उल्लिखित प्रतिफल के लिए नामित "हस्तांतरणकर्ताओं" नीचे निर्दिष्ट प्रतिभूतियां अंतरित करता है और अंतरिती पूर्वोक्त शर्तों के अध्यधीन उक्त प्रतिभूतियों को स्वीकार करने और धारण करने के लिए सहमत हुआ है।

सीआईएनः

कंपनी का नाम (पूरा नाम):

स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां पर कंपनी सूचीबद्ध है, यदि कोई हो तो:

28

ातिभूतियों का विव	रण		
प्रतिभूतियों का	प्रत्येक प्रतिभूति यूनिट का	प्रति प्रतिभूति यूनिट के लिए	प्रति प्रतिभूति यूनिट
प्रकार या वर्ग	अभिहित मूल्य	मांगी गई राशि	संदत्त राश <u>ि</u>
(1)	(2)	(3)	(4)
	प्रतिभूतियों का		ें प्रतिभूतियों का प्रत्येक प्रतिभूति यूनिट का प्रति प्रतिभूति यूनिट के लिए

हिस्तांतरित की जा रही प्रतिध	मूतियों की संख्या	प्राप्त प्रतिफल (रुपए)			
अंकों में	शब्दों में	शब्दों में	अंकों में		

सुभिन्न संख्या	संख्या से			
संख्या				
	संख्या तक			
तत्संबंधी	प्रमाण-पत्र			
संख्याएं				
1915				

हस्तांतरणकर्ता के ब्यौरे
रजिस्ट्रीकृत फोलियो संख्याः
नाम(पूरा) हस्ताक्षर
1.
2.
3.
मैं, प्रमाणित करता हूं कि हस्तांतरणकर्ता ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए हैं।
गवाह के हस्ताक्षर
नाम और पता

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

		अंतरित	ी के ब्यौर <u>े</u>		
पूरा नाम	पिता/माता/पति- पत्नी का नाम	पता तथा ई-मेल आईडी	व्यवसाय	मौजूदा फोलिया संख्या यदि कोई हो तो	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
संलग्नकः (1) शेयर प्रमाण-प (2) यदि कोई प्रमा	यो संख्या । संख्याः । संख्याः ग-पत्र जारी नहीं किय ष्ट करें	[ा] प्रतिभूतियां ा जाता है, आबंटन-	पत्र	अंतरिती 	के नमूना हस्ताक्षर
मुहर					
केवल कार्यालय प्रयोग हेतु					
	द्वारा गान	द्वारा			

हस्तांतरण रजिस्टर में, हस्तांतरण संख्या को द्वारा तारीख के द्वारा तारीख को प्रविष्टि की गई
अनुमोदन की तारीख
मुख्तारनामा/इच्छा प्रमाण-पत्र/मृत्यु प्रमाण-पत्र/प्रशासन-पत्र तारीखकी संख्याकी संख्या पर रजिस्ट्रीकृत

प्रमाण-पत्र के पिछले पृष्ठ पर			
हस्तांतरणकर्ता का नाम	अंतरिती का नाम	शेयरों की संख्या	हस्तांतरण की तारीख
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस	न्ताक्षर		

प्ररूप संख्या एसएच-5

आंशिक रूप से संदत्त प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए नोटिस

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 56 की उप-धारा (3) और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में]

सेवा में,

.....

.....

(आंतरिती का नाम और पता)

विषयः आंशिक रूप से संदत्त प्रतिभूतियों का हस्तांतरण

31

यह नोटिस दिया जाता है कि हस्तांतरणकर्ता द्वारा उपर्युक्त नाम की कंपनी की प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए हस्तांतरणकर्ता द्वारा एक आवेदन किया गया है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है-

हस्तांतरणकर्ता का नाम और पताः

अंतरिती का नाम और पताः

प्रतिभूतियों का वर्ग/प्रकारः

प्रतिभूतियों की संख्याः

प्रतिभूतियों की सुभिन्न संख्याएं:

प्रत्येक प्रतिभूति का अभिहित मूल्यः

प्रत्येक प्रतिभूति की निर्गम कीमतः

प्रत्येक प्रतिभूति पर मांगी गई राशिः

प्रत्येक प्रतिभूति पर संदत्त राशिः

प्रत्येक प्रतिभूति पर मांगी गई राशि और देय राशिः

प्रत्येक प्रतिभूति पर मांग की गई राशिः

स्थानांतरण के लिए प्रस्तुत की गई कुल प्रतिभूतियों की संख्या पर मांगी गई और देय कुल राशिः

स्थानातंरण के लिए प्रस्तुत की गई कुल प्रतिभूतियों की संख्या पर मांग नहीं की गई राशिः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 56 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित, कंपनी द्वारा तारीख.....की(माह).....की(माह).....की (माह)......को अंतरिती को नोटिस दिया जाता है कि उपर्युक्त उल्लिखित प्रतिभूतियां आंशिक रूप से संदत्त है और अंतरिती, प्रतिभूतियों पर असंदत्त शेष राशि को अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अंतरिती से यह अनुरोध किया जाता है कि वह उसके/उसकी आपत्ति, यदि कोई हो, को इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे, ऐसा न होने पर यह उपधारित किया जाएगा कि उसे या उसको हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है और बिना किसी अतिरिक्त पत्राचार किए प्रतिभूतियों को उसके नाम हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षरः

प्ररूप संख्या एसएच-6

कर्मचारी स्टॉक विकल्प रजिस्टर

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 12(10) के अनुसरण में]

कंपनी का नाम

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता

विशेष संकल्प की तारीख.....

क्र.सं.	गारंटी देने वाले के हस्ताक्षर	प्रदान किए गए विकल्पों की संख्या	विकल्प प्रदान किए जाने की तारीख	प्रयोग की अवधि
1	2	3	4	5

तारीख जिन पर विकल्पों	प्रयोग किए गए तारीख	प्रयोग कीमत	विकल्प के प्रयोग के
का प्रयोग किया			परिणामस्वरूप शेयरों की
			संख्या
6	7	8	9

सदस्यों के रजिस्टर की संबंधित प्रविष्टि के साथ फोलियो संख्या	परिबद्ध रहने की अवधि, यदि कोई हो तो	व्यपगत का विकल्प, यदि कोई हो	प्रवृत्त विकल्पों की कुल संख्या	यदि विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो जब्त या वापसी की गई राशि
10	11	12	13	14

स्कीम के निबंधनों में और इसके प्रभावों में कोई परिवर्तन	हस्ताक्षर	टिप्पणी		
15	16	17		

	र पूंजी में किसी परिवर्तन का स्ट्रार को नोटिस
⊥	
प्ररूप फाइल करने के लिए अनुदेश किट देखें।	
 (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) (ख) कंपनी की विश्व अवस्थिति संख्या (जीएलएन) 2. (क) कंपनी का नाम 	पूर्व पूरित
(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	
(ग) *कंपनी की ईमेल आईडी	
• •	ो संख्या में वृद्धि करना तमेकन या विभाजन इत्यादि
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61(1) के अनसार द्वारा O साधारण	O विशेष संकल्प प <u>र</u>
कंपनी के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई (दिन/म	ाह/वर्ष)
संबंधित प्ररूप एमजीटी.14 का सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) (क) (i) कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाया गया है	
वर्तमान (रुपए में)	
पुनरीक्षित (रुपए में)	
अंतर (योग) (रुपए में)	
(ख) (i) कंपनी की संख्या में ऐसी वृद्धि की गई है	
वर्तमान पुनरीक्षित अंतर (योग) (ii) सदस्यों की अधिकतम संख्या सिवाय पूर्व और वर्तमान कर्मचारी के	

5. (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 की उप-धारा (6) के अनुसार आदेश संख्या...... तारीख के परिणामस्वरूप कंपनी की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि कर दी गई है (दिवस/माह/वर्ष) O केन्द्रीय सरकार O राज्य सरकार का धारा 62 की उप-धारा (4) के अधीन परिवर्तन O डिबेंचर O शेयरों पर ऋण

वर्तमान पुनरीक्षित अंतर (योग)

(रुपए में) (रुपए में) (रुपए में)

न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की तारीख (यदि लागू हो) ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख

	

(ख) केन्द्रीय सरकार से कंपनी द्वारा उपरोक्त आदेश की प्रति के प्राप्त होने की तारीख

6. अतिरिक्त पूंजी (उपर्युक्त योग पर विचार करने के पश्चात्) को निम्नानुसार बांटा जाता है

(क) साधारण शेयरों की संख्या..... साधारण शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

(ख) अधिमान शेयरों की संख्या...... अधिमानित शेयरों की कुल राशि (रुपए में).....

कुल वृद्धि (रुपए में).....

शर्ते (अर्थात् मताधिकार, लाभांश अधिकार, समापन अधिकार इत्यादि) जिनके अधीन नए शेयर जारी किया जाना भी है, निम्नानुसार हैः-

7. यह नोटिस किया जाता है कि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अनुसार कि कंपनी के पास	(दिवस/माह/वर्ष)
--	-----------------

(क) □ समेकित
(ख) □ संपरिवर्तित
(ग) □ पुनः संपरिवर्तित
(घ) □ उप विभाजित

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(ङ) निरस्त की गई
(च) पुनः वर्गीकृत
न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की तारीख (यदि लागू हो)
ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख
8. धारा 55 के अनुसारको आहूत अधिवेशन में निदेशक मंडल के एक संकल्प द्वारा कंपनी ने मोचनीय अधिमान शेयरों का मोचन कर दिया है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है (क) मोचन किए जाने वाले अधिमान शेयरों का वर्णन
(ख) शेयरों की श्रृंखला जारी करने की तारीख (ग) तारीख जिस पर शेयर पूर्ण रूप से समादत्त थे (घ) शेयरों के मोचन की सम्यक् तारीख (ङ) शेयरों के मोचन की वास्तविक तारीख राशि (रुपए में) (च) मोचन पर देय राशि
 i. अधिमान शेयरों की संख्या ii. प्रति शेयर अंकित कीमत iii. प्रति शेयर लाभांश की दर iv. कुल अंकित कीमत v. मोचन पर चुकाया गया कुल प्रीमियम, यदि कोई हो v. मोचन पर चुकाया गया कुल प्रीमियम, यदि कोई हो (छ) अधिमान शेयरराशि में से मोचन राशि (रुपए में) o कंपनी का लाभ o शेयरों के नए निर्गम से प्राप्तियां
9. उपर्युक्त बिंदुओं 4,5,6,7 और 8 के द्वारा परिवर्तन को ध्यान रखते हुए पुनरीक्षित पूंजी ढांचा
(क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रुपए में)
प्राधिकृत पूंजी का ब्यौरा
साधारण शेयरों की संख्या साधारण शेयरों की कुल राशि (रुपए में)
प्रति साधारण शेयर अंकित राशि
अधिमान शेयरों की संख्या अधिमान शेयरों की कुल राशि (रुपए में)
प्रति अधिमान शेयर अंकित मूल्य

36

अवर्गीकृत शेयरों की संख्या अवर्गीकृत शेयरों की कुल राशि (रुपए में)
(ख) कंपनी की निर्गमित पूंजी (रुपए में)
निर्गमित पूंजी का ब्यौरा
साधारण शेयरों की संख्या साधारण शेयरों की कुल राशि (रुपए में)
प्रति साधारण शेयर अंकित राशि
अधिमान शेयरों की संख्या अधिमान शेयरों की कुल राशि
प्रति अधिमान शेयर अंकित राशि
(ग) कंपनी की अंशदायी पूंजी (रुपए में)
अंशदायी पूंजी का ब्यौरा
साधारण शेयरों की संख्या साधारण शेयरों की कुल राशि (रुपए में)
प्रति साधारण शेयर अंकित राशि
अधिमान शेयरों की संख्या अधिमान शेयरों की कुल राशि
प्रति अधिमान शेयर अंकित राशि
(घ) कंपनी की समादत्त पूंजी (रुपए में)
समादत्त पूंजी का ब्यौरा
साधारण शेयरों की संख्या साधारण साधारण शेयरों की कुल राशि (रुपए में)
प्रति साधारण शेयर अंकित राशि
अधिमान शेयरों की संख्या अधिमान शेयरों की कुल राशि
प्रति अधिमान शेयर अंकित राशि
10. *क्या संगम अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया है O हां O नहीं
11. स्टांप शुल्क के भुगतान के ब्यौरे (ब्यौरे भरने से पहले निर्देश-पुस्तिका को देखें)
(क) राज्य सा संघ राज्य क्षेत्र जिसके संबंध
में स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया है
या किया जाना है
(ख) *क्या स्टांप शुल्क को एमसीए-21 प्रणाली के अधीन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चुकाया जाना है O हां O नहीं O लागू नहीं
(i) चुकाई जाने वाले स्टांप शुल्क के ब्यौरे
चुकाई जाने वाले स्टांप शुल्क की राशि (रुपए में)

(ii) पहले चुकाए गए स्टांप शुल्क के ब्यौरे

दस्तावेज/ब्यौरों का प्रकार	प्ररूप एसएच-7
टिकट या पक्का कागज की कुल राशि (रुपए में)	
स्टांप शुल्क के भुगतान का तारीख	
विक्रेता या कोषागार या प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम एजेंसी का	
नाम जो स्टांप शुल्क एकत्र करने अथवा पक्के कागज (स्टांप पेपर) को	
विक्रय करने अथवा दस्तावेजों को अलंकृत करने अथवा सरकार की ओर	
से स्टांप वाउचरों का वितरण करने के लिए प्राधिकृत है	
उत्कीर्णता अथवा मोहर अथवा स्टांप पेपर अथवा कोषागार चालान	
संख्या का क्रम संख्या	
विक्रेता की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
मुहर या स्टांप पेपर क्रय करने या स्टांप शुल्क के भुगतान की तारीख	(दिवस/माह/वर्ष)
मुहर अथवा स्टांप पेपर के क्रय या स्टांप शुल्क के भुगतान का स्थान	

12. यदि किसी मामले में देय स्टांप शुल्क का पहले ही भुगतान कर दिया गया है, पहले भरे हुए प्ररूप के ब्यौरे उपलब्ध कराए (एसआरएन या रसीद संख्या, प्ररूप संख्या, प्रस्तुत करने की तारीख, चुकाए गए स्टांप शुल्क की राशि)

सत्यापन

मैं*.....एक *(ड्राप डाउन) {मूल्यः निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीईओ/सीएफओ} घोषणा करते है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है, मुझे यह घोषणा करने और इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत किया गया है। यह और घोषणा की जाती है और सत्यापित किया जाता है कि

- (ज) इस प्ररूप में उसके साथ लगे हुए संलग्नकों में जो भी कहा गया है, वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप में मामले के विषय की किसी सूचना सामग्री को दबाया या छुपाया नहीं गया है और संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने वाले प्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।
- (झ) सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्णतया, सही रूप से संलग्न किया गया है।
- (ञ) मैं यह भी घोषणा करता हूं कि कंपनी लागू स्टांप अधिनियम के अनुसार सही स्टांप शुल्क अदा कर दिएहैं।

[भाग II–खण्ड 3(i)]

डिजीटल हस्ताक्षर किया जाए डीएससी बॉक्स	
पदनाम	
निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; अथवा प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ	
ज डिन या पैन; अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या	
ांलग्र क	
 पूंजी में परिवर्तन के लिए संकल्प की प्रति; 	संलग्न करें
 केन्द्रीय सरकार के आदेश की प्रति; 	संलग्न करें
 न्यायाधिकरण के आदेश की प्रति; 	सलग्न करें
 मोचनीय अधिमान शेयरों के मोचन को प्राधिकृत करने वाले 	
बोर्ड की संकल्प की प्रति;	संलग्न करें
5. परिवर्तित संगम ज्ञापन;	संलग्न करें
 परिवर्तित संगम अनुच्छेद; 	संलग्न करें
7. अनुपातों की गणना करते हुए कार्य	संलग्न करें
(परिवर्तन के मामले में) ;	संलग्न करें
8. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो	
प्रेप्पण: धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता ड और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड का उपबंध है। परिवर्तन करें प्ररूप चेक करें पूर्व संवीक्षा	
गर्यालय प्रयोग हेतुः फाइलिंग ब्यौरे संलग	न करें
-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-फार्म फाइल करने की तारीख	(दिवस/माह/वर्ष)
रूप को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है	
ाधिकृत अधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर 🛛 जमा की	पुष्टि करें
स्ताक्षर की तारीख (दिवस/माह/वर्ष)	

प्ररूप सं. एसएच.8	प्रस्ताव पत्र
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 तथा कंपनी	
(शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 17(2)	
के अनुसरण में]	

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रजी 0 हिन्दी प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट देखें।	
	पूर्व पूरित
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)	
2. (क) कंपनी का नाम	
(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	
(ग) कंपनी की ई-मेल आईडी	
(घ) निगमन की तारीख	
3. कंपनी के औद्योगिक क्रियाकलाप के मुख्य खंड	
मुख्य खंड का विवरण	
4. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के ब्यौरे	. (पूर्व पूरित)

डिन/पैन	पूरा नाम	पदनाम

5. कंपनी की वर्तमान पूंजी संरचना

(क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रु. में)	
(i) साधारण शेयरों की संख्या प्रति साधारण शेयर अंकित राशि	
े साधारण शेयरों की कुल राशि (रु. में)	
(ii) अधिमान शेयरों की संख्या प्रति अधिमान अंकित राशि	
अधिमान शेयरों की कुल राशि (रु. में)	
(ख) कंपनी की अंशदायी पूंजी (रु. में)	
(i) साधारण शेयरों की संख्याप्रति साधारण शेयर अंकित राशि	
ें साधारण शेयरों की कुल राशि (रु. में)	
(ii) अधिमान शेयरों की संख्या प्रति अधिमान अंकित राशि	

अधिमान शेयरों की कुल राशि (रु. में).....

6. पिछले पुनः क्रय के ब्यौरे	
(क) पिछले पुनः क्रय को पूर्ण करने की तारी	ख
(ख) कुल समादत्त शेयर पूंजी तथा मुक्त आर	क्षितियां में से पुनः क्रय की गई शेयर पूंजी की प्रतिशतता
7. *यथा विद्यमान राशि	रू. में % में
क. *मुक्त आरक्षितियां	
ख. प्रतिभूतियां प्रीमियम लेखा	
ग. शेयरों या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूति	तेयों के नए निर्गम से प्राप्त आगम
घ. प्रतिभूति या प्रतिभूति के बिना ऋण	
कुल	
8. *पुनः क्रय का स्रोत हो सकता है	0मुक्त आरक्षितियां 🛛 0प्रतिभूतियां का प्रीमियम
0शेय	रों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के नए निर्गम से हुए लाभ 0ऋण
9. (क) * प्रतिभूतियों के पुनः क्रय को प्राधि	कृत करने के लिए बोर्ड संकल्प की तारीख
(ख) (i) विशेष संकल्प को पारित करने की	तारीख

(ii) प्ररूप एमजीटी. 14 की सेवा अनुरोध संख्या.....

10. *कंपनी के संप्रवर्तकों, निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की और उक्त कंपनी के निदेशक जो कि कंपनी का संप्रवर्तक है, की शेयरधारिता

क्र.सं.	विवरण	साधारण	अधिमान	अधिमान	अन्य, यदि	कुल
		शेयर	मोचनीय	संपरिवर्तनीय	कोई हो	
1.	बोर्ड का अधिवेशन, जिसमें पुनः क्रय	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)
	अनुमोदित हुआ, की तारीख से पहले की					
	तारीख को शेयरों की संख्या					
2.	पुनः क्रय को अनुमोदित करने वाले बोर्ड के	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)
	अधिवेशन की तारीख से पूर्व 12 महीनों की					
	अवधि दौरान क्रय किए गए शेयर					
3.	प्रस्ताव-पत्र की तारीख तक पुनः क्रय के	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)
	अनुनमोदित करने वाली बोर्ड के अधिवेशन					
	की तारीख से पूर्व 12 महीनों की अवधि					
	दौरान क्रय किए गए शेयर					

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

4.	उपर्युक्त के लिए भुगतान किया गया अधिकतम मूल्य	(राशि)	(राशि)	(राशि)	(राशि)	(औसत राशि)
5.	उपर्युक्त अधिकतम मूल्य का भुगतान करने की तारीख	(तारीख)	(तारीख)	(तारीख)	(तारीख)	-
6.	पुनः क्रय को अनुमोदित करने वाले बोर्ड के अधिवेशन की तारीख से पूर्व 12 महीनों की अवधि के दौरान बिके शेयर	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)
7.	प्रस्ताव-पत्र की तारीख तक पुनः क्रय को अनुमोदित करने वाली बोर्ड के अधिवेशन की तारीख से पूर्व 12 महीनों की अवधि के दौरान बिके शेयर	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)
8.	उपर्युक्त के लिए प्राप्त किया गया अधिकतम मूल्य	(राशि)	(राशि)	(राशि)	(राशि)	(औसत राशि)
9.	उपर्युक्त अधिकतम मूल्य को प्राप्त करने की तारीख	(तारीख)	(तारीख)	(तारीख)	(तारीख)	-
10.	प्रस्ताव पत्र की तारीख को धारित शयरों की संख्या का अतिशेष	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)
11.	' * शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के पुनः क्र	। ज्य से पूर्व शेय		। मिनः		
क्र.सं.	प्रतिभूति धारकों की श्रेणी				को पु ारित प्रतिभूतियां	नः क्रय से पूर्व
1.	सरकार(केन्द्रीय और राज्य)					
2.	सरकारी कंपनियां					
3.	लोक वित्तीय संस्थाएं					
4.	राष्ट्रीयकृत या अन्य बैंक					
5.	म्युचल फंड्स					
6.	उद्यम पूंजी					
7.	विदेशी धारिता (विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी कंपनियां, अनिवासी भारतीय, विदेशी वित्तीय संस्थान या विदेशी कारपोरेट निकाय)					
	निगमित निकाय (ऊपर उल्लिखित नहीं हो)					
8.	निगमित निकाय (ऊपर उल्लिखित नहीं हो))				
8. 9.	निगमित निकाय (ऊपर उल्लिखित नहीं हो) निदेशक या निदेशकों के संबंधी)				
		·				
9.	निदेशक या निदेशकों के संबंधी	·				
9. 10.	निदेशक या निदेशकों के संबंधी अन्य शीर्ष 50 शेयरधारक (उपर उल्लिखित	·				

शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की न्यूनतम संख्या.....

प्रति प्रतिभूति अंकित मूल्य...... पुनः क्रय की कुल राशि.....

पुनः क्रय के लिए प्रस्तावित शेयर पूंजी तथा मुक्त आरक्षितियों का कुल प्रतिशत.....

13. *पुनः क्रय का उद्देश्य

42

.....

14. *पुनः क्रय की रीति

- 🛭 आनुपातिक आधार पर मौजूदा प्रतिभूति धारक
- 🗆 खुला बाजार
- 🛭 सूचीबद्ध शेष प्रतिभूतियों का लॉट
- 🛯 कर्मचारियों स्टॉक विकल्प
- 🛭 श्रमसाध्य साधारण शेयर
- 🛯 अन्य तरीके से

15. *पुनः क्रय को प्राधिकृत करने वाली अनुच्छेद संख्या.....

- 16. (क) *प्रस्ताव पत्र के खुलने की तारीख.....
- (ख) *पुनः क्रय को पूर्ण करने की प्रस्तावित तारीख.....
- (ग) *प्रमाण पत्रों के विलोपन की प्रस्तावित तारीख

17. प्रस्ताव की निबंधन और शर्तें, यदि कोई है,

.....

18. *पश्चातवर्ती पुनः, क्रय की संभावित पूंजी संरचना (योजनानुसार अधिकतम प्रतिभूतियों के पुनः क्रय को ग्रहण करते हुए)

(क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रु. में)
(i) साधारण शेयरों की संख्या प्रति साधारण शेयर अंकित राशि
साधारण शेयरों की कुल राशि (रु. में)
(ii) अधिमान शेयरों की संख्या प्रति अधिमान अंकित राशि
अधिमान शेयरों की कुल राशि (रु. में)
(ख) कंपनी की प्रदत्त पूंजी (रु. में)
(i) साधारण शेयरों की संख्या प्रति साधारण शेयर अंकित राशि
साधारण शेयरों की कुल राशि (रु. में)
(ii) अधिमान शेयरों की संख्यापति अधिमान शेयर अंकित राशि
अधिमान शेयरों की कुल राशि (रु. में)

19. * पश्चातवर्ती पुनः, क्रय की संभावित पूंजी संरचना (योजनानुसार अधिकतम प्रतिभूतियों के पुनः क्रय को ग्रहण करते हुए)

(क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रु. में)	
(i) साधारण शेयरों की संख्या	. प्रति साधारण शेयर अंकित राशि
	. प्रति अधिमान अंकित राशि
अधिमान शेयरों की कुल राशि (रु. में)	
(ख) कंपनी की समादत्त पूंजी (रु. में)	
(i) साधारण शेयरों की संख्या	प्रति साधारण शेयर अंकित राशि

	साधारण शेयरों की कुल राशि (रु. में)
(ii)	अधिमान शेयरों की संख्यापति अधिमान अंकित राशि
	अधिमान शेयरों की कुल राशि (रु. में)

20. (क) *कंपनी को मंजूर पूंजी और मुक्त आरक्षितियों पर ऋण
(ख) * पूंजी और मुक्त आरक्षितियों पर पूर्व पुनः क्रय ऋण
(ग) *पूंजी तथा मुक्त आरक्षिती अनुपात पर संभावित पश्चातवर्ती पुनः क्रय
(घ) *2:1 से अधिक अनुपात के लिए सरकारी अधिसूचना के ब्यौरे, यदि कोई हो,

संलग्नक

1)	*कंपनी के संप्रर्वतकों के ब्यौरे	संलग्नक
2)	*लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) द्वारा घोषणा	संलग्नक
3)	*बोर्ड संकल्प की प्रति	संलग्नक
4)	*धारा 68(3) के तहत जारी नोटिस और उसकी स्पष्टीकारक विवरणी की प्रति	संलग्नक
5)	*अंतिम तीन वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण	संलग्नक
6)	*अंतिम तीन वर्षों के पुनः क्रय के ब्यौरे	संलग्नक
7)	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (सूचीबद्ध कंपनी की स्थिति में)	संलग्नक
8)	कंपनी की धारित और अनुषगिक कंपनियों की सूची	संलग्नक
9)	लेखा संपरीक्षा के बिना दिया गया वित्तीय विवरण (यदि लागू हो)	संलग्नक
	प्राप्त कानूनी अनुमोदन (यदि कोई हो)	संलग्नक
10))लेखापरीक्षक, विधि सलाहकारों, बैंकरों न्यासियों के ब्यौरे (यदि कोई हो)	संलग्नक
11)) वैकल्पिक संलग्नक, (यदि कोई हो)	संलग्नक

घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि जहां तक मेरी जानकारी है संलग्नकों और प्ररूप में दी गई सूचना सत्य और सही है। आगे यह घोषित करता हूं कि:

- (क) धारा 68(3) की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है
- (ख) जमा राशियों या उन पर देय ब्याज के पुनः भुगतान, डिबेंचरों की पुनः प्राप्ति या उन पर देय ब्याज या अधिमान शेयरों की पुनः प्राप्ति या शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान या किसी वित्तीय संस्थान या बैंकिंग कंपनी को मियादी ऋण या उन पर देय ब्याज के पुनः भुगतान पर कोई चूक नहीं की गई है तथा अधिनियम की धारा 70 के तहत कानूनों के प्रचालन द्वारा पुनः क्रय के लिए प्रतिषिद्ध नहीं है;

- (ग) निदेशक मंडल ने कंपनी के मामलों और विवरणों की पूरी तरह जांच कर ली है तथा यह मत बनाया है कि
 - (i) प्रस्ताव पत्र की तारीख के ठीक पश्चात् वाले वर्ष के लिए इसके विवरणों के संबंध में, उक्त वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय के प्रबंधन के लिए उनके आशय तथा राशि तथा वित्तीय स्रोतों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपनी देयताओं को पूरा करेगी तथा तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिवालिया घोषित नहीं की जाएगी; या
 - (ii) उपर्युक्त उद्देश्यों से लिए अपना मत बनाने में, निदेशकों ने देयताओं (भावी तथा आकस्मिक देयताओं समेत) का भी इस प्रकार ध्यान रखा है जैसे कि कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन समापन किया जा रहा है।

*डिजीटल हस्ताक्षर करने हेतु

पदनाम (नीचें देखें) (श्रेणी: निदेशक, प्रबंध निदेशक)

*डिन	(डीएससी बॉक्स)
पदनाम	
निदेशक (ड	ीएससी बॉक्स)

*डीआईएऩ

नोटः धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें मिथ्या विवरण के लिए दंड तथा मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है।

<u>संशोधित करें</u>	<u>प्ररूप चेक करें</u>	<u>पूर्व संवीक्षा</u>	<u>प्रस्तुत</u>		
कार्यालय प्रयोग हेतुः		<u>फाइल करने संबंधी विवर</u>	<u>रण संबद्ध करें</u>		
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध तारीख)		ई-प्ररूप दाखिल	करने की
प्ररूप को रजिस्ट्रीकृत किय	ग जाता है				
प्राधिकृत अधिकारी का डि	डेजीटल हस्ताक्षर		<u>जम</u>	<u>ना की पुष्टि करें</u>	
हस्ताक्षर की तारीख		(दिवस/माह/वर्ष)			

प्ररूप सं. एसएच.9ऋणमोचन क्षमता की घोषणाकंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68(6) और कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर), नियम, 2014 के नियम 17(3) के अनुसरण में।अनुसरण में।प्ररूप की भाषा 0 अंग्रजी 0 हिन्दी	
प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट देखें।	
1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	त)
(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	
(ग) कंपनी की ई-मेल आईडी 3. (क) क्या कंपनी सूचीबद्ध है 0हां 0नहीं (ख) शेयर बाजार (बाज़ारों) के नाम	
(ग) सूचीबद्ध करने की तारीख (घ) नियुक्त मर्चेंट बैंकर का नाम	
4. (क) *प्रतिभूतियों के पुनः क्रय को प्राधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की तारीख	
(ख) (i) प्रतिभूतियों के पुनः क्रय को प्राधिकृत करने वाले बोर्ड के विशेष संकल्प की तारीख	
(ii) प्ररूप सं एमजीटी. 14 की सेवा अनुरोध संख्या	
(iii) प्ररूप एमजीटी.14 को फाइल करने की तारीख	
संलग्नक	
1) *बोर्ड संकल्प की प्रतिसंलग्न करें2) *आस्तियों और देय के विवरणसंलग्न करें3) *लेखा परीक्षक की रिपोर्टसंलग्न करें4) *नियम 17(3) के अनुसार शपथ-पत्रसंलग्न करें5) विशेष संकल्प की प्रतिसंलग्न करें	
5) विशेष संकल्प का प्रात 6) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो संलग्न करें	

घोषणा

*डिन.....

पदनाम निदेशक...... (डीएससी बॉक्स)

*डिन.....

नोटः धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें मिथ्या विवरण के लिए दंड तथा मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है।

<u>संशोधित करें</u>	<u>प्ररूप</u> चेक करें	<u>पूर्व संवीक्षा</u>	<u>प्रस्तुत</u>	
			•••••••	

कार्यालय प्रयोग हेतुः	<u>फाइल करने संबंधी विवरण संबद्ध करें</u>				
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआन	ाएन)	ई-प्ररूप	दाखिल	करने	की
तारीख(दिवस/माह/वर्ष)					
प्ररूप को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है					
प्राधिकृत अधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर	অ	मा की पुष्टि करे	+		

हस्ताक्षर की तिथि......(दिवस/माह/वर्ष)

प्ररूप सं. एसएच-10 पुनः क्रय किए गए शेयरों या प्रतिभूतियों का रजिस्टर

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 की उपधारा (9) तथा कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 17(12) के अनुसरण में]

कंपनी का नाम:

रजिस्ट्रीकृत पता:

1. प्रतिभूतियों के पुनः क्रय को प्राधिकृत करने वाली सदस्यों के अधिवेशन में विशेष संकल्प पारित करने की ताऱीख

2. बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख

3. पुनः क्रय किए जाने के लिए प्राधिकृत शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य तथा राशि

4. पुनः क्रय प्रस्ताव, आंरभ और बंद होने की तारीख

5. पुनः क्रय पूर्ण होने की तारीख

6. कंपनी द्वारा पुनः क्रय किए गए शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के विवरण

क्र.सं.	फोलियो संख्या/डीपीआईडी/ग्राहक पहचान संख्या या पुनः क्रय प्रतिभूतियों का प्रमाणपत्र संख्या	प्रतिभूतियों के अंतिम धारक का नाम	श्रेणी, जिससे वे संबंधित है	पुनःक्रय की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

पुनः क्रय प्रतिभूतियों की संख्या	पुनः क्रय की रीति	प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य	जिस मूल्य पर प्रतिभूतियों पुनः क्रय की गईं	भुगतान की तारीख
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

पुनः क्रय प्रतिभूतियों के लिए भुगतान की गई राशि	पुनः क्रय प्रतिभूतियों का संचयी कुल	पुनः क्रय प्रतिभूतियों के रद्दकरण/विलोपन तथा भौतिक रूप से समाप्ति की तारीख	सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए संदर्भ	टिप्पणी
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

*प्रतिभूतियों की श्रेणी का उल्लेख करें जिन्हें पुनः क्रय किया गया है

- अधिमान शेयर
- साधारण शेयर
- कर्मचारियों के स्टॉक विकल्प शेयर
- श्रमसाध्य साधारण शेयर, आदि

**उल्लेख करें कि क्या प्रतिभूतियों निम्न से पुनः क्रय की गईं

- आनुपातिक आधार पर मौजूदा शेयर धारक से
- खुले बाजार से
- सूचीबद्ध कंपनियों के प्रतिभूतियों के शेष लॉट से
- कर्मचारियों के स्टॉक विकल्प से
- श्रमसाध्य साधारण से
- अन्य तरीके से, यदि हां तो तरीके का उल्लेख करें

5. अन्य संगत ब्यौरे, यदि कोई हो

स्थान:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

उपर्युक्त व्यक्ति का नाम

पदनामः

प्ररूप संख्या एसएच.11	प्रतिभूतियों के पुनः क्रय के लिए विवरणी
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68(10) तथा कंपनी	
(शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम	
17(13) के अनुसरण में	

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रजी 0 हिन्दी

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट देखें।

- (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....
- 2. (क) कंपनी का नाम
- (ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

.....

(ग) कंपनी की ई-मेल आईडी.....

3. आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर-पैन).....

4. क्या कंपनी सूचीबद्ध है 0हां 0नहीं

यदि सूचीबद्ध है, शेयर बाजार(बाज़ारों) के नाम, जहां सूचीबद्ध है

.....

सूचीबद्ध होने की तारीख

.....

5. कंपनी द्वारा नियुक्त मर्चेंट बैंक का नाम.....

6..... तारीख (दिवस/माह/वर्ष) को समादत्त पूंजी के ब्यौरे (नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार)

क्र.सं.	समादत्त पूंजी के ब्यौरे	राशि (रू में)
1.	साधारण	
2.	अधिमान मोचनीय	
3.	अधिमान संपरिवर्तनीय	
4.	अन्य, यदि कोई हो	
5.	कुल	

7.तारीख (दिवस/माह/वर्ष) को मुक्त आरक्षितियां या प्रतिभूतियां प्रीमियम खाता या शेयरों या अन्य प्रतिभूतियां के लाभ या ऋण

(क) *मुक्त आरक्षितियां	(रू में)
(ख) *प्रतिभूतियां प्रीमियम खा	ता (रू में)
(ग) *शेयरों या अन्य प्रतिभूतिय	यों के लाभ (रू में)
(घ) * ऋण	प्रतिभूत(रू में)
	अप्रतिभूत (रू में)

कुल(रू में).....

8. (क) प्रतिभूतियों के पुनः क्रय को अनुमोदित या प्राधिकृत करने वाली बोर्ड के निदेशक मंडल में संकल्प की तारीख......(दिवस/माह/वर्ष)

(ख) * प्रतिभूतियों को प्राधिकृत करने वाले सदस्यों के विशेष संकल्प की तारीख..(दिवस/माह/वर्ष)

9. *पुनः क्रय के लिए प्राधिकृत प्रतिभूतियों की राशि (रू में).....

*पुनः क्रय के लिए प्राधिकृत प्रतिभूतियों की संख्या.....

10. (क) *वह तारीख जब तक पुनः क्रय पूर्ण किया जाना है......

(ख) * पुनः क्रय को पूर्ण करने की तारीख......

11. (क) जिस तारीख को अंतिम पुनः क्रय को प्राधिकृत किया गया है......है........................(दिवस/माह/वर्ष)

(ख) अंतिम पुनः क्रय के ब्यौरें

12. जिस तारीख को अंतिम पुनः क्रय को पूर्ण किया गया.....

.....

14.	क्या	निम्न	में	कोई	चूक	अवस्थित	है	
-----	------	-------	-----	-----	-----	---------	----	--

(क) जमाराशियों का पुनः भुगतान	*हां *नहीं
(ख) उपर्युक्त जमाराशियों पर देय ब्याज का पुनः भुगतान	*हां *नहीं
(ग) डिबेंचरों का पुनः भुगतान	*हां *नहीं
(घ) अधिमान शेयरों का पुनः भुगतान	*हां *नहीं
(ड़) शेयरधारकों का लाभांश का भुगतान	*हां *नहीं
(च) वित्तीय संस्थान या बैंक को मियादी	
ऋणों का पुनः भुगतान	*हां *नहीं
(छ) उपर्युक्त उल्लिखित मियादी ऋणों पर ब्याज का पुनः भुगता	न *हां *नहीं

15. क्या निम्नलिखित धाराओं के अनुपालन में कोई चूक है

(क) धारा 92 (वार्षिक वि	वरणी संबंधी)	*हां * नहीं
-------------------------	--------------	-------------

- (ख) धारा 123 (लांभाश के भुगतान संबंधी) * हां * नहीं
- (ग) धारा 128 (तुलन पत्र या लाभ तथा हानि लेखा संबंधी) * हां * नहीं

16. सभी शेयर धारकों को जिनसे प्रतिभूतियां पुनः की गई, को प्रतिफलों की भुगतान की तारीख......

17. प्रतिभूतियों के पुनः क्रय के पश्चात् शेयर धारण करने की रीतिः

क्र. सं.	प्रतिभूति धारक की श्रेणी	(दिवस/माह/वर्ष) को	(दिवस/माह/वर्ष)
		पुनः क्रय से पूर्व धारित प्रतिभूतियां	को पुनः क्रय के पश्चात् धारित प्रतिभूतियां
1.	सरकार (केंद्रीय तथा राज्य)		
2.	सरकारी कंपनियां		
3.	लोक वित्तीय कंपनियां		
4.	राष्ट्रीयकृत या अन्य् बैंक		
5.	म्युचल फंड्स		
6.	उद्यम पूंजी		
7.	विदेशी धारित (विदेशी		

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

	संस्थागत निवेशक, विदेशी
	कंपनियां, अनिवासी भारतीय,
	विदेशी वित्तीय संस्थान या
	विदेशी कारपोरेट निकाय)
8.	निगमित निकाय (ऊपर
	उल्लिखित नहीं)
9.	निदेशक या निदेशक के संबंधी
10.	अन्य शीर्ष पचास (50)
	शेयरधारक (ऊपर उल्लिखित
	नहीं
11.	अन्य
12.	कुल

*शेयर धारकों की कुल संख्या

- 18. (क) प्ररूप एमजीटी14 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन).....
 - (ख) ऋणाशोधन क्षमता की घोषणा के लिए प्ररूप एसएच.9 का एसआरएन.....

घोषणा

मुझे निदेशक मंडल की तारीखकी संकल्प संख्या.....द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर और इसे फाइल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है इस प्ररूप के संलग्नक और इसमें दी गई सूचना सत्य और सही है। तत्पश्चात्, निदेशक मंडल की ओर से मैं पुष्टि करता हूं कि कंपनी के मामलों और प्रास्पेक्टस की जांच कर ली है तथा यह मत बनाया है

- (i) कि साधारण अधिवेशन आहूत होने की तारीख के ठीक पश्चात् ऐसा कोई भी आधार नहीं है जिन पर कंपनी को अपने ऋणों के भुगतान कर पाने में असमर्थ पाया जा सके.;
- (ii) निम्नलिखित तारीख के तत्काल बाद वाले वर्ष के संबंध के विवणों के संबंध में उक्त वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय के प्रबंधन के लिए उनके आशय, राशि तथा वित्तीय स्रोत्रों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपनी देयताओं को पूरी करेगी तथा उस तरीके से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिवालिया घोषित नहीं की जाएगी; तथा
- (iii)उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए अपना मत बनाते हुए निदेशकों ने देय (भावी तथा आकस्मिक देयताओं समेत) का इस प्रकार ध्यान रखा है जैसे कि कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन उसका समापन किया जा रहा है।

डिजीटली हस्ताक्षर करने हेतु (डीएससी बॉक्स)

निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या

प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डिन या पैन;

संलग्नक

52

[भाग II-	–खण्ड 3(i)	भारत का राजपत्र : असाधारण		
1.	पुनः क्रय	केए गए शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का विवरण	(संलग्न करें)	
2.	पुनः क्रय [ः]	<u> </u>	(संलग्न करें)	
3.	साधारण	अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की प्रति	(संलग्न करें)	
4.	बोर्ड संकर	य की प्रति	(संलग्न करें)	
5.	कंपनी का	तुलनपत्र	(संलग्न करें)	
6.	उपनियम	(14) के अनुसार पुनः क्रय नियम के अनुपालन का प्रमाणपत्र	(संलग्न करें)	
7.	वैकल्पिक	संलग्नक, यदि कोई हो	(संलग्न करें)	

नोटः धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें मिथ्या विवरण तथा मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है।

53

<u>संशोधित करें</u>	<u>प्ररूप</u> चेक करें	<u>पूर्व संवीक्षा</u>	<u>प्रस्तुत</u>			
कार्यालय प्रयोग हेतुः		<u>फाइल करने संबंधी विव</u>	<u>ारण संबद्ध करें</u>			
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध तारीख	ग संख्या (एसआनएन). (दिवस/माह/वर्ष)			ई-प्ररूप फाइ	ल करने	की
एतदद्वारा प्ररूप को रजि	स्ट्रीकृत किया जाता है					
प्राधिकृत अधिकारी का	डिजीटल हस्ताक्षर		<u>जम</u>	<u>ा की पुष्टि करें</u>		
हस्ताक्षर की तारीख		(दिवस/माह/वर्ष))			

प्ररूप संख्या एसएच-12 डिबेंचर न्यास तारीख

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 की उप-धारा (13) और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम

11 के अनुसरण में]

1. डिबेंचर निर्गम का विवरणः

- (क) डिबेंचर निर्गम के जरिए वित्त जुटाए जाने का उद्देश्य;
- (ख) राशि, कार्यावधि, ब्याज या कूपन दर, भुगतान की आवर्तिता, भुगतान का ढंग और शोधन की अवधि के बारे में ब्यौरे;
- (ग) कंपनी द्वारा वचनबद्धता कि वह प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार डिबेंचरधारकों को ऐसी डिबेंचरों पर ब्याज और मूल अदा करेगी, जब भी वे देय होंगे;
- (घ) डिबेंचरधारकों के लिए उपलब्ध विकल्पों, और डेब्ट (ऋण) साधारण अनुपात और ऋण सेवा कवरेज अनुपात के संदर्भ में, यदि लागू हों, डिबेंचरों के संपरिवर्तन या मोचन के निबंधन।

2. लगाए गए प्रभार के ब्यौरे (प्रतिभूति वाले डिबेंचर के मामले में):

- (क) लगाए गए प्रभार की प्रकृति और पदनाम की जांच;
- (ख) लगाए गए प्रभारों का रैक अर्थात्, प्रथम, द्वितीय, समरूप, अवशिष्ट इत्यादि;
- (ग) अपेक्षित न्यूनतम सुरक्षित कवर;
- (घ) आस्ति (आस्तियों) के पूर्व ब्यौरे जिन पर प्रभार लगाया जाता है जैसा कि वर्णन, प्रकृति, पदनाम, अवस्थिति, मूल्य, मूल्यांकन का आधार इत्यादि;
- (ङ) डिबेंचरों के लिए सुरक्षित के रूप में प्रभारित परिसंपत्तियों के संरक्षण के ढंग और तरीके;
- (च) प्रभार के विवरण, अर्थात् प्रभार की समयावधि, ब्याज की दर, प्रभारधारक का नाम;
- (छ) तत्पश्चात् मूल्यांकन के लिए उपबंध;
- (ज) डिबेंचर न्यासियों या किसी व्यक्ति या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रभारित आस्तियों और लेखा बहियों के निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया;
- (झ) भविष्यगामी आस्तियों पर प्रभार लगाना;
- (ञ) वह समय-सीमा जिसके भीतर डिबेंचरों के निर्गम के लिए भविष्यगामी आरक्षिता स्थापित की जाएगी;
- (ट) उन परिस्थितियों विनिर्दिष्ट करते हुए जिनमें न्यासियों के अनुमोदन से प्रतिभूति का विक्रय या उसको पट्टे पर दिया जा सकता है;
- (ठ) प्रतिभूतियों का प्रवर्तनी होना, वह घटनाएं जिनके धरित होने पर प्रतिभूति प्रवर्तनीय हो जाती है;
- (ड) न्यासी के पूर्व अनुमोदन के बिना और किसी भविष्यगामी प्रभार नहीं लगाने अथवा न्यास संपत्ति के ऋणभार को स्थापित नहीं करने के लिए कंपनी की बाध्यता;

3. डिबेंचर न्यासी की नियुक्ति के विवरणः

- (क) डिबेंचर न्यासी की नियुक्ति हेतु शर्तें और प्रक्रिया;
- (ख) नए न्यासियों की नियुक्ति सहित न्यासी द्वारा त्याग-पत्र देने की प्रक्रिया;
- (ग) प्रावधान कि डिबेंचर न्यासी तब तक अपने कार्यालय को नहीं छोड़ेगा जब तक कि अन्य डिबेंचर न्यासी को नियुक्त नहीं कर दिया जाता है;

- (घ) डिबेंचर धारकों द्वारा डिबेंचर न्यासियों को हटाए जाने के लिए प्रक्रिया, डिबेंचरों की मूल्य के तीन चौथाई धारकों द्वारा पारित संकल्प के आधार पर हटाए जाने की व्यवस्था करना;
- (ङ) न्यासी (न्यासियों) को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान की जाने वाली फीस या कमीशन या अन्य विधिक यात्रा और अन्य व्यय;
- (च) कंपनी के रजिस्टरों का निरीक्षण करने के अधिकार सहित न्यासी के अधिकार और उनकी प्रतियां और उनकी सार लेने और एक नामिती निदेशक की नियुक्ति करने का अधिकार;
- (छ) न्यासी के कर्तव्या

4. चूकों के मामले

- (क) घटनाएं जिनके प्रतिभूति प्रवर्तनीय हो जाती है जिनमें निम्नलिखित घटनाएं शामिल होंगीः
 - (i) जब कंपनी किसी ब्याज के भुगतान में, जिसे निर्गम की शर्तों के अनुसार अदा कर दिया जाना चाहिए था, लगातार दो बार चूक करती है;
 - (ii) जब कंपनी डिवेंचरधारकों की सहमति के बिना अपना व्यवसाय बंद कर देती है अथवा ऐसा करने के इसके आशय का नोटिस देती है;
 - (iii)जब न्यायाधिकरण द्वारा एक आदेश कर दिया गया है अथवा कंपनी के सदस्यों द्वारा कंपनी का समापन करने के लिए एक विशेष संकल्प पारित कर दिया गया है;
 - (iv)जब डिबेंचरपत्रों के अंशदान को आमंत्रित करते हुए अथवा इस प्रलेख के संयोजन की प्रास्पेक्टस-पुस्तिका का उल्लंघन किया जाता है;
 - (v)जब कंपनी न्यासियों/डिबेंचरधारकों के पूर्व अनुमोदन के बिना बंधक परिसर या किसी भाग पर प्रभार लगाती है अथवा इसका प्रयास करती है;
 - (vi) जब न्यासियों की राय में डिबेंचरपत्रों की सुरक्षा खतरे में होती है।
- (ख) चूकों के मामले में डिबेंचर न्यासी द्वारा किए जाने वाले उपाय;
- (ग) न्यासियों के अनुमोदन की उन परिस्थितियां विनिर्दिष्ट करते हुए कि जिनमें प्रतिभूति का विक्रय कर दिया जाना चाहिए या पट्टे पर दिया जाना चाहिए;
- (घ) एक प्रसंविदा कि कंपनी सभी बंधक परिसरों को धारित और उनका उपयोग कर सकती है और उसमें और वहां तक व्यवसाय कर सकती है जब तक कि स्थापित की गई प्रतिभूति प्रवर्तनीय न हो जाए।

5. कंपनी के दायित्वः

यह भाग निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के कर्तव्यों को बताता है-

- (ख) डिवेंचरधारकों के एक रजिस्टर का रखरखाव करना जिसमें डिवेंचरधारकों के पते, अनुवर्ती हस्तांतरण और स्वामित्व परिवर्तन शामिल होंगे;
- (ग) डिबेंचर न्यासी द्वारा निरीक्षण हेतु समुचित लेखा-बहियों को रखना;
- (घ) डिबेंचर न्यासी को डिबेंचरधारकों के परिसरों में प्रवेश करने और प्रभारित आस्तियों की दशा और स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करना;
- (ङ) डिबेंचर न्यासी को उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों जिनमें रिपोर्टों, तुलन-पत्र तथा हानि लेखा इत्यादि की प्रतियां शामिल है, को प्रभावी रूप से निष्पादित करने के लिए उनके द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करना;
- (च) प्रभारित संपत्ति/प्रतिभूति को पर्याप्त रूप से बीमित और समुचित स्थिति में रखना;

- (छ) किसी वर्ष में शेयरधारकों को कोई लाभांश घोषित नहीं करना जब तक कि कंपनी ने मूल की किस्तों के भुगतान और ऋणपत्रों पर देय ब्याज के लिए कोई संतोषजनक उपबंध नहीं कर लिया हो;
- (ज) डिबेंचर शोधन आरक्षी का निर्माण करना;
- (झ) डिबेंचरों को, निर्गम की शर्तों के अनुसार साधारण पूंजी में परिवर्तित करना, यदि लागू हो;
- (ञ) ऐसे परिवर्तन से पूर्व कंपनी के स्वरूप और व्यवसाय संचालन में किसी परिवर्तन के बारे में डिबेंचर न्यासी को सूचित करना;
- (ट) इसके निवेशक मंडल के ढांचे में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में डिबेंचर न्यासी को सूचना देना;
- (ठ) डिबेंचर न्यासी को किसी समामेलन, विलय अथवा कंपनी द्वारा प्रस्तावित पुर्ननिर्माण योजना के बारे में सूचित करना;
- (ड) डिबेंचर न्यासी को अदालत/न्यायाधिकरण के सभी अनुदेशों, निदेशों, नोटिसों, जिसमें प्रभारित आस्तियों प्रभारित हो रही है अथवा ऐसी संभावना है, के बारे में सूचित करना;
- (ढ) न्यासी के पूर्व अनुमोदन के बिना न्यास संपत्ति के उन पर कोई और भार या विल्लंगम नहीं डालना;
- (ण) डिबेंचर न्यासियों को आवधिक रिपोर्टें भेजे जाने का कंपनी दायित्व जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे निहित होंगेः
 - (i) डिबेंचरधारकों के नाम और पतों की अद्यतन सूची;
 - (ii) देय ब्याज, उसके लेकिन चुकाए नहीं गए और कारणों के ब्यौरे;
 - (iii) डिबेंचरधारकों से प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या और स्वरूप और (क) कंपनी द्वारा निपटाए गए (ख) कंपनी द्वारा समाधान नहीं किया गया और उनके कारण;
 - (iv) एक विवरण कि कंपनी की आस्ति जो प्रतिभूति के माध्यम से उपलब्ध है डिबेंचरधारकों के दावों, जब भी वे देय होते है, को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- (त) डिबेंचर निर्गम के संबंध में विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी सभी निदेश/दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना;
- (थ) ऐसी सूचना प्रस्तुत करना जो डिबेंचर न्सायी द्वारा अपेक्षित हो।

6. विविधः

- (ख) परिस्थितियां जिनके अधीन न्यास प्रलेख के प्रावधान अथवा ऋणपत्रों की शर्तों और निबंधनों को आशोधित किया जा सकेगा;
- (ग) कंपनी, न्यासी और डिबेंचरों धारकों को नोटिस भेजने (तालीम) का तरीका;
- (घ) कंपनी न्यासी प्रलेख या डिबेंचरों पर किसी स्टांप शुल्क को चुकाने के लिए (यदि लागू हो) उत्तरदायी होगी;
- (ङ) डिबेंचरधारकों की बैठकों से संबंधित उपबंध;
- (च) डिबेंचरधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु उपबंध

प्ररूप सख्या एसएच-13

नामांकन प्ररूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19(1) के अनुसरण में] जेन्स

सेवा कंपनी का नामः कंपनी का पताः

मैं/हम......में विष्कृत्यों को नामनिर्दिष्ट करते हैं मेरी/हमारी मृत्यु की दशा में ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में जिनमें सभी अधिकार निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करते हैं मेरी/हमारी मृत्यु की दशा में ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में जिनमें सभी अधिकार निहित होंगे।

(1) प्रतिभूतियों के विवरण (जिनके संबंध में नामांकन किया जा रहा है)

	वेशिष्ट संखया
स्वरूप संख्या	

(2) नामनिर्देशिती/ नामनिर्देशितियों के विवरण-

- (क) नामः
- (ख) जन्म तिथिः
- (ग) पिता/माता/पति-पत्नी का नामः
- (घ) व्यवसायः
- (ङ) राष्ट्रीयताः
- (च) पताः
- (छ) ई-मेल आईडीः
- (ज) प्रतिभूतिधारक के साथ संबंधः
- (3) यदि नामनिर्देशिती अवयस्क है-
 - (क) जन्म तिथिः
 - (ख) वयस्क होने की तारीखः
 - (ग) संरक्षक का नामः
 - (घ) संरक्षका पताः

नामः पताः

प्रतिभूति का नाम धारक (धारकों)

हस्ताक्षर नाम तथा पते सहित

गवाह

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

प्ररूप संख्या एसएच-14

नामांकन का निरस्तीकरण या परिवर्तन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 की उपधारा (3) और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19(9) के

के अनुसरण में]

कंपनी का नामः

मैं/हम......के पक्ष में मेरे/हमारे किएगए नामांकन (नामनिर्देशिती का नाम और पता) को नीचे उल्लिखित प्रतिभूतियों के संबंध में एतद्वारा निरस्त करते हैं।

अथवा

मैं/हम एतद्वारा...... के स्थान पर नीचे उल्लिखित प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करते हैं, मेरी/हमारी मृत्यु की दशा में जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार निहित होंगे।

(1) प्रतिभूतियों के विवरण (जिसके संबंध में नामांकन को निरस्त/इसमें परिवर्तन किया जा रहा है)

प्रतिभूतियों का नाम	फोलिया संख्या	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रमाण-पत्र संख्या	विशिष्ट संख्या

(2) (क) नए नामनिर्देशिती के विवरण

- i. नामः
- ii. जन्मतिथिः
- iii. पिता/माता/पति-पत्नी का नामः
- iv. राष्ट्रीयताः
- v. पताः
- vi. ई-मेल आईडीः
- vii. प्रतिभूतिधारक के साथ संबंधः
- (ख) यदि नामनिर्देशिती नाबालिग है
 - i. जन्मतिथिः
 - ii. वयस्क होने की तारीखः
 - iii. संरक्षक का नामः
 - iv. संरक्षक का पताः

हस्ताक्षर

प्रतिभूति का नाम धारक (धारकों)

नाम तथा पता सहित गवाह

प्ररूप संख्या एसएच-15

प्रतिभूतियों के पुन: क्रय के संबंध में अनुपालन प्रमाणपत्र *(कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 17 के अनुसरण में*)

1. ((क)	कंपनी	की	कारपोरेट	पहचान	(सीआईएन) संख्या:
				111/2	10-11-1		/ \1 \2 11.

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति सं. (जीएलएन):

- 2. (क) कंपनी का नाम :
 - (ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:
 - (ग) कंपनी की ई-मेल आईडी:

हम,उपर्युक्त नामक कंपनी के निदेशक प्रमाणित करते हैं कि प्रतिभूतियों के पुनः क्रय करने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन तारीख.....के बोर्ड संकल्प और/या तारीख.....को आयोजित साधारण अधिवेशन में सदस्यों द्वारा पारित विशेष संकल्प के जरिए पुनः क्रय की गई प्रतिभूतियों के संबंध में किया गया है, और जिसके संबंध में ब्यौरे प्ररूप सं. 4.11 में कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

तारीख :	हस्ताक्षर
स्थान:	(1) प्रबंध निदेशक/निदेशक
	(2) निदेशक
दारा सत्यापित	

कार्यरत कंपनी सचिव

सीपी सं.....

फाइल संख्या 01/4/2013 (भाग-l)सीएल-V रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R 265(E).—In exercise of the powers conferred under clause (a) (ii) of section 43, sub-clause (d) of subsection (1) of section 54, sub-section (2) of 55, sub-section (1) of section 56, sub-section (3) of section 56, sub-section (1) of section 62, sub-section (2) of section 42, clause (f) of sub-section (2) of section 63, sub-section (1) of section 64, clause (b) of sub-section 3 of section 67, sub-section (2) of section 68 sub-section (6) of section 68, sub-section (9) of section 68, sub-section (10) of section 68, sub-section (3) of section 71, sub-section (6) of section 71, sub-section (13) of section 71 and sub-sections (1) and (2) of section 72, read with sub-section (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 or any other relevant rules prescribed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the 1^{st} day of April, 2014.
- 2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (b) "Annexure" means the Annexure to these rules;
 - (c) "Fees" means the fees as specified in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014;
 - (d) "Form" or "e-form" means a form set forth in Annexure to these rules which shall be used for the matter to which it relates;
 - (e) "Regional Director" means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director;
 - (f) "section" means the section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in **Companies** (Specification of definitions details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and said rules.

- 3. Application.- The provisions of these rules shall apply to
 - (a) all unlisted public companies;
 - (b) all private companies; and
 - (c) listed companies,

so far as they do not contradict or conflict with any other provision framed in this regard by the Securities and Exchange Board of India.

4. Equity shares with differential rights.-

- (1) No company limited by shares shall issue equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise, unless it complies with the following conditions, namely:-
 - (a) the articles of association of the company authorizes the issue of shares with differential rights;
 - (b) the issue of shares is authorized by an ordinary resolution passed at a general meeting of the shareholders:

Provided that where the equity shares of a company are listed on a recognized stock exchange, the issue of such shares shall be approved by the shareholders through postal ballot ;

- (c) the shares with differential rights shall not exceed twenty-six percent of the total post-issue paid up equity share capital including equity shares with differential rights issued at any point of time;
- (d) the company having consistent track record of distributable profits for the last three years;
- (e) the company has not defaulted in filing financial statements and annual returns for three financial years immediately preceding the financial year in which it is decided to issue such shares;

- (f) the company has no subsisting default in the payment of a declared dividend to its shareholders or repayment of its matured deposits or redemption of its preference shares or debentures that have become due for redemption or payment of interest on such deposits or debentures or payment of dividend;
- (g) the company has not defaulted in payment of the dividend on preference shares or repayment of any term loan from a public financial institution or State level financial institution or scheduled Bank that has become repayable or interest payable thereon or dues with respect to statutory payments relating to its employees to any authority or default in crediting the amount in Investor Education and Protection Fund to the Central Government;
- (h) the company has not been penalized by Court or Tribunal during the last three years of any offence under the Reserve Bank of India Act, 1934, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Securities Contracts Regulation Act, 1956, the Foreign Exchange Management Act, 1999 or any other special Act, under which such companies being regulated by sectoral regulators.
- (2) The explanatory statement to be annexed to the notice of the general meeting in pursuance of section 102 or of a postal ballot in pursuance of section 110 shall contain the following particulars, namely:-
 - (a) the total number of shares to be issued with differential rights;
 - (b) the details of the differential rights ;
 - (c) the percentage of the shares with differential rights to the total post issue paid up equity share capital including equity shares with differential rights issued at any point of time;
 - (d) the reasons or justification for the issue;
 - (e) the price at which such shares are proposed to be issued either at par or at premium;
 - (f) the basis on which the price has been arrived at;
 - (g) (i) in case of private placement or preferential issue-

(a) details of total number of shares proposed to be allotted to promoters, directors and key managerial personnel;

(b) details of total number of shares proposed to be allotted to persons other than promoters, directors and key managerial personnel and their relationship if any with any promoter, director or key managerial personnel;

(ii) in case of public issue - reservation, if any, for different classes of applicants including promoters, directors or key managerial personnel;

- (h) the percentage of voting right which the equity share capital with differential voting right shall carry to the total voting right of the aggregate equity share capital;
- (i) the scale or proportion in which the voting rights of such class or type of shares shall vary;
- (j) the change in control, if any, in the company that may occur consequent to the issue of equity shares with differential voting rights;
- (k) the diluted Earning Per Share pursuant to the issue of such shares, calculated in accordance with the applicable accounting standards;
- (1) the pre and post issue shareholding pattern along with voting rights as per clause 35 of the listing agreement issued by Security Exchange Board of India from time to time.
- (3) The company shall not convert its existing equity share capital with voting rights into equity share capital carrying differential voting rights and *vice-versa*.
- (4) The Board of Directors shall, *inter alia*, disclose in the Board's Report for the financial year in which the issue of equity shares with differential rights was completed, the following details, namely:-
 - (a) the total number of shares allotted with differential rights;
 - (b) the details of the differential rights relating to voting rights and dividends;
 - (c) the percentage of the shares with differential rights to the total post issue equity share capital with differential rights issued at any point of time and percentage of voting rights which the

equity share capital with differential voting right shall carry to the total voting right of the aggregate equity share capital;

- (d) the price at which such shares have been issued;
- (e) the particulars of promoters, directors or key managerial personnel to whom such shares are issued;
- (f) the change in control, if any, in the company consequent to the issue of equity shares with differential voting rights;
- (g) the diluted Earning Per Share pursuant to the issue of each class of shares, calculated in accordance with the applicable accounting standards;
- (h) the pre and post issue shareholding pattern along with voting rights in the format specified under sub-rule (2) of rule 4.
- (5) The holders of the equity shares with differential rights shall enjoy all other rights such as bonus shares, rights shares etc., which the holders of equity shares are entitled to, subject to the differential rights with which such shares have been issued.
- (6) Where a company issues equity shares with differential rights, the Register of Members maintained under section 88 shall contain all the relevant particulars of the shares so issued along with details of the shareholders.

Explanation.- For the purposes of this rule, it is hereby clarified that differential rights attached to such shares issued by any company under the provisions of Companies Act, 1956, shall continue till such rights are converted with the differential rights in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013.

5. Certificate of shares (where shares are not in demat form).-

(1) Where a company issues any share capital, no certificate of any share or shares held in the company shall be issued, except-

- (a) in pursuance of a resolution passed by the Board; and
- (b) on surrender to the company of the letter of allotment or fractional coupons of requisite value, save in cases of issues against letters of acceptance or of renunciation, or in cases of issue of bonus shares:

Provided that if the letter of allotment is lost or destroyed, the Board may impose such reasonable terms, if any, as to seek supporting evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses incurred by the company in investigating evidence, as it may think fit.

- (2) Every certificate of share or shares shall be in **Form No. SH.1** or as near thereto as possible and shall specify the name(s) of the person(s) in whose favor the certificate is issued, the shares to which it relates and the amount paid-up thereon.
- (3) Every share certificate shall be issued under the seal of the company, which shall be affixed in the presence of, and signed by-
 - (a) two directors duly authorized by the Board of Directors of the company for the purpose or the committee of the Board, if so authorized by the Board; and
 - (b) the secretary or any person authorised by the Board for the purpose:

Provided that, in companies wherein a Company Secretary is appointed under the provisions of the Act, he shall deemed to be authorised for the purpose of this rule:

Provided further that, if the composition of the Board permits of it, at least one of the aforesaid two directors shall be a person other than the managing or whole-time director:

Provided also that, in case of a One Person Company, every share certificate shall be issued under the seal of the company, which shall be affixed in the presence of and signed by one director or a person authorized by the Board of Directors of the company for the purpose and the Company Secretary, or any other person authorized by the Board for the purpose.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, a director shall be deemed to have signed the share certificate if his signature is printed thereon as a facsimile signature by means of any machine, equipment or other mechanical means such as engraving in metal or lithography, or digitally signed, but not by

means of a rubber stamp, provided that the director shall be personally responsible for permitting the affixation of his signature thus and the safe custody of any machine, equipment or other material used for the purpose.

(4) The particulars of every share certificate issued in accordance with sub-rule (1) shall be entered in the Register of Members maintained in accordance with the provisions of section 88 along with the name(s) of person(s) to whom it has been issued, indicating the date of issue.

6. Issue of renewed or duplicate share certificate.-

(1) the certificate of any share or shares shall not be issued either in exchange for those which are sub-divided or consolidated or in replacement of those which are defaced, mutilated, torn or old, decrepit, worn out, or where the pages on the reverse for recording transfers have been duly utilised, unless the certificate in lieu of which it is issued is surrendered to the company:

Provided that the company may charge such fee as the Board thinks fit, not exceeding fifty rupees per certificate issued on splitting or consolidation of share certificate(s) or in replacement of share certificate(s) that are defaced, mutilated, torn or old, decrepit or worn out:

(b) Where a certificate is issued in any of the circumstances specified in this sub-rule, it shall be stated on the face of it and be recorded in the Register maintained for the purpose, that it is "Issued in lieu of share certificate No..... sub-divided/replaced/on consolidation" and also that no fee shall be payable pursuant to scheme of arrangement sanctioned by the High Court or Central Government:

(c) A company may replace all the existing certificates by new certificates upon sub-division or consolidation of shares or merger or demerger or any reconstitution without requiring old certificates to be surrendered subject to compliance with clause (a) of sub-rule (1) rule 5, sub-rule (2) of rule 5 and sub-rule (3) of rule 5.

- (2)(a) The duplicate share certificate shall be not issued in lieu of those that are lost or destroyed, without the prior consent of the Board and without payment of such fees as the Board thinks fit, not exceeding rupees fifty per certificate and on such reasonable terms, such as furnishing supporting evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses incurred by the company in investigating the evidence produced:
 - (b) Where a certificate is issued in any of the circumstances specified in this sub-rule, it shall be stated prominently on the face of it and be recorded in the Register maintained for the purpose, that it is *"duplicate issued in lieu of share certificate No....."*. and the word "duplicate" shall be stamped or printed prominently on the face of the share certificate:

(c) In case unlisted companies, the duplicate share certificates shall be issued within a period of three months and in case of listed companies such certificate shall be issued within fifteen days, from the date of submission of complete documents with the company respectively.

- (3)(a) The particulars of every share certificate issued in accordance with sub-rules (1) and (2) shall be entered forthwith in a Register of Renewed and Duplicate Share Certificates maintained in **Form No.SH.2** indicating against the name(s) of the person(s) to whom the certificate is issued, the number and date of issue of the share certificate in lieu of which the new certificate is issued, and the necessary changes indicated in the Register of Members by suitable cross-references in the "Remarks" column.
 - (b) The register shall be kept at the registered office of the company or at such other place where the Register of Members is kept and it shall be preserved permanently and shall be kept in the custody of the company secretary of the company or any other person authorized by the Board for the purpose.
 - (c) All entries made in the Register of Renewed and Duplicate Share Certificates shall be authenticated by the company secretary or such other person as may be authorised by the Board for the purposes of sealing and signing the share certificate under the provisions of sub-rule (3) of rule 5.

7. Maintenance of share certificate forms and related books and documents.-

(1) All blank forms to be used for issue of share certificates shall be printed and the printing shall be done only on the authority of a resolution of the Board and the blank form shall be consecutively machine-numbered and the forms and the blocks, engravings, facsimiles and hues relating to the printing of such forms shall be kept in the custody of the secretary or such other person as the Board may authorise for the purpose; and the company secretary or other person aforesaid shall be responsible for rendering an account of these forms to the Board.

- (2) The following persons shall be responsible for the maintenance, preservation and safe custody of all books and documents relating to the issue of share certificates, including the blank forms of share certificates referred to in sub-rule (1), namely:—
 - (*a*) the committee of the Board, if so authorized by the Board or where the company has a company secretary, the company secretary; or
 - (b) where the company has no company secretary, a Director specifically authorised by the Board for such purpose.
 - (3) All books referred to in sub-rule (2) shall be preserved in good order not less than thirty years and in case of disputed cases, shall be preserved permanently, and all certificates surrendered to a company shall immediately be defaced by stamping or printing the word "cancelled" in bold letters and may be destroyed after the expiry of three years from the date on which they are surrendered, under the authority of a resolution of the Board and in the presence of a person duly appointed by the Board in this behalf:

Provided that nothing in this sub-rule shall apply to cancellation of the certificates of securities, under sub-section (2) of section 6 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), when such certificates are cancelled in accordance with sub-regulation (5) of regulation 54 of the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, made under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996).

8. Issue of sweat equity shares.-

(1) A company other than a listed company, which is not required to comply with the Securities and Exchange Board of India Regulations on sweat equity, shall not issue sweat equity shares to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash, for their providing knowhow or making available rights in the nature of intellectual property rights or value additions, by whatever name called, unless the issue is authorised by a special resolution passed by the company in general meeting.

Explanation .- For the purposes of this rule-

- (i) the expressions "Employee" means-
 - (a) a permanent employee of the company who has been working in India or outside India, for at least last one year; or
 - (b) a director of the company, whether a whole time director or not; or
 - (c) an employee or a director as defined in sub-clauses (a) or (b) above of a subsidiary, in India or outside India, or of a holding company of the company;
- (ii) the expression 'Value additions' means actual or anticipated economic benefits derived or to be derived by the company from an expert or a professional for providing know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights, by such person to whom sweat equity is being issued for which the consideration is not paid or included in the normal remuneration payable under the contract of employment, in the case of an employee.
- (2) The explanatory statement to be annexed to the notice of the general meeting pursuant to section 102 shall contain the following particulars, namely:-
 - (a) the date of the Board meeting at which the proposal for issue of sweat equity shares was approved;
 - (b) the reasons or justification for the issue;
 - (c) the class of shares under which sweat equity shares are intended to be issued;
 - (d) the total number of shares to be issued as sweat equity;
 - (e) the class or classes of directors or employees to whom such equity shares are to be issued;
 - (f) the principal terms and conditions on which sweat equity shares are to be issued, including basis of valuation ;
 - (g) the time period of association of such person with the company;

- (h) the names of the directors or employees to whom the sweat equity shares will be issued and their relationship with the promoter or/and Key Managerial Personnel;
- (i) the price at which the sweat equity shares are proposed to be issued;
- (j) the consideration including consideration other than cash, if any to be received for the sweat equity;
- (k) the ceiling on managerial remuneration, if any, be breached by issuance of such sweat equity and how it is proposed to be dealt with;
- (l) a statement to the effect that the company shall conform to the applicable accounting standards; and
- (m) diluted Earning Per Share pursuant to the issue of sweat equity shares, calculated in accordance with the applicable accounting standards.
- (3) The special resolution authorising the issue of sweat equity shares shall be valid for making the allotment within a period of not more than twelve months from the date of passing of the special resolution.
- (4) The company shall not issue sweat equity shares for more than fifteen percent of the existing paid up equity share capital in a year or shares of the issue value of rupees five crores, whichever is higher:

Provided that the issuance of sweat equity shares in the Company shall not exceed twenty five percent, of the paid up equity capital of the Company at any time.

- (5) The sweat equity shares issued to directors or employees shall be locked in/non transferable for a period of three years from the date of allotment and the fact that the share certificates are under lock-in and the period of expiry of lock in shall be stamped in bold or mentioned in any other prominent manner on the share certificate.
- (6) The sweat equity shares to be issued shall be valued at a price determined by a registered valuer as the fair price giving justification for such valuation.
- (7) The valuation of intellectual property rights or of know how or value additions for which sweat equity shares are to be issued, shall be carried out by a registered valuer, who shall provide a proper report addressed to the Board of directors with justification for such valuation.
- (8) A copy of gist along with critical elements of the valuation report obtained under clause (6) and clause (7) shall be sent to the shareholders with the notice of the general meeting.
- (9) Where sweat equity shares are issued for a non-cash consideration on the basis of a valuation report in respect thereof obtained from the registered valuer, such non-cash consideration shall be treated in the following manner in the books of account of the company-

(a) where the non-cash consideration takes the form of a depreciable or amortizable asset, it shall be carried to the balance sheet of the company in accordance with the accounting standards; or

- (b) where clause (a) is not applicable, it shall be expensed as provided in the accounting standards.
- (10) The amount of sweat equity shares issued shall be treated as part of managerial remuneration for the purposes of sections 197 and 198 of the Act, if the following conditions are fulfilled, namely.-

(a) the sweat equity shares are issued to any director or manager; and

(b) they are issued for consideration other than cash, which does not take the form of an asset which can be carried to the balance sheet of the company in accordance with the applicable accounting standards.

- (11) In respect of sweat equity shares issued during an accounting period, the accounting value of sweat equity shares shall be treated as a form of compensation to the employee or the director in the financial statements of the company, if the sweat equity shares are not issued pursuant to acquisition of an asset.
- (12) If the shares are issued pursuant to acquisition of an asset, the value of the asset, as determined by the valuation report, shall be carried in the balance sheet as per the Accounting Standards and such amount of the accounting value of the sweat equity shares that is in excess of the value of the asset acquired, as per the valuation report, shall be treated as a form of compensation to the employee or the director in the financial statements of the company.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, it is hereby clarified that the Accounting value shall be the fair value of the sweat equity shares as determined by a registered valuer under sub-rule (6).

- (13) The Board of Directors shall, *inter alia*, disclose in the Directors' Report for the year in which such shares are issued, the following details of issue of sweat equity shares namely:-
 - (a) the class of director or employee to whom sweat equity shares were issued;
 - (b) the class of shares issued as Sweat Equity Shares;
 - (c) the number of sweat equity shares issued to the directors, key managerial personnel or other employees showing separately the number of such shares issued to them, if any, for consideration other than cash and the individual names of allottees holding one percent or more of the issued share capital;
 - (d) the reasons or justification for the issue;
 - (e) the principal terms and conditions for issue of sweat equity shares, including pricing formula;
 - (f) the total number of shares arising as a result of issue of sweat equity shares;
 - (g) the percentage of the sweat equity shares of the total post issued and paid up share capital;
 - (h) the consideration (including consideration other than cash) received or benefit accrued to the company from the issue of sweat equity shares;
 - (i) the diluted Earnings Per Share (EPS) pursuant to issuance of sweat equity shares.
 - (14)(a) The company shall maintain a Register of Sweat Equity Shares in **Form No. SH.3** and shall forthwith enter therein the particulars of Sweat Equity Shares issued under section 54.
 - (b) The Register of Sweat Equity Shares shall be maintained at the registered office of the company or such other place as the Board may decide.
 - (c) The entries in the register shall be authenticated by the Company Secretary of the company or by any other person authorized by the Board for the purpose.

9. Issue and redemption of preference shares.-

(1) A company having a share capital may, if so authorised by its articles, issue preference shares subject to the following conditions, namely:-

- (a) the issue of such shares has been authorized by passing a special resolution in the general meeting of the company
- (b) the company, at the time of such issue of preference shares, has no subsisting default in the redemption of preference shares issued either before or after the commencement of this Act or in payment of dividend due on any preference shares.
- (2) A company issuing preference shares shall set out in the resolution, particulars in respect of the following matters relating to such shares, namely:-
 - (a) the priority with respect to payment of dividend or repayment of capital vis-a-vis equity shares;
 - (b) the participation in surplus fund;
 - (c) the participation in surplus assets and profits, on winding-up which may remain after the entire capital has been repaid;
 - (d) the payment of dividend on cumulative or non-cumulative basis.
 - (e) the conversion of preference shares into equity shares.
 - (f) the voting rights;
 - (g) the redemption of preference shares.
- (3) The explanatory statement to be annexed to the notice of the general meeting pursuant to section 102 shall, *inter-alia*, provide the complete material facts concerned with and relevant to the issue of such shares, including-
 - (a) the size of the issue and number of preference shares to be issued and nominal value of each share;

- (b) the nature of such shares i.e. cumulative or non cumulative, participating or non participating , convertible or non convertible
- (c) the objectives of the issue;
- (d) the manner of issue of shares;
- (e) the price at which such shares are proposed to be issued;
- (f) the basis on which the price has been arrived at;
- (g) the terms of issue, including terms and rate of dividend on each share, etc.;
- (h) the terms of redemption, including the tenure of redemption, redemption of shares at premium and if the preference shares are convertible, the terms of conversion;
- (i) the manner and modes of redemption;
- (j) the current shareholding pattern of the company;
- (k) the expected dilution in equity share capital upon conversion of preference shares.
- (4) Where a company issues preference shares, the Register of Members maintained under section 88 shall contain the particulars in respect of such preference share holder(s).
- (5) A company intending to list its preference shares on a recognized stock exchange shall issue such shares in accordance with the regulations made by the Securities and Exchange Board of India in this behalf.
- (6) A company may redeem its preference shares only on the terms on which they were issued or as varied after due approval of preference shareholders under section 48 of the Act and the preference shares may be redeemed:-
 - (a) at a fixed time or on the happening of a particular event;
 - (b) any time at the company's option; or
 - (c) any time at the shareholder's option.

10. Issue and redemption of preference shares by company in infrastructural projects.-

A company engaged in the setting up and dealing with of infrastructural projects may issue preference shares for a period exceeding twenty years but not exceeding thirty years, subject to the redemption of a minimum ten percent of such preference shares per year from the twenty first year onwards or earlier, on proportionate basis, at the option of the preference shareholders.

11. Instrument of transfer.-

- (1) An instrument of transfer of securities held in physical form shall be in Form **No.SH.4** and every instrument of transfer with the date of its execution specified thereon shall be delivered to the company within sixty days from the date of such execution.
- (2) In the case of a company not having share capital, provisions of sub-rule (1) shall apply as if the references therein to securities were references instead to the interest of the member in the company.
- (3) A company shall not register a transfer of partly paid shares, unless the company has given a notice in Form No. SH.5 to the transferee and the transferee has given no objection to the transfer within two weeks from the date of receipt of notice.

12. Issue of employee stock options.-

- A company, other than a listed company, which is not required to comply with Securities and Exchange Board of India Employee Stock Option Scheme Guidelines shall not offer shares to its employees under a scheme of employees' stock option (hereinafter referred to as "Employees Stock Option Scheme"), unless it complies with the following requirements, namely:-
 - (1) the issue of Employees Stock Option Scheme has been approved by the shareholders of the company by passing a special resolution.

Explanation: For the purposes of clause (b) of sub-section (1) of section 62 and this rule "Employee" means-

- (a) a permanent employee of the company who has been working in India or outside India; or
- (b) a director of the company, whether a whole time director or not but excluding an independent director; or
- (c) an employee as defined in clauses (a) or (b) of a subsidiary, in India or outside India, or of a holding company of the company or of an associate company but does not include-

(i) an employee who is a promoter or a person belonging to the promoter group; or

(ii) a director who either himself or through his relative or through any body corporate, directly or indirectly, holds more than ten percent of the outstanding equity shares of the company.

- (2) The company shall make the following disclosures in the explanatory statement annexed to the notice for passing of the resolution-
 - (a) the total number of stock options to be granted;
 - (b) identification of classes of employees entitled to participate in the Employees Stock Option Scheme;
 - (c) the appraisal process for determining the eligibility of employees to the Employees Stock Option Scheme;
 - (d) the requirements of vesting and period of vesting;
 - (e) the maximum period within which the options shall be vested;
 - (f) the exercise price or the formula for arriving at the same;
 - (g) the exercise period and process of exercise;
 - (h) the Lock-in period, if any ;
 - (i) the maximum number of options to be granted per employee and in aggregate;
 - (j) the method which the company shall use to value its options;
 - (k) the conditions under which option vested in employees may lapse e.g. in case of termination of employment for misconduct;
 - (l) the specified time period within which the employee shall exercise the vested options in the event of a proposed termination of employment or resignation of employee; and
 - (m) a statement to the effect that the company shall comply with the applicable accounting standards.
- (3) The companies granting option to its employees pursuant to Employees Stock Option Scheme will have the freedom to determine the exercise price in conformity with the applicable accounting policies, if any.
- (4) The approval of shareholders by way of separate resolution shall be obtained by the company in case of-
 - (a) grant of option to employees of subsidiary or holding company; or
 - (b) grant of option to identified employees, during any one year, equal to or exceeding one percent of the issued capital (excluding outstanding warrants and conversions) of the company at the time of grant of option.
- (5)(a) The company may by special resolution, vary the terms of Employees Stock Option Scheme not yet exercised by the employees provided such variation is not prejudicial to the interests of the option holders.
 - (b) The notice for passing special resolution for variation of terms of Employees Stock Option Scheme shall disclose full of the variation, the rationale therefor, and the details of the employees who are beneficiaries of such variation.
- (6)(a) There shall be a minimum period of one year between the grant of options and vesting of option:

Provided that in a case where options are granted by a company under its Employees Stock Option Scheme in lieu of options held by the same person under an Employees Stock Option Scheme in another company, which has merged or amalgamated with the first mentioned company, the period during which the options granted by the merging or amalgamating company were held by him shall be adjusted against the minimum vesting period required under this clause;

- (b) The company shall have the freedom to specify the lock-in period for the shares issued pursuant to exercise of option.
- (c) The Employees shall not have right to receive any dividend or to vote or in any manner enjoy the benefits of a shareholder in respect of option granted to them, till shares are issued on exercise of option.
- (7) The amount, if any, payable by the employees, at the time of grant of option-
 - (a) may be forfeited by the company if the option is not exercised by the employees within the exercise period; or
 - (b) the amount may be refunded to the employees if the options are not vested due to non-fulfillment of conditions relating to vesting of option as per the Employees Stock Option Scheme.
- (8)(a) The option granted to employees shall not be transferable to any other person.
 - (b) The option granted to the employees shall not be pledged, hypothecated, mortgaged or otherwise encumbered or alienated in any other manner.
 - (c) Subject to clause (d), no person other than the employees to whom the option is granted shall be entitled to exercise the option.
 - (d) In the event of the death of employee while in employment, all the options granted to him till such date shall vest in the legal heirs or nominees of the deceased employee.
 - (e) In case the employee suffers a permanent incapacity while in employment, all the options granted to him as on the date of permanent incapacitation, shall vest in him on that day.
 - (f) In the event of resignation or termination of employment, all options not vested in the employee as on that day shall expire. However, the employee can exercise the options granted to him which are vested within the period specified in this behalf, subject to the terms and conditions under the scheme granting such options as approved by the Board.
- (9) The Board of directors, shall, inter alia, disclose in the Directors' Report for the year, the following details of the Employees Stock Option Scheme:
 - (a) options granted;
 - (b) options vested;
 - (c) options exercised;
 - (d) the total number of shares arising as a result of exercise of option;
 - (e) options lapsed;
 - (f) the exercise price;
 - (g) variation of terms of options;
 - (h) money realized by exercise of options;
 - (i) total number of options in force;
 - (j) employee wise details of options granted to;-
 - (i) key managerial personnel;
 - (ii) any other employee who receives a grant of options in any one year of option amounting to five percent or more of options granted during that year.
 - (iii) identified employees who were granted option, during any one year, equal to or exceeding one percent of the issued capital (excluding outstanding warrants and conversions) of the company at the time of grant;

- (10) (a) The company shall maintain a Register of Employee Stock Options in Form No. SH.6 and shall forthwith enter therein the particulars of option granted under clause (b) of sub-section (1) of section 62.
 - (b) The Register of Employee Stock Options shall be maintained at the registered office of the company or such other place as the Board may decide.
 - (c) The entries in the register shall be authenticated by the company secretary of the company or by any other person authorized by the Board for the purpose.
- (11) Where the equity shares of the company are listed on a recognized stock exchange, the Employees Stock Option Scheme shall be issued, in accordance with the regulations made by the Securities and Exchange Board of India in this behalf.

13. Issue of shares on preferential basis.-

(1) For the purposes of clause (c) of sub-section (1) of section 62, If authorized by a special resolution passed in a general meeting, shares may be issued by any company in any manner whatsoever including by way of a preferential offer, to any persons whether or not those persons include the persons referred to in clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 62 and such issue on preferential basis should also comply with conditions laid down in section 42 of the Act:

Provided that the price of shares to be issued on a preferential basis by a listed company shall not be required to be determined by the valuation report of a registered valuer.

Explanation.- For the purposes of this rule, (i) the expression 'Preferential Offer' means an issue of shares or other securities, by a company to any select person or group of persons on a preferential basis and does not include shares or other securities offered through a public issue, rights issue, employee stock option scheme, employee stock purchase scheme or an issue of sweat equity shares or bonus shares or depository receipts issued in a country outside India or foreign securities;

(ii) the expression, "shares or other securities" means equity shares, fully convertible debentures, partly convertible debentures or any other securities, which would be convertible into or exchanged with equity shares at a later date.

(2) Where the preferential offer of shares or other securities is made by a company whose share or other securities are listed on a recognized stock exchange, such preferential offer shall be made in accordance with the provisions of the Act and regulations made by the Securities and Exchange Board, and if they are not listed, the preferential offer shall be made in accordance with the provisions of the Act and rules made hereunder and subject to compliance with the following requirements, namely:-

- (a) the issue is authorized by its articles of association;
- (b) the issue has been authorized by a special resolution of the members;
- (c) the securities allotted by way of preferential offer shall be made fully paid up at the time of their allotment.
- (d) The company shall make the following disclosures in the explanatory statement to be annexed to the notice of the general meeting pursuant to section 102 of the Act:
 - (i) the objects of the issue;
 - (ii) the total number of shares or other securities to be issued;
 - (iii) the price or price band at/within which the allotment is proposed;
 - (iv) basis on which the price has been arrived at along with report of the registered valuer;
 - (V) relevant date with reference to which the price has been arrived at;
 - (vi) the class or classes of persons to whom the allotment is proposed to be made;
 - (vii) intention of promoters, directors or key managerial personnel to subscribe to the offer;
 - (viii) the proposed time within which the allotment shall be completed;
 - (ix) the names of the proposed allottees and the percentage of post preferential offer capital that may be held by them;
 - (X) the change in control, if any, in the company that would occur consequent to the preferential offer;

- 71
- (xi) the number of persons to whom allotment on preferential basis have already been made during the year, in terms of number of securities as well as price;
- (Xii) the justification for the allotment proposed to be made for consideration other than cash together with valuation report of the registered valuer.
- (xiii) The pre issue and post issue shareholding pattern of the company in the following format-

Sr.	Category	Pre Issue		Post Issue	
No.					
		No. of	% of share	.No. of shares held	% of share holding
		Shares held	holding		
А	Promoters' holding :				
1	Indian :				
	Individual				
	Bodies Corporate				
	Sub Total				
2	Foreign Promoters				
	Sub Total (A)				
В	Non-Promoters' holding :				
1.	Institutional Investors				
2.	Non-Institution :				
	Private Corporate Bodies				
	Directors and Relatives				
	Indian Public				
	Others (Including NRIs)				
	Sub Total(B)				
	GRAND TOTAL				

- (e) the allotment of securities on a preferential basis made pursuant to the special resolution passed pursuant to sub-rule (2)(b) shall be completed within a period of twelve months from the date of passing of the special resolution.
- (f) if the allotment of securities is not completed within twelve months from the date of passing of the special resolution, another special resolution shall be passed for the company to complete such allotment thereafter.
- (g) the price of the shares or other securities to be issued on a preferential basis, either for cash or for consideration other than cash, shall be determined on the basis of valuation report of a registered valuer;
- (h) where convertible securities are offered on a preferential basis with an option to apply for and get equity shares allotted, the price of the resultant shares shall be determined beforehand on the basis of a valuation report of a registered valuer and also complied with the provisions of section 62 of the Act;

- where shares or other securities are to be allotted for consideration other than cash, the valuation of such consideration shall be done by a registered valuer who shall submit a valuation report to the company giving justification for the valuation;
- (j) where the preferential offer of shares is made for a non-cash consideration, such non-cash consideration shall be treated in the following manner in the books of account of the company-
 - (i) where the non-cash consideration takes the form of a depreciable or amortizable asset, it shall be carried to the balance sheet of the company in accordance with the accounting standards; or
 - (ii) where clause (i) is not applicable, it shall be expensed as provided in the accounting standards.

Issue of Bonus Shares.-

14. The company which has once announced the decision of its Board recommending a bonus issue, shall not subsequently withdraw the same.

Notice to Registrar for alteration of share capital.-

15. Where a company alters its share capital in any manner specified in sub-section (1) of section 61, or an order is passed by the Government increasing the authorized capital of the company in pursuance of sub-section (4) read with sub-section (6) of section 62 or a company redeems any redeemable preference shares, the notice of such alteration, increase or redemption shall be filed by the company with the Registrar in **Form No. SH.7** along with the fee.

Provision of money by company for purchase of its own shares by employees or by trustees for the benefit of employees.-

- **16.**(1) The company shall not make a provision of money for the purchase of, or subscription for, shares in the company or its holding company, if the purchase of, or the subscription for, the shares by trustees is for the shares to be held by or for the benefit of the employees of the company, unless it complies with the following conditions, namely:-
 - (a) the scheme of provision of money for purchase of or subscription for the shares as aforesaid is approved by the members by passing special resolution in a general meeting;
 - (b) such purchase of shares shall be made only through a recognized stock exchange in case the shares of the company are listed and not by way of private offers or arrangements;
 - (c) where shares of a company are not listed on a recognized stock exchange, the valuation at which shares are to be purchased shall be made by a registered valuer;
 - (d) the value of shares to be purchased or subscribed in the aggregate together with the money provided by the company shall not exceed five per cent. of the aggregate of paid up capital and free reserves of the company;
 - (2) The explanatory statement to be annexed to the notice of the general meeting to be convened pursuant to section 102 shall, in addition to the particulars mentioned in sub-rule (1) of rule 18, contain the following particulars, namely:-
 - (a) the class of employees for whose benefit the scheme is being implemented and money is being provided for purchase of or subscription to shares;
 - (b) the particulars of the trustee or employees in whose favor such shares are to be registered;
 - (c) the particulars of trust and name, address, occupation and nationality of trustees and their relationship with the promoters, directors or key managerial personnel, if any;
 - (d) the any interest of key managerial personnel, directors or promoters in such scheme or trust and effect thereof;
 - (e) the detailed particulars of benefits which will accrue to the employees from the implementation of the scheme;
 - (f) the details about who would exercise and how the voting rights in respect of the shares to be purchased or subscribed under the scheme would be exercised;
 - (3) A person shall not be appointed as a trustee to hold such shares, if he-

- (a) is a director, key managerial personnel or promoter of the company or its holding, subsidiary or associate company or any relative of such director, key managerial personnel or promoter; or
- (b) beneficially holds ten percent or more of the paid-up share capital of the company.
- (4) Where the voting rights are not exercised directly by the employees in respect of shares to which the scheme relates, the Board of Directors shall, *inter alia*, disclose in the Board's report for the relevant financial year the following details, namely:-
 - (a) the names of the employees who have not exercised the voting rights directly;
 - (b) the reasons for not voting directly;
 - (c) the name of the person who is exercising such voting rights;
 - (d) the number of shares held by or in favour of, such employees and the percentage of such shares to the total paid up share capital of the company;
 - (e) the date of the general meeting in which such voting power was exercised;
 - (f) the resolutions on which votes have been cast by persons holding such voting power;
 - (g) the percentage of such voting power to the total voting power on each resolution;
 - (h) whether the votes were cast in favour of or against the resolution.

17. Buy-back of shares or other securities.-

Unless stated otherwise, the following norms shall be complied with by the private companies and unlisted public companies for buy-back of their securities-

- (1) The explanatory statement to be annexed to the notice of the general meeting pursuant to section 102 shall contain the following disclosures, namely:-
 - (a) the date of the board meeting at which the proposal for buy-back was approved by the board of directors of the company;
 - (b) the objective of the buy-back;
 - (c) the class of shares or other securities intended to be purchased under the buy-back;
 - (d) the number of securities that the company proposes to buy-back;
 - (e) the method to be adopted for the buy-back;
 - (f) the price at which the buy-back of shares or other securities shall be made;
 - (g) the basis of arriving at the buy-back price;
 - (h) the maximum amount to be paid for the buy-back and the sources of funds from which the buy-back would be financed;
 - (i) the time-limit for the completion of buy-back;
 - (i) the aggregate shareholding of the promoters and of the directors of the promoter, where the promoter is a company and of the directors and key managerial personnel as on the date of the notice convening the general meeting;
 - (ii) the aggregate number of equity shares purchased or sold by persons mentioned in sub-clause (i) during a period of twelve months preceding the date of the board meeting at which the buy-back was approved and from that date till the date of notice convening the general meeting;
 - (iii) the maximum and minimum price at which purchases and sales referred to in sub-clause (*ii*) were made along with the relevant date;
 - (k) if the persons mentioned in sub-clause (i) of clause (j) intend to tender their shares for buy-back -
 - (i) the quantum of shares proposed to be tendered;
 - (iii) the details of their transactions and their holdings for the last twelve months prior to the date of the board meeting at which the buy-back was approved including information of number of shares acquired, the price and the date of acquisition;

- (*l*) a confirmation that there are no defaults subsisting in repayment of deposits, interest payment thereon, redemption of debentures or payment of interest thereon or redemption of preference shares or payment of dividend due to any shareholder, or repayment of any term loans or interest payable thereon to any financial institution or banking company;
- (*m*) a confirmation that the Board of directors have made a full enquiry into the affairs and prospects of the company and that they have formed the opinion-
 - (*i*) that immediately following the date on which the general meeting is convened there shall be no grounds on which the company could be found unable to pay its debts;
 - (*ii*) as regards its prospects for the year immediately following that date, that, having regard to their intentions with respect to the management of the company's business during that year and to the amount and character of the financial resources which will in their view be available to the company during that year, the company shall be able to meet its liabilities as and when they fall due and shall not be rendered insolvent within a period of one year from that date; and
 - (iii) the directors have taken into account the liabilities(including prospective and contingent liabilities), as if the company were being wound up under the provisions of the Companies Act, 2013
 - (n) a report addressed to the Board of directors by the company's auditors stating that-
 - (i) they have inquired into the company's state of affairs;
 - (ii) the amount of the permissible capital payment for the securities in question is in their view properly determined;
 - (iii) that the audited accounts on the basis of which calculation with reference to buy back is done is not more than six months old from the date of offer document; and
 - (iv) the Board of directors have formed the opinion as specified in clause (m) on reasonable grounds and that the company, having regard to its state of affairs, shall not be rendered insolvent within a period of one year from that date.
- (2) The company which has been authorized by a special resolution shall, before the buy-back of shares, file with the Registrar of Companies a letter of offer in **Form No. SH.8**, along with the fee:

Provided that such letter of offer shall be dated and signed on behalf of the Board of directors of the company by not less than two directors of the company, one of whom shall be the managing director, where there is one.

- (3) The company shall file with the Registrar, along with the letter of offer, and in case of a listed company with the Registrar and the Securities and Exchange Board, a declaration of solvency in **Form No. SH.9** along with the fee and signed by at least two directors of the company, one of whom shall be the managing director, if any, and verified by an affidavit as specified in the said Form.
- (4) The letter of offer shall be dispatched to the shareholders or security holders immediately after filing the same with the Registrar of Companies but not later than twenty days from its filing with the Registrar of Companies.
- (5) The offer for buy-back shall remain open for a period of not less than fifteen days and not exceeding thirty days from the date of dispatch of the letter of offer.
- (6) In case the number of shares or other specified securities offered by the shareholders or security holders is more than the total number of shares or securities to be bought back by the company, the acceptance per shareholder shall be on proportionate basis out of the total shares offered for being bought back.
- (7) The company shall complete the verifications of the offers received within fifteen days from the date of closure of the offer and the shares or other securities lodged shall be deemed to be accepted unless a communication of rejection is made within twenty one days from the date of closure of the offer.
- (8) The company shall immediately after the date of closure of the offer, open a separate bank account and deposit therein, such sum, as would make up the entire sum due and payable as consideration for the shares tendered for buy-back in terms of these rules.
- (9) The company shall within seven days of the time specified in sub-rule (7)-
 - (a) make payment of consideration in cash to those shareholders or security holders whose securities have been accepted; or

- (b) return the share certificates to the shareholders or security holders whose securities have not been accepted at all or the balance of securities in case of part acceptance.
- (10) The company shall ensure that—
 - (*a*) the letter of offer shall contain true, factual and material information and shall not contain any misleading information and must state that the directors of the company accept the responsibility for the information contained in such document;
 - (b) the company shall not issue any new shares including by way of bonus shares from the date of passing of special resolution authorizing the buy-back till the date of the closure of the offer under these rules, except those arising out of any outstanding convertible instruments;
 - (c) the company shall confirm in its offer the opening of a separate bank account adequately funded for this purpose and to pay the consideration only by way of cash;
 - (d) the company shall not withdraw the offer once it has announced the offer to the shareholders;
 - (e) the company shall not utilize any money borrowed from banks or financial institutions for the purpose of buying back its shares; and
 - (f) the company shall not utilize the proceeds of an earlier issue of the same kind of shares or same kind of other specified securities for the buy-back.
- (12)(a) The company, shall maintain a register of shares or other securities which have been bought-back in Form No. SH.10.
 - (b) The register of shares or securities bought-back shall be maintained at the registered office of the company and shall be kept in the custody of the secretary of the company or any other person authorized by the board in this behalf.
 - (c) The entries in the register shall be authenticated by the secretary of the company or by any other person authorized by the Board for the purpose.
- (13) The company, after the completion of the buy-back under these rules, shall file with the Registrar, and in case of a listed company with the Registrar and the Securities and Exchange Board of India, a return in the **Form No. SH.11** along with the fee .
- (14) There shall be annexed to the return filed with the Registrar in Form No. **SH.11**, a certificate in Form No. **SH.15** signed by two directors of the company including the managing director, if any, certifying that the buy-back of securities has been made in compliance with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

18. Debentures.-

- (1) The company shall not issue secured debentures, unless it complies with the following conditions, namely:-
 - (a) An issue of secured debentures may be made, provided the date of its redemption shall not exceed ten years from the date of issue.

Provided that a company engaged in the setting up of infrastructure projects may issue secured debentures for a period exceeding ten years but not exceeding thirty years;

- (b) such an issue of debentures shall be secured by the creation of a charge, on the properties or assets of the company, having a value which is sufficient for the due repayment of the amount of debentures and interest thereon;
- (c) the company shall appoint a debenture trustee before the issue of prospectus or letter of offer for subscription of its debentures and not later than sixty days after the allotment of the debentures, execute a debenture trust deed to protect the interest of the debenture holders; and
- (d) the security for the debentures by way of a charge or mortgage shall be created in favour of the debenture trustee on-
 - (i) any specific movable property of the company (not being in the nature of pledge); or
 - (ii) any specific immovable property wherever situate, or any interest therein.
- (2) The company shall appoint debenture trustees under sub-section (5) of section 71, after complying with the following conditions, namely:-

- (a) the names of the debenture trustees shall be stated in letter of offer inviting subscription for debentures and also in all the subsequent notices or other communications sent to the debenture holders;
- (b) before the appointment of debenture trustee or trustees, a written consent shall be obtained from such debenture trustee or trustees proposed to be appointed and a statement to that effect shall appear in the letter of offer issued for inviting the subscription of the debentures;
- (c) A person shall not be appointed as a debenture trustee, if he-
 - (i) beneficially holds shares in the company;
 - (ii) is a promoter, director or key managerial personnel or any other officer or an employee of the company or its holding, subsidiary or associate company;
 - (iii) is beneficially entitled to moneys which are to be paid by the company otherwise than as remuneration payable to the debenture trustee;
 - (iv) is indebted to the company, or its subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company;
 - (v) has furnished any guarantee in respect of the principal debts secured by the debentures or interest thereon;
 - (vi) has any pecuniary relationship with the company amounting to two per cent. or more of its gross turnover or total income or fifty lakh rupees or such higher amount as may be prescribed, whichever is lower, during the two immediately preceding financial years or during the current financial year;
 - (vii) is relative of any promoter or any person who is in the employment of the company as a director or key managerial personnel

(d) the Board may fill any casual vacancy in the office of the trustee but while any such vacancy continues, the remaining trustee or trustees, if any, may act:

Provided that where such vacancy is caused by the resignation of the debenture trustee, the vacancy shall only be filled with the written consent of the majority of the debenture holders.

(e) any debenture trustee may be removed from office before the expiry of his term only if it is approved by the holders of not less than three fourth in value of the debentures outstanding, at their meeting.

(3) It shall be the duty of every debenture trustee to-

(a) satisfy himself that the letter of offer does not contain any matter which is inconsistent with the terms of the issue of debentures or with the trust deed;

(b) satisfy himself that the covenants in the trust deed are not prejudicial to the interest of the debenture holders;

(c) call for periodical status or performance reports from the company;

(d) communicate promptly to the debenture holders defaults, if any, with regard to payment of interest or redemption of debentures and action taken by the trustee therefor;

(e) appoint a nominee director on the Board of the company in the event of-

- (i) two consecutive defaults in payment of interest to the debenture holders; or
- (ii) default in creation of security for debentures; or

(iii) default in redemption of debentures.

(f) ensure that the company does not commit any breach of the terms of issue of debentures or covenants of the trust deed and take such reasonable steps as may be necessary to remedy any such breach;

(g) inform the debenture holders immediately of any breach of the terms of issue of debentures or covenants of the trust deed;

(h) ensure the implementation of the conditions regarding creation of security for the debentures, if any, and debenture redemption reserve;

- (i) ensure that the assets of the company issuing debentures and of the guarantors, if any, are sufficient to discharge the interest and principal amount at all times and that such assets are free from any other encumbrances except those which are specifically agreed to by the debenture holders;
- (j) do such acts as are necessary in the event the security becomes enforceable;

- (k) call for reports on the utilization of funds raised by the issue of debentures-
- (1) take steps to convene a meeting of the holders of debentures as and when such meeting is required to be held;
- (m) ensure that the debentures have been converted or redeemed in accordance with the terms of the issue of debentures;
- (n) perform such acts as are necessary for the protection of the interest of the debenture holders and do all other acts as are necessary in order to resolve the grievances of the debenture holders.
- (4) The meeting of all the debenture holders shall be convened by the debenture trustee on-
 - (a) requisition in writing signed by debenture holders holding at least one-tenth in value of the debentures for the time being outstanding;
 - (b) the happening of any event, which constitutes a breach, default or which in the opinion of the debenture trustees affects the interest of the debenture holders.
- (5) For the purposes of sub-section (13) of section 71 and sub-rule (1) a trust deed in Form No. **SH.12** or as near thereto as possible shall be executed by the company issuing debentures in favour of the debenture trustees within sixty days of allotment of debentures.
- (6) The provisions of sub-rules (2) to (5) of rule 18 shall not be applicable to the public offer of debentures.
- (7) The company shall create a Debenture Redemption Reserve for the purpose of redemption of debentures, in accordance with the conditions given below-
 - (a) the Debenture Redemption Reserve shall be created out of the profits of the company available for payment of dividend;
 - (b) the company shall create Debenture Redemption Reserve (DRR) in accordance with following conditions:-
 - (i) No DRR is required for debentures issued by All India Financial Institutions (AIFIs) regulated by Reserve Bank of India and Banking Companies for both public as well as privately placed debentures. For other Financial Institutions (FIs) within the meaning of clause (72) of section 2 of the Companies Act, 2013, DRR will be as applicable to NBFCs registered with RBI.
 - (ii) For NBFCs registered with the RBI under Section 45-IA of the RBI (Amendment) Act, 1997, 'the adequacy' of DRR will be 25% of the value of debentures issued through public issue as per present SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, and no DRR is required in the case of privately placed debentures.
 - (iii) For other companies including manufacturing and infrastructure companies, the adequacy of DRR will be 25% of the value of debentures issued through public issue as per present SEBI (Issue and Listing of Debt Securities), Regulations 2008 and also 25% DRR is required in the case of privately placed debentures by listed companies. For unlisted companies issuing debentures on private placement basis, the DRR will be 25% of the value of debentures.
 - (c) every company required to create Debenture Redemption Reserve shall on or before the 30th day of April in each year, invest or deposit, as the case may be, a sum which shall not be less than fifteen percent, of the amount of its debentures maturing during the year ending on the 31st day of March of the next year, in any one or more of the following methods, namely:-
 - (i) in deposits with any scheduled bank, free from any charge or lien;
 - (ii) in unencumbered securities of the Central Government or of any State Government;
 - (iii) in unencumbered securities mentioned in sub-clauses (a) to (d) and (ee) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882;
 - (iv) in unencumbered bonds issued by any other company which is notified under sub-clause (f) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882;
 - (v) the amount invested or deposited as above shall not be used for any purpose other than for redemption of debentures maturing during the year referred above:

Provided that the amount remaining invested or deposited, as the case may be, shall not at any time fall below fifteen per cent of the amount of the debentures maturing during the year ending on the 31st day of March of that year;

- (d) in case of partly convertible debentures, Debenture Redemption Reserve shall be created in respect of non-convertible portion of debenture issue in accordance with this sub-rule.
- (e) the amount credited to the Debenture Redemption Reserve shall not be utilised by the company except for the purpose of redemption of debentures.
- (8) (a) A trust deed for securing any issue of debentures shall be open for inspection to any member or debenture holder of the company, in the same manner, to the same extent and on the payment of the same fees, as if it were the register of members of the company; and
 - (b) A copy of the trust deed shall be forwarded to any member or debenture holder of the company, at his request, within seven days of the making thereof, on payment of fee.

19. Nomination by securities holders.—

- (1) Any holder of securities of a company may, at any time, nominate, in Form No. **SH.13**, any person as his nominee in whom the securities shall vest in the event of his death.
- (2) On the receipt of the nomination form, a corresponding entry shall forthwith be made in the relevant register of securities holders, maintained under section 88.
- (3) Where the nomination is made in respect of the securities held by more than one person jointly, all joint holders shall together nominate in Form No.**SH.13** any person as nominee.
- (4) The request for nomination should be recorded by the Company within a period of two months from the date of receipt of the duly filled and signed nomination form.
- (5) In the event of death of the holder of securities or where the securities are held by more than one person jointly, in the event of death of all the joint holders, the person nominated as the nominee may upon the production of such evidence as may be required by the Board, elect, either-
 - (a) to register himself as holder of the securities ; or
 - (b) to transfer the securities, as the deceased holder could have done.

(6) If the person being a nominee, so becoming entitled, elects to be registered as holder of the securities himself, he shall deliver or send to the company a notice in writing signed by him stating that he so elects and such notice shall be accompanied with the death certificate of the deceased share or debenture holder(s).

- (7) All the limitations, restrictions and provisions of the Act relating to the right to transfer and the registration of transfers of securities shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death of the share or debenture holder had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that shareholder or debenture holder, as the case may be.
- (8) A person, being a nominee, becoming entitled to any securities by reason of the death of the holder shall be entitled to the same dividends or interests and other advantages to which he would have been entitled to if he were the registered holder of the securities except that he shall not, before being registered as a holder in respect of such securities, be entitled in respect of these securities to exercise any right conferred by the membership in relation to meetings of the company:

Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the securities, and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends or interests, bonuses or other moneys payable in respect of the securities, as the case may be, until the requirements of the notice have been complied with.

- (9) A nomination may be cancelled, or varied by nominating any other person in place of the present nominee, by the holder of securities who has made the nomination, by giving a notice of such cancellation or variation, to the company in Form No. **SH.14**.
- (10) The cancellation or variation shall take effect from the date on which the notice of such variation or cancellation is received by the company.
- (11) Where the nominee is a minor, the holder of the securities, making the nomination, may appoint a person in Form No. **SH. 14** specified under sub-rule (1), who shall become entitled to the securities of the company, in the event of death of the nominee during his minority.

79

Form No. SH-1
Share Certificate
[Pursuant to sub-section (3) of section 46 of the Companies Act, 2013 and rule 5(2) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014]
Limited/Private Limited (Corporate Identification Number) (Incorporated underthe Companies Act, 1956/2013) Registered Office:
This is to certify that the person(s) named in this Certificate is/are the Registered Holder(s) of the within mentioned share(s) bearing the distinctive number(s) herein specified in the above named Company subject to the Memorandum and Articles of Association of the Company and the amount endorsed herein has been paid up on each such share.
EQUITY SHARES EACH OF RUPEES (Nominal value)
AMOUNT PAID-UP PER SHARE RUPEES
Register Folio No: Certificate No:
Name(s) of the Holder(s):
No. of shares held:
(in words) (in figures)
Distinctive No.(s): From
Given under the common seal of the Company this day of 20 (1) Director:
(2) Director:
(3) Secretary/any other authorized person:
Note: No transfer of the Share(s) comprised in the Certificate can be registered unless accompanied by this Certificate.

	Form No. SH-2									
			Re	gister of	Renewed and D	uplicat	te Share Certif	icates		
[Pı	ursuant to sub	-sec	ction (3) of sec	tion 46				(3)(a) the	Companies (Sha	re Capital
	S. No.		Falia Na	Nomo	and Debentures of the person(s)		s 2014] .te of approval o	f (Class of shares	
	S. No. Folio No.		FOIIO INO.		-				lass of shares	
				om Renewed /		sue of Renewed	/			
					plicate share	Ι	Duplicate share			
				certif	icate is issued		certificate			
	1		2		3		4		5	
	Date of iss	ue	Original share	re T	otal number of	Disti	nctive No. of	Dat	e of issue of	
	of origin	nal	certificate		shares in the	shares R From To		Renev	wed/ Duplicate	
	share		number	(Original Share			Share Certificate		
	certificate				Certificate					
	6		7	8			9		10	
				.1		6				
	Reasons for		Number of		Total Number			•	Remarks	
	issue of		Renewed sł		Shares in the	e Register of M		lembers		
	Renewed/		certificate,	if	Renewed/ Dupl	icate				
D	uplicate Share		applicabl	e	Share Certific	ate				
	Certificate									
	11	1	12		13		14		15	
-		+								

Register of Sweat Equity Shares

[Pursuant to section 54 of the Companies Act, 2013 and rule 8(14) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014]

S. No.	Reference to	Name of the allottee	Status of the allottee	Date of passing of
	entry in register		- whether director or	Board resolution
	of members		employee	
1	2	3	4	5

Date of the special	Date of issue of sweat	Number of sweat	Certificate No. /
resolution authorizing the	equity shares	equity shares issued	Folio No.
issue of sweat equity			
shares			
6	7	8	9

Face value	Price at which	Amount to be	Total consideration paid, if any, by the			
of the share	the shares are	treated as paid up	employe	e / director		
	issued					
			Consideration	Particulars of		
			received in cash	consideration other		
				than cash		
10	11	12	13	14		

Lock in	the date of	Remarks, if	Date	of	Fair v	value	Basis	of	Name	of
period	expiry of	any	Joining		obtained	by	Valuation		Valuer	
	lock- in-				Valuer					
	period									
15	16	17	5		12		13		14	

Securities Transfer Form

[Pursuant to section 56 of the Companies Act, 2013 and sub-rule (1) of rule 11 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014]

Date of execution.....

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named the securities specified below subject to the conditions on which the said securities are now held by the Transferor(s) and the Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said securities subject to the conditions aforesaid.

CIN:

Name of the company (in full):

Name of the Stock Exchange where the company is listed, if any:

DESCRIPTION OF SECURITIES:

Kind/ Class of	Nominal value of each	Amount called up per	Amount paid up per
securities	unit of security	unit of security	unit of security
(1)	(2)	(3)	(4)

	ecurities Insferred	Consideration received (Rs.)			
In figures	In words	In words	In figures		

	From			
Distinctive number				
	То			
Corresponding Certificate Nos.				

0	2
0	3

[भ —	[भाग II-खण्ड 3(1)] भारत का राजपत्र : असाधारण										
			Tran	sferor's Particula	rs-						
	Registered	d Folio Number:									
				Name(s)) in full	Signature (s)				
	1.										
	2.										
	3.										
L											
	I, hereby o	confirm that the Tra	ansferor has signed	before me.							
	Signature	of witness									
	Name and	l address									
				ansferee's Particu							
	Name in	Father's/	Address & E-	Occupation	Existing folio	Signature					
	full	mother's/	mail id		No., if any.						
	(1)	Spouse name									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	1.										
	2.										
	3.										
	Folio No.	of Transferee	Specimen	Signature of Trans	feree						
	Value of s	stamp affixed:	. (Rs.)								
	Enclosure										
			of shares or deben		ities						
			icate is issued, lette								
	((3) Others, spe	ecify								
Sta	mps										

.....

On the re	everse page of the ce	rtificate		
Name of t	he Transferor	Name of the Transferee	No. of shares	Date of
Transfer	Signature of the aut	horized signatory		

Form No. SH-5
Notice for transfer of partly paid securities
[Pursuant to sub-section (3) of section 56 of the Companies Act, 2013 and sub-rule (3) of rule 11 the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014]
То-
(Name and address of transferee)
Subject: Transfer of partly paid securities
Notice is hereby given that an application has been made by the transferor for the transfer of securities of the

above named Company whose particulars are given hereunder-
Name & Address of the Transferor:
Name & Address of the Transferee:
Class / Kind of securities:
Number of securities:
Distinctive numbers of the securities:
Securities Certificate Number:
Nominal value of each security:
Issue price of each security:
Amount called on each security:
Amount paid on each security
Amount called and due on each security:
Amount uncalled on each security:
Total amount called and due on the total number of securities lodged for transfer:
Total amount uncalled on the total number of securities lodged for transfer:
As required under sub section (3) of section 56 of the Companies Act, 2013, notice is hereby given by the Company to the transferee on this Day of (month) of (year) that the above mentioned securities are partly paid and the transferee shall be liable to pay the balance amount unpaid on the securities.
The transferee is hereby requested to submit his / her objection, if any, within two weeks from the date of receipt

The transferee is hereby requested to submit his / her objection, if any, within two weeks from the date of receipt of this notice in the absence of which it shall be presumed that he / she has no objection to the transfer and the securities shall be transferred in his / her name without any further correspondence.

Signature:

					Forn	n No.	SH-6				
				Re	egister of Em	ploye	e Stoc	k Options			
[Pursuant t	o clau	se (b) of								<i>and rule 12(10)</i> th	ne Companies
Name of Co	mpany	y	(Share	Capital and	Deber	ntures	5) Rules 2014	4 /		
Registered o											
Date of spec	ial res	olution		•••							
S. No.	Nar	ne of the g	grantee	N	Number of opti	ions		Date on whi	ch	Exercised	
					granted			options vest	ed	period	
1		2			3			4		5	
	1										
Date on wh	nich op	otions	Option	s exer	cised	I	Exerci	se price	Nı	umber of shares	
exercised									ari	sing as result of	
									ex	ercise of option	
	6			7	1			8		9	
	-			0.1	1 1						
Folio No.		Lock in	-	Opti	on lapsed, if a	iny		number of		nount forfeited/	
Register member		if a	ny				optic	ons in force		inded if option is not exercised	
having										not exercised	
respectiv											
entry	ve										
10		1	1		12			13		14	
									I		
Any variati	ion of	terms	Signatu	ire	Remark	S					
of the sche	me an	d its									
effects											
1	15		16		17				_		
							+		+		

FORM NO. SH.7		Notice to	Registrar of any
[Pursuant to section 64(1) of the Companies Act, 2013 and pursuant to Rule 15 of the Companies (Share Capital & Debentures) Rules, 2014]	सत्यमेव जयते	alteration	of share capital
Form language oEnglish o Hindi Refer the instruction kit for filing the form.			
 1.(a) * Corporate identity number (CIN) of company (b) Global location number (GLN) of company 2.(a) Name of the company 			Pre-fill
(b) Address of the registered office of the company			
(c) *e-mail ID of the company			
 *Purpose of the form Increase in share capital independently by co Increase in share capital with Central Govern Redemption of redeemable preference sha 	ment order Cons	ase in number of me solidation or division	
4. In accordance with section 61(1) of the Companies A	ct, 2013, that by 🔘	Ordinary O Spec	ial resolution at
the meeting of the members of the company held on		(DD/MM/YYYY)	
Service request number (SRN) of related Form MGT.1]	
(a) (i) The authorised share capital of the company ha	as been increased from	1	
Existing (in Rs.)]	
Revised (in Rs.) Difference (addition) (in Rs.)]	
(b) (i) The number of members in the company has	heen increased from	1	
Existing	been increased from	l	
Revised			
Difference (additional)			
(ii) Maximum number of members excluding past	and present employe	e(s)	

5. (a) In accordance with sub section (6) of Section 62 of the Companies Act,2013, the authorised capital of the
Existing authorised capital (in Rs.)
Revised authorised capital (in Rs.)
Difference (addition) (in Rs.)
 Date of passing the order by Tribunal (if applicable) Date of receipt of such order (b) A copy of the aforesaid order was received by the company from the Central Government on 6. The additional capital (taking into consideration the addition above) is divided as follows
(a) Number of equity shares Total amount of equity shares (in Rs.)
(b) Number of preference shares Total addition (in Rs.)
The conditions (e.g. voting rights, dividend rights, winding-up rights, etc.) subject to which new shares have been issued, are as follows

 Notice is hereby given that 	
In accordance with section 61 of the Companies Act, 2013, that the company has on (DD/MM/YYYY)	
(a) Consolidated	
(b) Converted	
(c) Reconverted	
(d) Subdivided	
(e) Cancelled	
(f) Reclassified	
Date of passing the order by Tribunal (if applicable)	
Date of receipt of such order	
8. In accordance with section 55, by a resolution of the Board of Directors at the meeting held on	٦
the company has redeemed redeemable preference shares, the particulars of which are as under	_
(a) Description of Preference shares to be redeemed	
	7
(b) Date of issue of series of shares	
(c) Date on which shares were fully paid up	
(d) Due date of redemption of shares	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(e) Actual date of redemption of shares
(f) Amount payable on redemptionAmount (in Rupees) i. Number of preference shares
ii. Face value per share iii.Carrying rate of dividend per share
iv. Total nominal value
v. Total premium paid on redemption, if any
(g) Preference shares redeemed out of Amount (in Rupees)
Profits of the company
Proceeds of fresh issue of shares
9. Revised capital structure after taking into consideration the changes vide points 4, 5, 6, 7 and 8 above
(a) Authorised capital of the company (in Rs.)
Break up of Authorised capital
Number of equity shares Total amount of equity shares (in Rs.)
Nominal amount per equity share
Number of preference shares Total amount of preference shares (in Rs.)
Nominal amount per preference share
Number of unclassified shares Total amount of unclassified shares
(in Rs.)
(b) Issued capital of the company (in Rs.)
Break up of Issued capital
Number of equity shares Total amount of equity shares (in Rs.)
Nominal amount per equity share (in Rs.)
Number of preference shares Total amount of preference shares
Nominal amount per preference share
(c) Subscribed capital of the company (in Rs.)
Break up of Subscribed capital
Number of equity shares Total amount of equity shares (in Rs.)
Nominal amount per equity share
Number of preference shares Total amount of preference shares
Nominal amount per preference (in Rs.)
share

(d) Paid up capital of the company	(in Rs.)	
Break up of Paid up capital		
Number of equity shares		Total amount of equity shares (in Rs.)
Nominal amount per equity share		
Number of preference shares		Total amount of preference shares
Nominal amount per preference		(in Rs.)
10. Whether articles of association have	been altered	Yes No
11. Particulars of payment of stamp	duty (Refer instru	uction kit for details before filling the particulars)
 (a) State or Union territory in respect of duty is paid or to be paid 	which stamp	Pre-fill
(b) *Whether stamp duty is to be paid (electronically throu	igh MCA21 system O Yes O No O Not applicable
(i) Details of stamp duty to be paid		
Amount of stamp duty to be paid	(in Rs.)	
(ii) Provide details of stamp duty alrea	dy paid	
Type of document/Particulars		Form SH.7
Total amount of stamps or stamp pape	er (in Rs.)	
Mode of payment of stamp duty		
Name of vendor or Treasury or Author other Competent agency authorised to duty or to sell stamp papers or to emb documents or to dispense stamp vouc behalf of the Government	collect stamp oss the	
Serial number of embossing or stamps paper or treasury challan number	or stamp	
Registration number of vendor		
Date of purchase of stamps or stamp payment of stamp duty	paper or	(DD/MM/YYYY)
Place of purchase of stamps or stamp payment of stamp duty	paper or	
12. In case maximum stamp duty p receipt number, form number, o	-	dy been paid, provide details of form(s) filled earlier (SRN or ount of stamp duty paid)

Declaration

I*, a * (*Drop down*) {Values: Director/Manager/Company secretary/CEO/CFO} of the company declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder have been complied with. I am authorized in the local of directors to give this declaration and to sign and submit this Form. It is further declared and verified that

	-
 (h) Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association. (i) All the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form. (j) I further declare that the company has paid correct stamp duty as per applicable Stamp Act. 	
*To be digitally signed by DSC BOX	
*Designation	
*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary	
Attachments	
1. Copy of the resolution for alteration of capital; Attach	
2. Copy of order of Central Government; Attach	
3. Copy of the order of the Tribunal; Attach	
4. Copy of Board resolution authorizing redemption of redeemable preference shares; Attach	
5. Altered memorandum of association; Attach	
6. Altered articles of association; Attach	
7. Workings for calculation of ratios (in case of conversion);	
8. Optional attachment(s), if any Attach	
Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively. Modify Check Form Prescrutiny Submit	
For office use only: Affix filing details	
eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)	
This e-Form is hereby registered	
Digital signature of the authorising officer	
Date of signing (DD/MM/YYYY)	

FORM NO.SH.8

[Pursuant to section 68 of the Companies Act, 2013 and Rule 17(2)of the Companies (Share Capital & Debentures) Rules, 2014]



Letter of Offer

Form language o English o Hindi Refer the instruction kit for filing the form.

1. (a)*Corporate identity number (CIN) of the company

(b) Global location number (GLN) of the company

2. (a) Name of the company

Pre-fill

3.

|--|

(d) Date of Incorporation
Main division of industrial activity of the company
Description of the main division

4. Particulars of directors and Key managerial personnel $\[$

DIN/PAN	Full Name	Pre-fill All	Designation

5. Present Capital structure of the company

(a) Authorized capital of the company (in Rs.)	
(i) Number of equity shares	Nominal amount per equity share
Total amount of equity shares (in Rs.)	
(ii) Number of preference shares] Nominal amount per preference share
Total amount of preference shares (in Rs.)	
(b) Subscribed capital of the company (in Rs.)	
(i) Number of equity shares	Nominal amount per equity share
Total amount of equity shares (in Rs.)	
(ii) Number of preference shares	Nominal amount per preference share
Total amount of preference shares (in Rs.)	

(in Rupees)

6.	Details	of	last	buy	back
----	---------	----	------	-----	------

(b) Percentage of the share capital bought back to the total paid up share capital and free reserves

- a. *Free reserves
- b. *Securities Premium account
- c. *Proceeds out of fresh issue ofany shares or other specifiedsecurities

	d. '	*Debt	Secured				
			Unsecure	d			
			Total				
8.	*Sour	rce of the buy-	-back would be	O Free reserves	O Securities p	remium	

O Proceeds out of fresh issue of shares or other specified securities

O Debt

(in %)

9. (a)*Date of Board of Directors' resolution authorizing buy-back of securities
(b) (i) Date of passing the special resolution

(ii) Service request number of Form MGT.14

10. *Shareholding of the promoters, directors and key manager personnel of the company and also the directors of such company which is promoter of the company

S. No.	Particulars	Equity shares	Preference redeemable	Preference convertible	Other, If any	Total
1	Number of shares as on the date preceding to the date of board meeting in which the buy-back got approved	(Number)	(Number)	(Number)	(Number)	(Number)
2	Shares purchased during the period of 12 months preceding the date of board meeting approving buy-back	(Number)	(Number)	(Number)	(Number)	(Number)
3	Shares purchased during the period from date of board meeting approving buy-back till the date of letter of offer	(Number)	(Number)	(Number)	(Number)	(Number)
4	Maximum price paid for the above	(Amount)	(Amount)	(Amount)	(Amount)	(Average amount)
5	Date on which the above maximum price was paid	(Date)	(Date)	(Date)	(Date)	-
6	Shares sold during the period of 12 months preceding the date of board meeting approving buy- back	(Number)	(Number)	(Number)	(Number)	(Number)
7	Shares sold during the period from date of board meeting approving buy-back till the date of letter of offer	(Number)	(Number)	(Number)	(Number)	(Number)
8	Maximum price received for the above	(Amount)	(Amount)	(Amount)	(Amount)	(Average amount)
9	Date on which the above maximum price was received	(Date)	(Date)	(Date)	(Date)	-
10	Balance of number of shares held as on the date of letter of offer	(Number)	(Number)	(Number)	(Number)	(Number)

11. *The shareholding pattern before buy-back of shares or other specified securities:

S.	Category of security holders	Securities held before buy-
No.		back as on
1.	Government(Central and State)	
2.	Government Companies	
3.	Public financial institutions	
4.	Nationalized or other bank(s)	
5.	Mutual Funds	
6.	Venture Capital	
7.	Foreign holdings (Foreign Institutional Investors, Foreign companies,	
	Non-resident Indians, Foreign financial institutions or Overseas	
	corporate bodies)	
8.	Bodies Corporate (not mentioned above)	
9.	Directors or relatives of directors	
10.	Other top fifty shareholders (other than mentioned above)	
11.	Others	
12.	Total	
	Total number of shareholders	

	*Particulars of the securities authorized to be bought-back
	Minimum Number of the shares or other securities
	Nominal value per securityTq
	Percentage of total share capital and free reserves proposed to be bought back
14.	Existing security-holders on a proportionate basis Open market Odd-lots of listed securities Employees' Stock Option Sweat equity
	Any other mode
15.	*Article number authorizing buy-back
16.	(a) *Date of opening of the offer
	(b) *Proposed completion date of buy-back
(c) *Proposed date of extinguishment of the certificates
17.	Other terms and conditions of offer, if any
ĺ	
18.	*Expected capital structure post buy-back (assuming maximum securities bought back as per plan)
	(a) Authorized capital of the company (in Rs.)
	(i) Number of equity shares Nominal amount per equity share
	Total amount of equity shares (in Rs.)
	(ii) Number of preference shares Nominal amount per preference share
	Total amount of preference shares (in Rs.)
	(b) Paid-up capital of the company (in Rs.)
	(i) Number of equity shares Nominal amount per equity share
	Total amount of equity shares (in Rs.)
	(ii) Number of preference shares Nominal amount per preference share

19. *Expected capital structure post buy-back (assuming minimum securities bought back as per plan)

(a) Authorized capital of the company (in Rs.)	
(i) Number of equity shares	equity share
Total amount of equity shares (in Rs.)	
(ii) Number of preference shares	Nominal amount per preference share
Total amount of preference shares (in Rs.)	
(b) Paid-up capital of the company (in Rs.)	
(i) Number of equity shares	Nominal amount per equity share
Total amount of equity shares (in Rs.)	
(ii) Number of preference shares	Nominal amount per preference share
Total amount of preference shares (in Rs.)	

20. (a) *Debt to capital and free reserves ratio allowed to company(b) *Pre buy-back debt to capital and free reserve ratio

Total amount of preference shares (in Rs.)

(c) *Expected post buy-back debt to capital and free reserve ratio

(d) Details of Government notification for the ratio higher than 2:1, if any

Attachments

- (1) *Details of the promoters of the company
- (2) *Declaration by auditor(s)
- (3) *Copy of the board resolution
- *Copy of the notice issued under section 68(3) along with the explanatory Statement thereto,
- (5) *Audited financial statements of last three years.
- (6) Buy back details of last three years.
- (7) Management discussion and analysis (in case of listed company);
- (8) List of holding and subsidiary companies of the company;
- (9) Unaudited financial statement (if applicable);
- (10) Statutory approvals received (if any);
- (11) Details of the auditor, legal advisors, bankers and trustees (if any);
- (12) Optional attachments(if any)

Declaration

It is hereby declared that all the attachments and the information given in this form are true and correct to the best ofmy knowledge. Further declared that:

- (a) All requirements of section 68(3) have been complied with.
- (b) No defaults are subsisting in repayment of deposits or interest payment thereon, redemption of debentures or payment of interest thereon or redemption of preference shares or payment of dividend to any shareholder or repayment of any term loan or interest payable thereon to any financial institutions or banking company and the company is not prohibited for buy-back by operation of law within the meaning of section 70 of the Act;
- (c) The Board of directors has made a full enquiry into the affairs and prospects of the company and that they have formed the opinion:
 - i. as regards its prospects for the year immediately following the date of the letter of offer that, having regard to their intentions with respect to the management of the company's business during that year and to the amount and character of the financial resources which will in their view be available to the company during that year, the company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from that date; and
 - ii. in forming their opinion for the above purposes, the directors have taken into account the liabilities as if the company were being wound up under the provisions of the Companies Act, 2013 (including prospective and contingent liabilities)

Attach
Attach
Attach
Attach
Attach

Attach	
Attach	

*To be digitally signed by

Designation (Drop down) (Values: Director	, Managing Director)
*DIN	DSC Box
Designation Director	
*DIN	DSC Box

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

Modify Check Form	Prescrutiny Submit
For office use only:	Affix filing details
eForm Service request number (SRN)	eForm filing date (DD/MM/YYYY)
This e-Form is hereby registered	
Digital signature of the authorising officer	Confirm submission
Date of signing	(DD/MM/YYYY)

FO	RM NO. SH.9		Declaration o	of Solvency
	uant to section 68(6) of the			
	oanies Act, 2013 and Rule) of the Companies (Share			
Capita 2014				
	l Iguage o English o Hindi	सत्यमेव जयते		
	e instruction kit for filing the for	m.		
1 .(a)*	Corporate identity number (CIN) of	the company		Pre-fill
	l location number (GLN) of the com			
	ne of the company	P ,		
	Address of registered office of the co	ompany		
(-)				
	email Id of the company			
	Whether the company is listed	🔾 Yes 🗘 No		
(b) ľ	Name of the stock exchange(s)			
(c) [Date of listing(s)			
1_(b)	Name of the merchant banker appoi	inted		
4 (a) *	Date of Board of Directors' resoluti	on authorizing the buy-h		
	i) Date of special resolution of mem			
	ii) Service request number of Form		<u> </u>	
	iii) Date of filling form MGT.14			
Attachm		Attach		
	Copy of board resolution	Attach		
()	Statement of assets and liabilities			
	*Auditor's report *Affidavit as per rule 17(3)	Attach Attach		
. ,	Copy of Special Resolution	Attach		
	Optional Attachments , if any	Attach		
		Attach		

Declarati	on
We solemnly declare that we have made a full enquiry in	to the affairs of the company including the assets
and liabilities of this company and have noted that the sha	areholders by a special resolution dated
And/or the resolution passed by the Board at its meeting h	neld onnave approved the buy-
back of	*(in numbers)
	(in words) shares or
other specified securities as per the provisions of section 6	8 of the Companies Act, 2013.
Verified this day the* day of *	
To be digitally signed by two directors, one of whom sh	nall be the Managing director (if any)
	7
*Designation (Drop down) DSC Box	
(Values: Director, Managing Director)	
*DIN	
*Designation DSC Box	
Director	
*DIN	
Note:Attention is drawn to provisions of Section 448 a	nd 449 which provide for punishment for false
statement / certificate and punishment for false evider	nce respective
Modify Check Form	Prescrutiny Submit
For office use only:	Affix filing details
eForm Service request number (SRN)	eForm filing date (DD/MM/YYYY)
This e-Form is hereby registered	
Digital signature of the authorising officer	Confirm submission
Date of signing	(DD/MM/YYYY)
	-

Register of shares or other securities bought-back

[Pursuant to sub-section (9) of section 68 of the Companies Act, 2013 and rule 17 (12) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014]

Name of the company: Registered address :

- **1.** Date of passing of special resolution at the meeting of the members authorizing buy-back of securities:
- **2.** Date of approval by the Board:
- **3.** Number, price and amount of shares or other specified securities authorized to be bought back:
- **4.** Date of opening and closing of buy-back offer:
- **5.** Date by which buy-back was completed:
- **6.** Description of shares or other specified securities bought back by the company:

S.No.	Folio number / DP Id/client ID number or	Name of last holder of securities	*Category to which they belong	Date of buy- back
	certificate number of securities bought-back			
(, ,)		(2)	(1)	(=)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Number of	**Mode of	Nominal value	Price at	Date of
securities	buy-back	of securities	which	payment
bought- back			securities are	
			bought back	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Amount paid for bought back securities	Cumulative total of securities bought-back	Date of/ cancellation / extinguishment and physical destruction of securities bought- back	Reference to entry in Register of members	Remarks
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

*Indicate the category of securities that have been bought back

Preference shares

- Equity shares
- Employees' Stock Option shares
- Sweat equity shares, etc

**Indicate whether the securities have been bought back from

- the existing security-holders on a proportionate basis
- the open market
- odd-lots of listed securities
- Employees' Stock Option
- Sweat equity
- any other mode, if so indicate the mode

2. Other relevant details, if any.

Place:

Signature of the authorized signatory

Date:

Name of the above person: Designation:

FORM	NO. SH.11			Return in resp	ect of
the Compa pursuant t Companies Debentures	to section 68(10 anies Act, 2013 o Rule 17(13) of (Share Capita 5) Rules, 2014]	and AAAA f the	ग्यते	buy-back of se	ecurities
Form languag Refer the inst	e oEnglish oHindi ruction kit for filing t	the form.			
	rate identity number (CIN				Pre-Fill
	location number (GLN) o				
2.(a) Name (of the company				
	ss of the red office company				
(c) [*] e-mail	ID of the company				
3. [*] Income-t	ax permanent account nu	umber (Income-tax PAN)		
4. Whether	the company is listed	Yes	🔵 No		
If listed,	name(s) of stock exchan	ge(s) where listed			
Date(s)	of listing				
5. Name of t	he merchant banker app	ointed by company			
6. [*] Details of p	aid-up capital as on	(DD/MM/YYY	Y) [As per latest audited balance	sheet]
S.No.	Details of paid up capital	Amount (in Rs.)	Τ		
1.	Equity				
2.	Preference redeemable				
3.	Preference convertible				
4.	Others, if any				
5.	Total				
		•	_		

7. Free reserves or securities premium account (DD/MM/YYYY)	or proceeds of any shares or oth	er se	curities or	debts	as on
(a) [*] Free reserves	(in Rs.)				
(b) [*] Securities premium account	(in Rs.)				
(c) Proceeds of any shares or other securities	(in Rs.)				
(d). [*] Debts Secured (in Rs.)					
Unsecured (in Rs.)					
Total (in Rs.)					
8.(a) [*] Date of Board of directors' resolution appro of securities	oving or authorising the buy back				(DD/MM/YYYY)
(b) Date of special resolution of members auth	orising buy back of securities				(DD/MM/YYYY)
9.*Amount of securities authorised to be bought	back (in Rs.)				
* Number of securities authorized to be bough	nt back				
10. (a) [*] Date upto which buy back of securities t	to be completed				(DD/MM/YYYY)
(b) * Date of completion of buy back					(DD/MM/YYYY)
		_			
 (a) Date on which last buy back was authoris (b) Details of last buy back 	sed				(DD/MM/YYYY)
(b) Details of last buy back					
12. Date on which last buy back was completed	ł				(DD/MM/YYYY)
13.(a) [*] Debt to capital and free reserve ratio all	owed for company				
(b) *Pre buy-back debt to capital & fre	ee reserves ratio				
(c) • Post buy-back debt to capital & fr	ee reserves ratio				
(d) Details of Government approval for the r	atio at serial number '13' above h	igher	than 2:1		
14. Whether there is any subsisting default in the	he following				
(a) Repayment of deposit		\bigcirc	Yes	\bigcirc	No
(b) Repayment of interest payable on depos	sits above	\bigcirc	Yes	\bigcirc	No
(c) Repayment of debentures		\bigcirc	Yes	\bigcirc	No
(d) Repayment of preference shares		\bigcirc	Yes	\bigcirc	No
(e) Payment of dividend to shareholders		\bigcirc	Yes	\bigcirc	No
(f) Repayment of term loans to any financial	institution or bank	\bigcirc	Yes	\bigcirc	No
(g) Repayment of interest on the term loans	mentioned above	\bigcirc	Yes	\bigcirc	No

15. Wheth	her there is any default in complying with the	provisions of following sections:		
(a) Se	ction 92 (relating to annual return)	O Ye	s 🔘 No	
(b) Se	ction 123 (relating to payment of dividend)	O Ye	es 🔘 No	
(c) Sec	ction 128 (relating to balance sheet or profit a	nd loss account) 🛛 Ye	s 🔾 No	
16.*Date	of payment of consideration to all shareholde	rs from whom securities have beer	bought back	
17. [*] The s	hareholding pattern after buy back of securiti	es:		
S.No.	Category of security holders	Securities held before buy back as on	Securities held after buy back as on	
1.	Government [Central and State]	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	-
2.	Government companies			
3.	Public financial companies			_
4.	Nationalised or other bank(s)			
5.	Mutual funds			-
6.	Venture capital			-
7.	Foreign holdings (Foreign institutional investors, Foreign companies, Non resident indians, Foreign financial institutions or Overseas corporate bodies)			
8.	Bodies corporate (not mentioned above)			
9.	Directors or relatives of directors			
10.	Other top fifty (50) shareholders (other than mentioned above)			
11.	Others			
12.	Total			
* Total r	number of shareholders			-1
18.(a) Se	ervice request number (SRN) of Form MGT.14			
(b) [*] S	RN of Form \$H.9 in respect of declaration of	solvency		
		Declaration		,
to sign and of my know	n authorized by the board of director's submit this form. All the attachments wledge. Further, on behalf of board of the company and have formed the o that immediately following the date on w company could be found unable to pay it	and the information given in of directors, I hereby confin pinion which the general meeting is conve	m that full enquiry into the	e affairs and

[भाग II–ख	ण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र :	असाधारण	105
(ii) (iii)	the management of which will in their and when they fall in forming their op	the company's business during view be available to the compan due and will not be rendered inso	that year and to the amount ar y during that year, the compar- olvent within a period of one year directors have taken into account	int the liabilities(including prospective
*To be dig	itally signed by	DSC Box		
*Designatio	n			
DIN or PAN	Identification numb of the Manager or number of the Col			
Attachmen	nts:			
(1) *Desci	ription of shares or	other specified securities bou	ıght back	Attach
<mark>(2)</mark> *Parti	iculars relating to h	olders of securities before bu	y-back	Attach
(3) Copy	of the special resol	ution passed at the general n	neeting	Attach
<mark>(4)</mark> *Copy	y of the board resol	ution		Attach
(5) *Bala	nce sheet of the co	mpany		Attach
(6) *Cert	ificate of complianc	e of buy-back rules according	g to rule 17(14)	Attach
(7) Option	nal attachments, if	any		Attach
statement		provisions of Section 448 punishment for false evid Check Form		or punishment for false
For offic	ce use only:		Affix filing details	
eForm S	Service request numbe	er (SRN)	eForm filing date	(DD/MM/YYYY)
This e-F	orm is hereby register	red		
Digital s	signature of the auth	orising officer	Confirm submission	
Date of	signing		(DD/MM/YYYY)	

Debenture Trust Deed

[Pursuant to sub-section (13) of section 71 of the Companies Act, 2013 and rule 11 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014]

The debenture trust deed shall, inter alia, contain the following:-

1. DESCRIPTION OF DEBENTURE ISSUE:

- (a) Purpose of raising finance through the debenture issue;
- (b) Details of debenture issue as regards amount, tenure, interest/coupon rate, periodicity of payment, mode of payment and period of redemption;
- (c) An undertaking by the company to pay the interest and principal amount of such debentures to the Debenture holders as and when it becomes due, as per the terms of offer;
- (d) The terms of conversion/redemption of the debentures in terms of the issue to the debenture holders, options available, and debt equity ratio and debt service coverage ratio, if applicable.

2. DETAILS OF CHARGE CREATED (in case of secured debentures):

- (a) Nature of charge created and examination of title;
- (b) Rank of charge created viz. first, second, pari passu, residual, etc;
- (C) Minimum security cover required;
- (d) Complete details of the asset(s) on which charge is created such as description, nature, title, location, value, basis of valuation etc.;
- (e) Methods and mode of preservation of assets charged as security for the debentures;
- (f) Other particulars of the charge, e.g., time period of charge, rate of interest, name of the charge holder;
- (g) Provision for subsequent valuation;
- (h) Procedure for allowing inspection of charged assets and book of accounts by debenture trustee or any person or person authorized by it;
- (i) Charging of future assets
- (j) Time limit within which the future security for the issue of debentures shall be created
- (k) Circumstances specifying when the security may be disposed of or leased out with the approval of trustees
- (1) Enforceability of securities, events under which security becomes enforceable
- (m) Obligation of company not to create further charge or encumbrance of the trust property without prior approval of the trustee

3. PARTICULARS OF THE APPOINTMENT OF DEBENTURE TRUSTEE(S):

- (a) The conditions and procedure for the appointment of the debenture trustee ;
- (b) Procedure for resignation by trustee including appointment of new trustees;
- (C) Provision that the debenture trustee shall not relinquish his office until another debenture trustee has been appointed;
- (d) Procedure to remove debenture trustee by debenture holders providing for removal on a resolution passed by the holders of not less than three fourth in value of debentures;

(e)	Fees or commission or other legal travelling and other expenses payable to the trustee(s) for their
	services;
(f)	Rights of the trustee including the right to inspect the registers of the company and to take copies and
	extract thereof and the right to appoint a nominee director;
(g)	Duties of the trustee.
4. EVENTS OF	DEFAULTS
(a)	Events under which the security becomes enforceable which shall include the following events:
	(i) When the company makes two consecutive defaults in the payment of any interest which
	ought to have been paid in accordance with the terms of the issue;
	(ii) When the company without the consent of debenture holders ceases to carry on its business
	or gives notice of its intention to do so;
	(iii) When an order has been made by the Tribunal or a special resolution has been passed by the
	members of the company for winding up of the company;
	(iv) When any breach of the terms of the prospectus inviting the subscriptions of debentures or of
	the covenants of this deed is committed;
	(v) When the company creates or attempts to create any charge on the mortgaged premises or
	any part thereof without the prior approval of the trustees/debenture holders;
	(vi) When in the opinion of the trustees the security of debenture holders is in jeopardy.
(b)	Steps which shall be taken by the debenture trustee in the event of defaults;
(c)	Circumstances specifying when the security may be disposed off or leased out with the approval of
	trustees;
(d)	A covenant that the company may hold and enjoy all the mortgaged premises and carry on therein and
	therewith the business until the security constituted becomes enforceable
5. OBLIGATIO	NS OF COMPANY:
This section shall	Il state the company's duty with respect to-
(a)	maintaining a Register of debenture holders including addresses of the debenture holders, record of subsequent transfers and changes of ownership;
(b)	keeping proper books of accounts open for inspection by debenture trustee;
(c)	permitting the debenture trustee to enter the debentureholder's premises and inspect the state and condition of charged assets;
(d)	furnishing information required by the debenture trustee for the effective discharge of its duties and obligations, including copies of reports, balance sheets, profit and loss account etc.;
(e)	keeping charged property/security adequately insured and in proper condition;
(f)	paying all taxes, cesses, insurance premium with respect to charged property/security, on time;
(g)	not declaring any dividend to the shareholders in any year until the company has paid or made satisfactory provision for the payment of the installments of principal and interest due on the debentures;
(h)	creating the debenture redemption reserve;
(i)	converting the debentures into equity in accordance with the terms of the issue, if applicable;

(j) informing the debenture trustee about any change in nature and conduct of business by the company before such change;

(k)	informing the debenture trustee of any significant changes in the composition of its Board of				
	Directors;				
(1)	informing the debenture trustee of any amalgamation, merger or reconstruction scheme proposed by				
	the company;				
(m)	keeping the debenture trustee informed of all orders, directions, notices, of court/tribunal affecting or				
	likely to affect the charged assets;				
(n)	not creating further charge or encumbrance over the trust property without the approval of the trustee;				
(0)	obligation of the company to forward periodical reports to debenture trustees containing the following				
	particulars:				
	(i) updated list of the names and addresses of the debenture holders;				
	(ii) details of interest due but unpaid and reasons thereof;				
	(iii) the number and nature of grievances received from debenture holders and (a) resolved by the				
	company (b) unresolved by the company and the reasons for the same.				
	(iv) a statement that the assets of the company which are available by way of security are				
	sufficient to discharge the claims of the debenture holders as and when they become due				
(p)	complying with all directions/guidelines issued by a Regulatory authority, with regard to the debenture				
	issue				
(q)	submitting such information, as required by the debenture trustee				
6. MISCELLAN	EOUS:				
(a)	The conditions under which the provisions of the trust deed or the terms and conditions of the				
	debentures may be modified;				
(b)	The mode of service of notices and other documents on the company, the trustee and the holders of the				
	debentures;				
(C)	The company to be responsible for paying any stamp duty on the trust deed or the debentures (if				
	applicable);				
(d)	Provisions regarding meetings of the debenture holders;				
(e)	Provisions for redressal of grievances of debenture holders.				

Nomination Form

[Pursuant to section 72 of the Companies Act, 2013 and rule 19(1) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014]

7	7
1	c

Name of the company: Address of the company:

I/We the holder(s) of the securities particulars of which are given hereunder wish to make nomination and do hereby nominate the following persons in whom shall vest, all the rights in respect of such securities in the event of my/our death.

(1) PARTICULARS OF THE SECURITIES (in respect of which nomination is being made)

Nature of	Folio No.	No. of securities	Certificate No.	Distinctive No.
securities				

(a) Name:

- (b) Date of Birth:
- (c) Father's/Mother's/Spouse's name:
- (d) Occupation:
- (e) Nationality:
- (f) Address:
- (g) E-mail id:
- (h) Relationship with the security holder:

(3) IN CASE NOMINEE IS A MINOR--

- (a) Date of birth:
- (b) Date of attaining majority
- (c) Name of guardian:
- (d) Address of guardian:

Name:

Address:

Signature

Ν	ame	of	the	Security	

Holder (s)

Witness with name and address

Cancellation or Variation of Nomination

[Pursuant to sub-section (3) of section 72 of the Companies Act, 2013 and rule 19(9) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014]

Name of the company:

I/We hereby cancel the nomination(s) made by me/us in favor of.....(name and address of the nominee) in respect of the below mentioned securities.

or I/We hereby nominate the following person in place of as nominee in respect of the below mentioned securities in whom shall vest all rights in respect of such securities in the event of my/our death.

(1) PARTICULARS OF THE SECURITIES (in respect of which nomination is being cancelled / varied)

Nature of	Folio No.	No. of securities	Certificate No.	Distinctive No.
securities				

(2) (a) PARTICULARS OF THE NEW NOMINEE:

- i. Name:
- ii. Date of Birth:
- iii. Father's/Mother's/Spouse's name:
- iv. Nationality:
- v. Address:
- vi. E-mail id:
- vii. Relationship with the Security holder:

(b) IN CASE NEW NOMINEE IS A MINOR---

- i. Date of Birth:
- ii. Date of attaining majority
- iii. Name of guardian:
- iv. Address of guardian:

Signature

Name of the Security

Holder (s)

Witness with name and address

111

Form No. SH-15

Certificate of compliance in respect of buy-back of securities

[Pursuant sub-rule (14) of rule 17 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014]

1. (a) Corporate identity number (CIN) of company:

(b) Global location number (GLN) of company:

2. (a) Name of the company:

(b) Address of the registered office of the company:

(c) E-mail ID of the company:

We,directors of the above named company certify that the provisions of Companies Act, 2013 and rules made thereunder relating to buy-back of securities have been complied with in respect of the securities bought back vide Board Resolution dated.....and / or special resolution passed by the members in the general meeting held on and the details relating to which has been filed in **Form No. SH-11** with the Registrar of Companies.

Date:

Signature:

Place:

(1) Managing Director / Director(2) Director

Verified by

Company Secretary in Practice

CP No.

[F. No. 01/4/2013 (Part –I) CL-V] RENUKA KUMAR, Jt. Secy.